खण्ड-285, अंक-1
बुधवार, 3 आषाढ़, शक संवत् 1892
(24 जून, 1970 ई0)

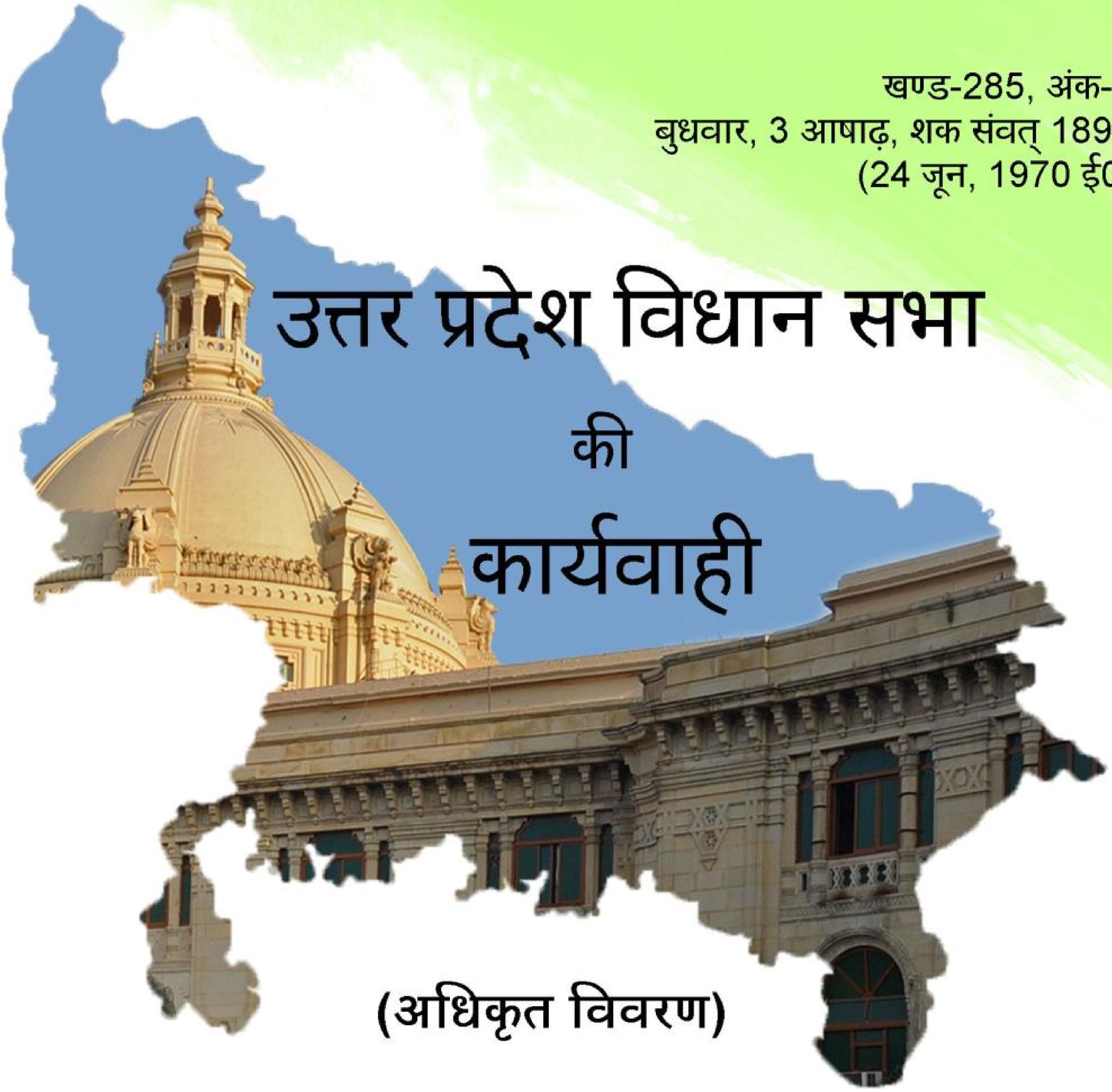

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 285 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–४९
कटौती के प्रस्तावों को लिये बिना अनुदानों पर मतदान कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४९–५०
मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी समाप्त होने तथा सरकार के विधिवत् गठित न होने के संबंध में वैधानिक आपत्ति	५०–५२
विनियोग लेखे १९६६–६७ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६८ पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	५२–५४
विनियोग लेखे १९६२–६३ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६४ पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५४–५६
विस्तीर्णता के आधार पर प्रश्न निरस्त करने के संबंध में शिकायत ..	५६–५७
शासन द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सदस्यों में वितरित करने की मांग	५७
वित्त मंत्री, श्री नारायणदत्त तिवारी, द्वारा कथित त्याग-पत्र देने के बारे में जानकारी की मांग	५७–५८
नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के संबंध में जानकारी	५८
'चिट फण्ड' पर रोक लगाने संबंधी सरकारी नीति की घोषणा सदन के बाहर करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	५८–६०
उत्तर प्रदेश गुन्डा विरोधी विधेयक, १९७० को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के विधान परिषद् के प्रस्ताव पर विचार (जारी) ..	६०–१०५
१९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान	१०५
अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	१०६
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	१०६
अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	१०६
अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	१०६
अनुदान संख्या १४—पुलिस (स्वीकृत)	१०७
अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद् तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	१०७

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	१०७
अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	१०७–१०८
अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	१०८
अनुदान संख्या ३३—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है (स्वीकृत)	१०८
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	१०८
अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	१०९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० (पारित)	१०९–११४
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	११४–११६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	११६–११७
नत्थियां	११८–१२३

उदय प्रदेश पत्रिका

बिहार पंचायत चुनाव

R.A
60 4-6

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरंभ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इस्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविंद सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे०एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री

प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राम मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री

रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़–फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर

श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत,श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण वाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह,राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा—फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—महाधिवक्ता, श्री कन्हैयालाल मिश्र, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ललितपुर में गांधी प्रदर्शनी स्पेशल ट्रेन के स्वागत समारोह के अवसर पर पंडाल से श्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र का हटाना

**१—श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत सप्ताह ललितपुर (झांसी) में गांधी प्रदर्शनी स्पेशल ट्रेन के स्वागत समारोह के अवसर पर संसद सदस्य, डा० सुशीला नायर, के आदेश पर पंडाल से पंडित जवाहर लाल नेहरू का चित्र हटा दिया गया है ? क्या उस समारोह का संयोजन एस० डी० एम०, ललितपुर की देख-रेख में किया गया था तथा पंडित नेहरू का चित्र हटाने के समय एस० डी० एम० महोदय भी वहां उपस्थित थे ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दिनांक ७ जून, १९७० को ललितपुर गांधी शताब्दी समारोह समिति के सदस्यों ने गांधी प्रदर्शनी स्पेशल ट्रेन के स्वागत समारोह का आयोजन किया । इस आयोजन के लिये

एक व्यक्ति दो चित्र---एक महात्मा गांधी जी का व दूसरा पं० जवाहर लाल नेहरू जी का लाया लेकिन डा० सुशीला नायर ने केवल गांधी जी का चित्र लगाने के लिये कहा क्योंकि समारोह गांधी जी से संबंधित था। इस स्वागत समारोह का आयोजन एस० डी० एम०, ललितपुर ने नहीं किया था बल्कि ललितपुर गांधी शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष श्री राम नारायण शर्मा जी और कुछ अन्य सदस्यों ने किया। डा० सुशीला नायर के भाषण के समय परगनाधिकारी शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये उपस्थित थे।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के उत्तर देने पर।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी उत्तर दे रहे हैं, क्या उनको उत्तर देने का अधिकार है? सूचना मंत्री जी का अभी तक त्याग-पत्र स्वीकार नहीं हुआ है, वह अभी भी मंत्रि मण्डल के सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष---

ज्वाइंट रेस्पांसीबिल्टी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

लेकिन श्रीमन्, उत्तर उनके द्वारा क्यों नहीं आया?

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह उत्तर है।

एक सदस्य---

उनका त्याग-पत्र तो स्वीकार हुआ नहीं, जब तक स्वीकार न हो तब तक उन्हीं को उत्तर देना चाहिये। क्या यह मान लिया जाय कि गेंदासिंह जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया?

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी का उत्तर है। मुख्य मंत्री जी की जगह तिवारी जी बोल रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र---

मान्यवर, वैसे तो यह उत्तर जो है वह सत्यता से बहुत परे है किन्तु मैं प्रश्न कर रहा हूं। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी प्रदर्शनी की जो स्पेशल ट्रेन आई थी उससे पूर्व एस० डी० एम०, ललितपुर ने सारे राजनैतिक प्रतिनिधियों की एक मीटिंग अपने यहां की थी? यदि की थी, तो क्या उस मीटिंग की उपस्थिति, उसका एजेंडा और उसके निर्णय बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां, यह सही है कि इस प्रदर्शनी के संबंध में ललितपुर के परगनाधिकारी ने एक बैठक ३ जून को ५ बजे शाम अपने निवास स्थान पर की थी और उस बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित थे---

१---उप पुलिस अधीक्षक, ललितपुर,
२---अध्यक्ष, नगरपालिका, ललितपुर,
३---तहसीलदार, ललितपुर,
४---स्टेशन मास्टर, ललितपुर,
५---श्री राम नरायन शर्मा, कांग्रेस इंडीकेट अध्यक्ष, ललितपुर,
६---श्री रामानन्द उर्फ खुन्नू जी, अध्यक्ष, संसोपा, ललितपुर,

७—श्री बलवन्त सिंह, अध्यक्ष, बी० के० डी०, ललितपुर,
८—श्री पदम चन्द, एडवोकेट, साम्यवाद,
९—श्री रामकृष्ण नामदेव, हिन्दू महासभा,
१०—श्री बाहुबली कुमार,
११—श्री शीतल चन्द मोदी,
१२—श्री श्याम सुन्दर जरिया,
१३—श्री मोहब्बत अली, अध्यक्ष, मुस्लिम एसोसिएशन ।
१४—तहसीलदार, महरौनी ।

एजेंडा यह था कि प्रदर्शनी के प्रबन्ध के सिलसिले में काम बांटना और उसी के संबंध में निर्णय लिये गये कि प्रदर्शनी के स्वागत का क्या प्रबन्ध किया जाय ?

श्री कृष्ण चन्द्र—

श्रीमन्, क्या निर्णय हुए वह मैं जानना चाहूंगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पानी पिलाने की व्यवस्था हेतु श्री बाहुबली कुमार जैन १० वालन्टीयर्स का प्रबन्ध करेंगे और मटकों का प्रबन्ध श्री रामानन्द दफेदार करेंगे व रेलवे के अधिकारी उचित सहायता करेंगे। चेयरमैन, नगरपालिका यह सुनिश्चित करेंगे कि उस दिन स्टेशन पर पानी एवं बिजली की सप्लाई दिन भर रहेगी। इसके अलावा पानी रखने की टेबिल व पानी पिलाने के बर्तन, आदि का प्रबन्ध नगरपालिका करेगी। प्राइमरी स्कूलों के पानी पिलाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को भी नगरपालिका नियुक्त करेगी। इस सब का प्रबन्ध श्री रामनारायण शर्मा, अध्यक्ष कांग्रेस देखेंगे। प्रदर्शनी का प्रचार नगर पालिका एवं डा० बाहुबली कुमार पर्चों द्वारा मोटरों के माध्यम से देहाती क्षेत्रों में करेंगे।

३—स्टेशन पर प्लेट फार्म नम्बर १ के दो सिरों पर यानी जी० आर० पी० चौकी के पास व गुड्स शेड के पास एक अन्दर जाने का और एक बाहर आने का रास्ता होगा। कौन-सा रास्ता अन्दर जाने का होगा और कौन-सा रास्ता बाहर आने का होगा यह उप-पुलिस अधीक्षक निश्चित करेंगे।

४—भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये पुलिस की उचित व्यवस्था की जावे तथा उनकी सहायता के लिये नगर पालिका से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की सेवाओं को लिया जायेगा।

५—नगरपालिका ८ लम्बे एवं मोटे रस्सों का प्रबन्ध करेगी।

६—साइकिल स्टैंड का प्रबन्ध भी नगर पालिका करेगी ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पं० जवाहरलाल जी का गांधी जी से बहुत निकटतम संबंध था तो गांधी प्रदर्शनी से उनका चित्र हटाने का क्या अभिप्राय था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसी कि सूचना दी गई है जब एक व्यक्ति मंच पर दो तस्वीर ले आया महात्मा गांधी की और जवाहर लाल जी की तो डा० सुशीला नायर ने यह कहा कि यह गांधी जी की प्रदर्शनी है, अन्य नेता की नहीं है, इसका सम्बन्ध नहीं है तो उसको वापस कर लिया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस समिति के तत्वावधान में यह प्रदर्शनी हो रही थी उस समिति के किसी सदस्य ने जवाहरलाल जी की तस्वीर पर आपत्ति की थी? या केवल डा० सुशीला नायर ने ही की थी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक सूचना है किसी सदस्य ने अपत्ति नहीं की। केवल डा० सुशीला नायर ने यह कहा कि यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी की है, अन्य नेता की नहीं है इसलिये इसको वापस ले जाइये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि इस प्रदर्शनी के अन्दर इस प्रदर्शनी का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनसंघ के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया था?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री दामोदर सहाय, एडवोकेट, अध्यक्ष जनसंघ को बुलाया गया था। उनके हस्ताक्षर हैं लेकिन यह सूचना नहीं है कि वह उस मीटिंग में थे या नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २८ के उप नियम १७ की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें यह है "कि उसका सम्बन्ध किसी असरकारी व्यक्ति अथवा असरकारी निकाय द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य से न होगा।" तो प्रश्न को आप देखें। इस प्रश्न का विषय ऐसा है जिससे सरकार का सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न डा० सुशीला नायर, संसद् सदस्या के सिलसिले में है। पहली बात तो यह है कि संसद सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि इस सदन में उस चर्चा से वह भंग तो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस नियम के अन्तर्गत उस विषय पर कोई प्रश्न इस सदन में नहीं हो सकता। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्यों न इस प्रश्न को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, यह प्रश्न श्रीमती सुशीला नायर से सम्बन्धित नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध एस० डी० एम०, ललितपुर से है .....

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह कह कर सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता, यह प्रश्न यहां आना ही नहीं चाहिये था।

श्री गोविन्द सिंह—

यह प्रश्न केवल डा० सुशीला नायर से सम्बन्धित नहीं है, इसका सम्बन्ध ए० डी० एम०, ललितपुर से है क्योंकि इस प्रदर्शनी के संबंध में सरकार की तरफ से वहां सर्कुलर गया था और सरकार की तरफ से पूरा आयोजन किया गया था, इस वास्ते भी इस का सम्बन्ध सरकार और उस के एस० डी० एम० से है।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था का उत्तर दिये देता हूं, यह आपका दूसरा सवाल है। व्यवस्था यह है कि किसी असरकारी व्यक्ति के विषय में आप प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि खास तौर से वह

व्यक्ति यहां मौजूद नहीं रहते इसलिये कोई टीका-टिप्पणी उन पर नहीं होगी, यह सही बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एस० डी० एम० के बारे में भी प्रश्न इसमें मौजूद है लिहाजा उपाध्यक्ष जी ने इसकी इजाजत दे दी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि डा० सुशीला नायर ने जो बात कही हो उसके ऊपर टीका-टिप्पणी आप न करें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह प्रश्न विधान सभा में पूछा गया लेकिन यह प्रेस में पहले से आ गया, तो यह पहले से अखबारों में कैसे आया ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो वहां नहीं आया·····

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह सब बात अखबार में आ चुकी है·····

श्री अध्यक्ष—

वह कोई मंत्री नहीं हैं कि जिस ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो समझ लें कि अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो हर एक के ऊपर हम एक्शन नहीं लेते और न एटीकेट की ही बात होती है।

श्री कृष्ण चन्द्र—

प्रश्न यह है कि अभी मंत्री जी ने कहा कि एस० डी० एम०, ललितपुर ने ३ जून को एक मीटिंग बुलाई और उसमें गांधी प्रदर्शनी समारोह के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की गई थी और दूसरी बात यह है कि मंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों को बुलाया था उनमें श्री राम नरायन शर्मा गांधी स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं वह भी उपस्थित थे और उनका सम्बन्ध इन्दिरा कांग्रेस से बताया गया है और गांधी स्मारक समिति से उनका सम्बन्ध नहीं है, तो जब वहां पर गांधी स्मारक समिति के प्रतिनिधियों का आयोजन नहीं था तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी हालत में यह समारोह गांधी स्मारक समिति की ओर से किस प्रकार से हुआ ?

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

यह प्रश्न कहीं नहीं उठता, कौन-सी समिति बनी, कौन-कौन से सदस्य हैं यह सब पूछा गया। यह बिलकुल इर्रेलेवेन्ट है····

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह जो आयोजन वहां पर हुआ, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह प्रतीत होता है कि आयोजन जो हुआ वह पहले से ही जो गांधी स्मारक समिति बनी थी उसके अध्यक्ष श्री राम नरायन शर्मा थे लेकिन जब वह मीटिंग हुई तो एस० डी० ओ० ने राजकीय आदेश के अनुसार, जो यहां से आदेश गये थे कि ट्रेन का स्वागत ठीक से होना चाहिये, उस के लिये अलग से वह बनाया गया था। लेकिन माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उस की जांच कर ली जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पंडाल में महामान्य तिलक, गोखले और सुभाष बाबू और डाक्टर लोहिया के चित्र थे या नहीं थे ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

यह मालूम करने की जरूरत नहीं समझते।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी का यह कहना कि "वह मालूम करने की जरूरत नहीं समझते" उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर जो आपने दिया वह पहले सवाल का था। और नेताओं के चित्र वहां थे या नहीं, इसका माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा पहले सूचित किया कि दो व्यक्ति कुछ चित्र लाये थे। उनमें से गांधी जी का चित्र रख लिया गया और बाकी के लिये कहा गया कि बाकी चित्र इससे संबंधित नहीं हैं। इसलिये उन चित्रों का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैंने जो माननीय मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन दिया था, क्या मंत्री जी उनके सब तथ्यों की जांच करायेंगे किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से ?

(शोर)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जांच करा लेंगे।

(शोर)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण

*१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रस्तावित सिंचाई और विद्युत् प्रायोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने हेतु सरकार ने इस वर्ष एक स्कीम स्वीकृत की है ? यदि हां, तो उसकी कुल लागत क्या होगी और उस में कितने बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री जगरनाथ)—

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने हेतु सरकार ने इस वर्ष १९७०–७१ में कोई नवीन योजना स्वीकार नहीं की है।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान मैं वित्त मंत्री जी के १९७०–७१ के बजट भाषण के पृष्ठ ९ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में लिखा है कि "एक और स्कीम भी स्वीकृत की गयी है जिसकी अनुमानित लागत २५ लाख रुपये होगी और जिसके लिये भारत सरकार से १०० प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध होगी। इस स्कीम से प्रस्तावित सिंचाई और विद्युत् प्रायोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने में बेरोजगार इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी व्यक्तियों

को रोजगार मिलेगा" तो आज जो माननीय सिंचाई मन्त्री ने अपना उत्तर दिया है वह सही है या यह, कौन-सा ढपोरसंखी है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

१९६९–७० वर्ष के लिये एक योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें २५ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार को देना था। उस में जो दो लाख रुपया मिला था उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। अब इस योजना के अन्तर्गत देहरादून और लखनऊ में दो-दो खंड स्थापित हैं और सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। इस वर्ष की कोई योजना नहीं है, यह पहले वर्ष की ही है जो २८ फरवरी, १९७१ तक चलेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह योजना कितनी लागत की होगी और उसमें कितने इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इस में ४ खंड अस्थायी कायम कर दिये गये हैं जिसमें हर एक में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ४ असिस्टेंट इंजीनियर और १६ ओवरसियर्स होते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस योजना की लागत क्या होगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, वह सर्वेक्षण करेंगे। उसमें जो आदमी होंगे वे मैंने अभी बतलाये हैं।

श्री दीपनारायणमणि—

विस्तृत सर्वेक्षण से क्या मतलब है, वे किन-किन चीजों को देखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पानी के विस्तार की सभी चीजों को तथा सिंचाई की किस प्रकार से सुनिश्चित व्यवस्था की जा सकती है यह सब देखेंगे।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

उत्तर प्रदेश में सन् १९४७ में कितने इंजीनियर्स बेरोजगार थे, और सन् १९७० में कितने इंजीनियर्स बेरोजगार हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह न तो इस प्रश्न से उठता है न मेरे उत्तर से।

ककराला नगरपालिका के विरुद्ध आरोप-पत्र

*२—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार बदायूं जिला अन्तर्गत ककराला नगरपालिका को भंग करने जा रही है, एवं क्या सरकार ने इस आशय का कोई नोटिस भी नगरपालिका को दिया है ?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

बदायूं जिलाअन्तर्गत ककराला नगरपालिका को भंग करने के संबंध में एक आरोप-पत्र दिनांक २४ अप्रैल, १९७० को उक्त नगरपालिका को जारी किया गया था।

श्री कृष्णस्वरूप—

इस आरोप-पत्र में मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं? और नगरपालिका, ककराला से उसका उत्तर क्या आया है? तथा उस पर जिलाधीश के कमेन्ट्स क्या हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

आरोप हैं कि माली हालत खराब है, कर्मचारियों को तन्ख्वाह नहीं दी जा सकी, ५ लाख रुपया कर्ज है, बिजली का बिल अदा नहीं हो सका, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, रोड ग्रान्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, फैमिली प्लानिंग ग्रान्ट का डिस्यूटीलाईजेशन किया गया, सरकमस्टेंसेज एण्ड प्रापर्टी टैक्स जनवरी, १९६८ से लगना चाहिए था वह नहीं हुआ, २० लाख रुपया एरियर्स वगैरह वगैरह ये २२ आरोप हैं।

श्री कृष्णस्वरूप—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नहीं मिला।

श्री अतीकुर्रहमान—

श्रीमन् जी, १७-११-१९६८ को रिपोर्ट मांगी गई और २८ जुलाई, १९६९ को उस पर रिपोर्ट आई कि बोर्ड की माली हालत खराब है, अनुदानों का गलत इस्तेमाल किया गया है, बिजली का बिल अदा नहीं किया गया, हाउस टैक्स नहीं लगाया गया, सर्कमस्टेंसेज एण्ड प्रापर्टी टैक्स नहीं लगा। क्लर्कों ने टैक्स की वसूलयाबी करने की कोशिश नहीं की है आदि उसमें आते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनसे कम आरोपों पर नगरपालिकाएं भंग कर दी गई हैं, लेकिन इस नगरपालिका के विरुद्ध जुलाई, १९६९ से अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री अतीकुर्रहमान—

१९६८ के अक्तूबर में यह शिकायत आई थी, उसके बाद दिसम्बर, १९६८ में रिपोर्ट मांगी गई थी, २८ जुलाई, १९६९ को यह रिपोर्ट आई थी, उसके बाद २४ अप्रैल, १९७० को तीन आरोपों के बिना पर चार्जशीट्स उन को जारी किया गया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं की सैसवान, बदायूं और ककराला नगरपालिकाओं के विरुद्ध इस प्रकार की रिपोर्ट आई हैं और जिलाधीश और कमिश्नर ने उनके संबंध में बराबर रिकमेन्ड किया है, लेकिन फिर भी उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री अतीकुर्रहमान—

इससे यह सवाल नहीं उठता। ककराला के संबंध में एक्सप्लेनेशन आया है चार्जशीट का और उसके बाद उस पर डी० एम० की राय मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन आया है, उसमें डी० एम० और कमिश्नर के क्या कमेन्ट्स हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा एक सैद्धान्तिक प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री जी, किस नगरपालिका को भंग किया जाए और किसे न किया जाए, इसे तय करने के वास्ते एक परमानेन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की कृपा करेंगे? जो कि राजनैतिक आधार के बजाए गुणावगुण के हिसाब से उनके विषय में निर्णय लिया करे।

श्री अतीकुर्रहमान—

कमेन्ट्स और राय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा निश्चित प्रश्न है, बदायूं और सैसवान नगरपालिकाओं के खिलाफ निश्चित आरोप हैं और उन पर डी० एम० और कमिश्नर के रिकमन्डेशन्स हैं और उनको सुपरसीड कर दिया जाए। इसके बाद भी सरकार द्वारा उनको सुपरसीड न करने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में तो बता दिया है। उस पर कमेन्ट्स मांगे गये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

अभी कैसे बताया है?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी फिर से स्पष्ट कर दें।

श्री अतीकुर्रहमान—

२४ अप्रैल, १९७० को तीन आरोपों के बिना पर चार्जशीट तैयार किया गया है इसके विरुद्ध, उसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड ने दिया है, उस एक्सप्लेनेशन पर कमिश्नर और कलेक्टर के कमेंट्स की प्रतीक्षा की जा रही है। रिमाइंडर इश्यू किया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

ककराला नगरपालिका के अध्यक्ष कौन सज्जन हैं?

श्री अतीकुर्रहमान—

उनका नाम इत्तिफाक से इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या मन्त्री महोदय बतलाएंगे कि जो चार्जशीट उन्होंने नगरपालिका, बदायूं को दिया, नगरपालिका, बदायूं ने उस चार्जशीट का क्या जवाब दिया?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह बदायूं का सवाल नहीं है। ककराला का है।

श्री कृष्णस्वरूप—

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बताएंगे कि नगरपालिका, ककराला ने अपने सफाई कर्मचारियों, मेहतरों को ७–८ महीने से वेतन नहीं दिया है और बेजा तरीके से मुअत्तल भी किया है इस चीज को देखते हुए शीघ्र कार्यवाही करवाने के लिए कार्यवाही करेंगे?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं आदरणीय मेम्बर की खबर को सही समझ कर जांच करवाऊंगा।

सिराथू तथा मंझनपुर तहसीलों की सिंचाई के लिए कथित धनराशि

*३—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या केन्द्रीय सरकार ने इलाहाबाद जिले की सिराथू तथा मंझनपुर तहसील में नहर तथा सिंचाई योजना को पूरा करने के लिये कोई बड़ी धनराशि दी है ? यदि हां, तो वह कितनी है तथा यह सिंचाई योजना कब से प्रारम्भ होगी तथा इससे कितने ग्राम लाभान्वित होंगे ?

श्री जगरनाथ—

प्रथम भाग—

केन्द्रीय सरकार ने इलाहाबाद जिले की सिराथू तथा मंझनपुर तहसीलों में किसी नहर तथा सिंचाई योजना को पूरा करने के लिये अलग से कोई धनराशि नहीं दी है ।

द्वितीय भाग—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह सूचना आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई है, नार्दर्न इंडिया पत्रिका, स्टेट्समैन और अन्य लखनऊ के समाचारपत्रों में भी छपी कि सिराथू और मंझनपुर में, लगातार सात-आठ वर्षों से सूखा पड़ने के कारण केन्द्रीय सरकार ने लगभग १० लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया है, मेरी सूचना और अखवार की सूचना को सही मान कर मंत्री जी पत्र लिख कर जांच करेंगे, क्या यह सम्भव नहीं है कि पत्र आपके विभाग में खो गया हो, आप केन्द्रीय सिंचाई मंत्री को लिखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरी सूचना में तो है नहीं । अगर माननीय सदस्य नार्दर्न इंडिया पत्रिका का वह कटिंग दे दें, अगर वह अखवार दे दें तो उस आधार पर अवश्य लिख दिया जायगा ।

श्री रामगोपाल संड—

मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारे सिंचाई मंत्री जी ने दोआबा, सिराथू, मंझनपुर और जमुनापार के लिये कितनी धनराशि रखी है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका गला बैठ रहा है ? क्या बात है ?

(माइक्रोफोन खराब था ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं समझ गया । मान्यवर, जिस तहसील का माननीय सदस्य ने चर्चा किया है मंझनपुर का, इसमें ३६ लाख रुपया इस वर्ष में रखा गया है । और किशनपुर कैनाल जो पंपिंग कैनाल होगी वह ३०० क्यूजक पानी गंगा में से उठायेगी और उससे ५२,१०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

रूपनाथ सिंह यादव—

इलाहाबाद के लिये जो ट्यूबवेल्स की संख्या दी गयी है वह बहुत कम है उसकी संख्या क्या आप बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नलकूप का तो इसमें प्रश्न उठता नहीं लेकिन पिछले साल जितने दिये गये थे उनसे एक भी ट्यूबवेल कम न होगा।

श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री यह जानकारी देंगे कि सरकार सिराथू तहसील में लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना चालू करने जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसके लिये एक योजना बनाई गयी थी जिस पर १ करोड़ ७० लाख रुपया खर्च होने वाला था और उससे ४८० क्यूजेक पानी मिलता लेकिन न तो उतना धन उपलब्ध हो सका और न वह बिना लाभ हानि के चल सकती है। इसलिये उस स्थान पर अब स्टेट ट्यूबवेल लगाने की योजना है।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री ने बतलाया कि सिराथू तथा मंझनपुर तहसीलों में लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम के जरिये सिंचाई होगी तो कब तक यह योजना कार्यान्वित कर दी जायगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने यह कहा था कि यह योजना थी लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था और फिर उतना धन उपलब्ध नहीं था और हानि प्रति वर्ष अधिक होती, इसलिये इस योजना के स्थान पर ट्यूब वेल बनाये जाने की योजना है।

लखनऊ के बादशाह नगर कालोनी में ट्यूबवेल का निर्माण

*४—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार तीसरे बुधवार की नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या ७ व ८ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेगी कि बादशाहनगर कालोनी, लखनऊ में पानी का ट्यूबवेल कब तक लग जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

कार्य प्रारंभ हो रहा है। यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा।

*५—श्री इन्द्रलाल—

क्या सरकार उपरोक्त कालोनी के ऊपर रहने वाले परिवारों में पानी की असुविधा को देखते हुये प्रत्येक क्वार्टर के नल के कनेक्शन अलग-अलग कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

धर्म सिंह—

जी नहीं।

श्री इन्द्रलाल—

माननीय मंत्री ने उत्तर में सूचना दी है कि कार्य प्रारम्भ हो गया है तो यह कार्य किस तिथि से प्रारम्भ होने जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—

सामान वहां पहुंच गया है, मशीनरी भी पहुंच गयी है और कार्य वहां पर प्रारम्भ हो गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

यह कार्य सैंक्शन कब हुआ था ?

श्री धर्मसिंह—

२८–४–७० को इसका एस्टिमेट आया था लेकिन उसकी सैंक्शन कब हुई इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस कालोनी में पीने के पानी की क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा केवल ४ इंच पानी दिया जाता था और एक टैंक बनाकर पानी इकट्ठा होता था उसके द्वारा पानी की व्यवस्था थी ।

बुगरासी—दौलतपुर मार्ग (बुलन्दशहर) के निर्माण का प्रस्ताव

*६—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में बुगरासी–दौलतपुर मार्ग जो कि एक अत्याधिक कृषि विकसित क्षेत्र में से गुजरता है और जिसका प्रशासनिक दृष्टि से भी एक महत्व है, को तत्कालीन सरकार ने चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में पक्का बनाना स्वीकार किया था ? क्या वर्तमान सरकार ने भी उसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पक्का बनवाना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री धर्म सिंह—

प्रश्नगत सड़क का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्माण का प्रस्ताव था किन्तु पुनर्विचार के उपरान्त यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुगरासी–दौलतपुर मार्ग को तत्कालीन सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रोपोज किया था और उसे स्वीकार किया था तथा इसके लिये कोई अनुदान भी मांगने वाली थी ? यदि हां, तो इस सड़क को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वर्तमान सरकार ने क्यों नहीं लिया ?

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि यह सड़क प्रोपोज्ड थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी किन्तु उस पर पुनर्विचार हुआ और यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है और आगे इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, यह पुनर्विचार किस नीति के आधार पर हुआ ? क्या यह जो सैंक्सन्ड रोड्स थीं उन सब पर पुनर्विचार हुआ ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां, बहुत सी रोड्स पर पुनर्विचार हुआ । तमाम प्लान पर पुनर्विचार हुआ था ।

एक सदस्य—

मान्यवर, जल्दी-जल्दी प्रश्नों को लीजिये । आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । उनमें गवर्नमेंट फंसनेवाली है ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि कोई आधार तो रहा होगा जिस आधार पर चौथी पंच वर्षीय योजना में यह सड़क ली गई होगी। तो वह कौन सा आधार गलत पाया गया कि इस सड़क का निर्माण न हो पाया ?

श्री धर्मसिंह—

मान्यवर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की कई सड़कें रखी गई थीं, उसमें एक सड़क यह भी रखी गई थी। नई कैबिनेट ने उन सब पर विचार किया तो उसमें बहुत-सी सड़कें ली गई और बहुत-सी सड़कें नहीं ली गईं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस बात को स्वयं महसूस करते हैं कि यह सड़क बहुत ही आवश्यक है और जहांगीराबाद, बुगरासी–दौलतपुर को लिंक करती है और एक कृषि विकसित क्षेत्र में से गुजरती है ? क्या इसके महत्व को देखते हुये माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि वे इस सड़क का निर्माण इसी पंचवर्षीय योजना में करने पर विचार करेंगे और उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट में धनराशि की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां, यह सही बात है कि यह सड़क बहुत महत्व की है और पी० डब्लू० डी० की रोड है जो कि एक लिंक रोड भी है, किन्हीं कारणों से रुकी हुई है। सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

जिला बुलन्दशहर के ओला-पीड़ित क्षेत्रों में लगान वसूली

*७—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में मार्च, १९७० में जबरदस्त ओला पड़ने से सैकड़ों ग्रामों में रबी की फसल नष्ट हो गई थी और उन पीड़ित ग्रामों के कृषकों के पास खाने पीने के लिये भी गल्ला नहीं रहा ? यदि हां, तो उन ग्रामों में रबी की मालगुजारी और दूसरे सरकारी मुतालबात की वसूलयाबी क्यों की जा रही है ? क्या सरकार तुरन्त ऐसे पीड़ित ग्रामों की मालगुजारी माफ कर देने और दूसरे सरकारी मुतालबात की वसूलयाबी को रोक देने के आदेश देगी ?

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)—

मार्च, १९७० में ओलावृष्टि से जिला बुलन्दशहर के ३२१ ग्रामों में ५० प्रतिशत या उससे अधिक हानि हुई थी। इन ग्रामों में सिंचाई कर को छोड़कर मालगुजारी एवं अन्य सरकारी देयों की वसूली नहीं की जा रही है, परन्तु सदर तहसील के कुछ काश्तकारों के स्वेच्छा से खरीफ १३७७ फसली की मालगुजारी अदा की है जिसे ले लिया गया है। सिंचाई कर की वसूली की स्थिति यह है कि जिन लोगों को सिंचाई विभाग द्वारा जो छूट स्वीकृत की गई है उसे छोड़कर बाकी वसूली की जा रही है।

मालगुजारी में माफी का अंन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में इतने जबरदस्त ओले पड़े कि खड़ी हुई और पकी गेहूं की फसल नष्ट हो गई ? लोगों के पास खाने के लिये गल्ला नहीं रहा और इसके बावजूद सरकारी कर्मचारी और अमीन जबरदस्ती गल्ला वसूल करते रहे ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

ऐसी कोई सूचना तो है नहीं। अगर कोई डेफिनिट सूचना माननीय सदस्य भेजें तो उसकी जांच करवाई जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजिये। वे इन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त की है शासन ने, क्या उन्हें वहां के जिला मंजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि जबरदस्ती वसूलयाबी की जा रही है और सख्ती से वसूलयाबी की जा रही है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसी कोई सूचना जिलाधिकारी ने नहीं दी है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने वहां की मालगुजारी की वसूलयाबी अब तक रुकवाई है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जहां ज्यादा नुक्सान हुआ है वहां रुकी हुई है। माननीय सदस्य इतना ज्यादा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ ५२२ रुपये दिये हैं लोगों ने स्वेच्छा से अपने आप।

जिला बरेली के गांवों में कथित अग्निकाण्ड

*८—श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या यह सही है कि गत माह में बरेली जिले के गांवों में भयंकर अग्निकांड हुये हैं लेकिन शासन की ओर से आकस्मिक निधि या तकावी इस कारण नहीं दी जा सकी है क्योंकि इस मद में कोई रुपया नहीं था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम किंकर—

जी नहीं। जिले में गत माह ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें धनाभाव के कारण सहायता न दी गई हो।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मई के महीने में जिलाधिकारी बरेली से कितने अग्निकांडों की सूचना प्राप्त हुई ?

श्री राम किंकर—

मई में ५ मई को १,५०० रुपये और २७ मई को दस हजार रुपये, इतने दिये गये थे. . . .

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, यह तो मैंने पूछा नहीं है। मैंने तो यह पूछा है कि कितने अग्नि कांड हुए मई के महीने में जिसकी सूचना जिलाधिकारी बरेली को प्राप्त हुई ?

श्री राम किंकर—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, जब सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि कितने अग्निकांड हुये तो अहेतुक सहायता कैसे पहुंचेगी यह समझ में नहीं आता। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि गत महीने में बरेली जिले के गांवों में भयंकर अग्निकांड हुये हैं तो यदि ये तैयार नहीं थे, तो आपसे स्थगित करवा लेते।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, इसमें आपने यह नहीं पूछा था कि कितने हुये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

गत महीने की बात मैंने पूछी थी। तो इनको जानकारी होनी चाहिये थी कि कितने अग्निकांड हुये। वहां ५ अग्निकांड हुये। दो में तो अहेतुक सहायता दी और तीन अग्निकांड और हुये। उसके लिये गोलमाल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो आप साफ सवाल कर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली जिले के गांवों में पांच अग्निकांड हुये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है, हमारे पास यह सूचना नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

इस पर मैं नियम ४९ की नोटिस दे दूंगा, आप विवाद के लिये मंजूर कर लें। गरीबों के मकान जल गये, उनके खलिहान जल गये।

श्री अध्यक्ष--

आप इतनी होशियारी से प्रश्न करते हैं कि जिससे मालूम हो कि वह उत्तर नहीं दे सकते.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

आप हम लोगों के अधिकारों के संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष--

पांच अग्निकांड हुये यह सूचना आप आज देते हैं। अगर यह कह देते कि....

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैंने गत मास की बात पूछी थी। इसका मतलब यह है कि शासन को सूचना मंगानी चाहिये थी कि कितने अग्निकांड हुये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला परिषद्, सीतापुर के नाम मेला ग्राउन्ड का रकबा

*१--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर) तथा डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परगना खैराबाद, तहसील व जिला सीतापुर में चकबन्दी से पूर्व मेला ग्राउन्ड, खैराबाद की भूमि का कितना रकबा जिला परिषद्, सीतापुर के अधिकार में था और इस समय कितना शेष रह गया है ?

श्री रामकिंकर—

परगना खैराबाद, जिला सीतापुर में चकबन्दी से पूर्व खैराबाद, मेला ग्राउन्ड की जमीन का ६.६२ एकड़ रकबा जिला परिषद् सीतापुर के नाम था। चकबन्दी के बाद उक्त जमीन का ९.६२ एकड़ रकबा जिला परिषद् के नाम है।

*२—श्री रामलाल राही तथा डाक्टर श्याम किशोर—

क्या यह सत्य है कि कुछ लोगों ने जिला परिषद् (मेला ग्राउन्ड), खैराबाद की भूमि को चकबन्दी में अपने नाम करवा लिया है? यदि हां, तो जमीन किन-किन लोगों ने कितनी-कितनी अपने नाम करा लिया?

श्री रामकिंकर—

यह सत्य नहीं है।

श्री रामलाल राही—

जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुं कि तीन एकड़ जमीन की बढ़ोत्तरी जिला परिषद् में हो गयी, तो यह किन लोगों की जमीन है और किस प्रकार से परिषद् के अधिकार में आयी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह जमीन एक ग्राम समाज की है जो वहां लगी हुई है। मालूम ऐसा होता है कि शायद जिला परिषद् और ग्राम समाज का कोई झगड़ा होगा और फैसले में जिला परिषद् की जमीन हो गयी। लेकिन मैं इसकी पूरी जानकारी करा कर माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा।

श्री रामलाल राही—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस मेला ग्राउन्ड के नाम से जो जमीन है उस पर गत कई वर्षों से मेला नहीं लगता है और जमीन बेकार पड़ी है? यदि हां, तो क्या उस जमीन को भूमिहीनों में बंटवाने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह मेला ग्राउन्ड बहुत पुरानी है और इसकी भी जांच करा ली जायेगी कि अगर काफी दिनों से यहां मेला नहीं लगा है तो यह जमीन किस तरह से सार्वजनिक हित में इस्तेमाल की जाय, इसका भी प्रबन्ध किया जायगा।

श्री रामलाल राही—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेला ग्राउन्ड के अतिरिक्त आसपास जिला परिषद् की कोई और जमीन है जिसको परिषद् ने किन्हीं लोगों के नाम कर दिया है? यदि हां, तो किस प्रकार यह उनके नाम की गयी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

जिला बांदा के जसपुरा विकास खण्ड में लिफ्ट सिंचाई योजना

*३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में किसी प्रकार की सिंचाई का कोई साधन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के तीन तरफ बहने वाली जमुना, केन और चन्द्रावल नदियों से लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना लागू करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगरनाथ—

प्रश्न का प्रथम भाग—एक छोटी डीजल लिफ्ट पम्प नहर के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—लिफ्ट की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न का तृतीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लिफ्ट पम्प नहर जो बताई गई वह कब वजूद में आई, कितनी लम्बी है और उससे कितना क्षेत्र सिंचित होता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इससे ३०, ४० एकड़ भूमि का क्षेत्र सिंचित होता है । जहां तक दूसरा प्रश्न है कि कब वजूद में आई, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्षेत्र कितना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कितना क्षेत्र है, यह इसमें नहीं दिया है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री महोदय इस सम्भावना पर विचार करेंगे कि इस समय केन और चन्द्रावल नदियों पर यदि लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो उससे पूरी सिंचाई हो सकती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, २५ जुलाई, सन् १९६८ में चन्द्रावल और करोपन नदियों के बीच के क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया था । भूगर्भ शास्त्रियों की एक मीटिंग भी हुई थी । कुछ निश्चय भी उन्होंने किये । ६ लाख रुपये की योजना बनाई गई । २५ हजार की एक योजना प्रस्तावित भी थी लेकिन बाद को भूगर्भ शास्त्रियों की सलाह से उसको छोड़ दिया गया । एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल डिवीजन जो भारत सरकार का है उसके अन्तर्गत वहां पर ३ ट्यूबवेलों की बोरिंग हुई है । २ पिछले वर्ष और १ इस वर्ष जिनके रिजल्ट आने अभी बाकी हैं । ३ और ट्यूबवेल वहां के लिये दिये गये हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह लिफ्ट योजना वहां पर चालू करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने बताया कि भूगर्भ शास्त्रियों ने यह टेक्नीकल राय दी कि यहां पर ये उपयुक्त नहीं रहेंगे । खर्चा ज्यादा आता है और आमदनी कम है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस बुन्देलखंड पट्टी के लिये एक दफा इंजीनियरों ने यह राय दी थी कि कोई नलकूप वहां नहीं बन सकता है लेकिन बाद को प्राइवेट लोगों ने निजी २०० नलकूप बना कर साबित कर दिया कि उन की यह राय गलत है ? तो इसका पता लगा कर फिर से इसकी जांच करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

३ ट्यूबवेल की एक्स्पलोरेटरी ट्यूबवेल डिवीजन भारत सरकार बोरिंग कर चुका है। उन तीनों के रिजल्ट आना अभी बाकी है। उनमें से दो तो निश्चित रूप से सफल हुये हैं लेकिन तीसरे का रिजल्ट आना बाकी है। ३ ट्यूबवेल और इस जिले की सरकार की ओर से पहले ही दिये जा चुके हैं। वहां पर उनको बनाया जा सकता है।

चकबन्दी अधिकारी, बीबीपुर के विरुद्ध शिकायतों की जानकारी

*४—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद में चकबन्दी अधिकारी, बीबीपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी वहां की जनता एवं वकीलों के जनवरी, १९७० से अब तक कुल कितने शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं तथा सरकार ने उक्त चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की है ?

श्री रामकिंकर—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त सूचनाओं एवं शिकायतों के आधार पर सरकार किसी जांच आयोग द्वारा जांच करायेगी ?

श्री रामकिंकर—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा सवाल उनको कब मिला और सूचना एकत्र करने के लिये कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

२५-५-७० तारीख तो इसमें ही दी हुई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को पता है कि भ्रष्टाचार के मामले में तुरन्त जांच न कराने से और उसकी इत्तिला देने से सम्बन्धित अधिकारी को गवाह तोड़ने का और सबूत गायब करने का मौका मिल जाता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुये इसमें तत्परता से काम करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सही है, लेकिन जैसे ही उनका सवाल आया और शिकायत मालूम हुई तो इसकी जांच शुरू हुई। इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाता है। जायसवाल जी जैसा कह रहे हैं, जांच के मामले में जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये।

देवरिया माइनर नं० २ पर पुल बनाने की मांग

*६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि दिनांक १६ मार्च, १९७० को ग्राम मुण्डाडीह, तहसील हाटा, जिला देवरिया के किसानों का एक प्रार्थना-पत्र देवरिया माइनर नं० २ पर पुल बनाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त नहर पर पुल बनाने का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायगा ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का ५ मार्च, १९७० का पत्र, जिसके साथ ग्राम मुण्डाडीह के निवासियों का प्रार्थना-पत्र भी संलग्न था, प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उक्त ग्रामवासियों का १७ जुलाई, १९६९ का प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ था। इस पत्र पर जांच की गई और उसे निरस्त कर दिया गया क्योंकि रजबहे के मील २–६–३३०, पर ग्रामीण सड़क पुल बना हुआ है। जो प्रार्थना-पत्र स्थान से सिर्फ ३ फर्लांग ३३० फीट पर है। इसलिए इतने करीब दूसरा पुल नहीं बनाया जा सकता।

बांदा जिले में गडरा नदी पर मुखल पुल का निर्माण

*७—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में गडरा नदी पर अधूरे मुखल पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा?

श्री धर्म सिंह—

इस पुल का निर्माण ३१ मार्च, १९७१ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

मिश्रिख, जिला सीतापुर में सीरदारी के कथित अधिकार

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियम ११५–सी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत २९ नवम्बर, १९६९ से ४ मार्च, १९७० के कितने मुकदमों में तहसीलदार मिश्रिख, जिला सीतापुर ने प्रतिवादियों को सीरदारी के अधिकार प्रदान किये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उल्लिखित अवधि में निर्णीत किसी भी वाद में प्रतिवादियों को सीरदारी के अधिकार प्रदान नहीं किये गये।

नलकूप चालकों का स्थायीकरण

*९—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप चालक १५ वर्ष से कार्य करते चले आये परन्तु अभी तक अपने स्थायी पद पर न किये जाने का क्या कारण है? और उन्हें दूर भेजने की रोक लगाने पर क्या यह अपने जिले में रह सकते हैं? यदि हां, तो एक समय पर एक स्थान पर कितने दिन रहेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्नगत नलकूप चालकों को स्थायी न किये जाने का कारण खंडों में स्थायी पदों का अभाव अथवा कूप चालकों की कारगुजारियां आदि का सन्तोषजनक न होना है।

कूप चालक अपने निवास स्थान के २७ मील के दायरे के अन्दर पोस्ट नहीं किये जाते हैं। सामान्यतः इनका स्थानान्तरण करने के लिये अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अलीगढ़ जिले में गंगा नदी से कथित कटाव

*१०—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या आगामी वर्षों में अलीगढ़ में गंगा की धारा की प्रबल गति से होने वाले कटाव के कारण लोअर गंगा कैनाल की सम्भावित बरबादी को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

गंगा नदी की धारा की प्रबल गति से निकट भविष्य में अलीगढ़ जिले में निचली नहर गंगा को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः उसको रोकने के लिए इस समय किसी उपाय का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला जौनपुर में रामगढ़--करौरा मार्ग के निर्माण की प्रार्थना

*११--श्री मोती लाल यादव (जिला जौनपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर--इलाहाबाद राज मार्ग तथा मछलीशहर--जथही राज मार्ग मिलाने हेतु जिला जौनपुर के अन्तर्गत रामगढ़ कुंवरपुर बांदा करौरा, जिला जौनपुर पांच मील राज मार्ग का निर्माण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री धर्मसिंह--

जी नहीं ।

जिला जौनपुर में पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार सड़क निर्माण

*१२--श्री मोतीलाल यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाली जौनपुर के अन्तर्गत पटेल आयोग की सिफारिशों के आधार पर किन-किन सड़कों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा उनमें से कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो गया तथा उन पर कितनी धन-राशि व्यय हुई है और शेष स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह--

निम्नलिखित सड़कों का निर्माण स्वीकृत हुआ था। अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

सड़क का नाम	फरवरी, ७०. तक व्यय
	रु०
१--महाराजगंज पिलकिछा खुटाहान मार्ग	१३.९४८
२--मछलीशहर सुजानगंज मार्ग	८.५७४
३--सर्पतवा समोधपुर मार्ग	३.८४८
४--रामपुर बरसेठी बरसेवा मार्ग बरसेठ तक कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है..	६.३७७

फर्रुखाबाद जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों का बकाया वेतन

*१३--श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कुछ कर्मचारियों (मजदूरों) से अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फतेहगढ़ तथा मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश को अपनी मजदूरी का विभाग पर वर्षों से बकाया वेतन प्राप्त करने के लिये कोई प्रार्थना--पत्र अप्रैल माह के अन्दर दिया है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना--पत्र में क्या--क्या बातें लिखी गई हैं और उस पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही को पूरा किया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—

निम्नलिखित कर्मचारियों के माह अप्रैल, १९७० में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये:—

(१) श्री लऊवा सिंह, मेट
(२) श्री रामेश्वर, बेलदार
(३) श्री नाथूराम, बेलदार,
(४) श्री राम औतार, चौकीदार
(५) श्री चतुरी, लोहार
(६) श्री रामदीन, बेलदार
(७) श्री सूबेदार, बेलदार
(८) श्री रामदुलारे, वर्क-एजेन्ट

सर्वश्री लऊवा सिंह, रामेश्वर व नाथूराम के प्रार्थना-पत्र माह जुलाई, १९६९ के वेतन तथा एरियर भुगतान के सम्बन्ध में थे। इन व्यक्तियों के उक्त वेतन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तथा एरियर के भुगतान का विवरण तैयार किया जा रहा है।

श्री राम औतार के समस्त एरियर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

श्री चतुरी का एरियर बना कर महालेखाकार, को प्री-आडिट के लिये भेज दिया गया है।

सर्वश्री रामदीन व सूबेदार को एरियर नहीं देना है।

श्री राम दुलारे वर्क-एजेन्ट के यात्रा अधिदेयक के भुगतान के विषय में जांच की जा रही है।

मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

फतेहगढ़-फर्रूखाबाद-घटियाघाट सड़कों की मरम्मत

*१४—श्री महरम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के केन्द्र पर फतेहगढ़-फर्रुखाबाद के बीच तथा घटियाघाट (गंगा घाट) से फर्रुखाबाद तक सड़कें काफी खराब हालत में हैं जिनके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है? यदि हां, तो विभाग इसे ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है? और यदि अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह—

इन दोनों मार्गों पर यातायात की अधिकता होने के कारण गड्ढे पड़ जाते हैं जिनकी मरम्मत बराबर की जाती है।

जिला रामपुर के मोहब्बतनगर क्षेत्र में गलत सिंचाई कर की वसूली

*१५—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर, तहसील स्वार के मोहब्बतनगर एवं पर्वतपुर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था न होते हुये भी वहां के कृषकों से विभागीय अमीन द्वारा जबरदस्ती सिंचाई-कर वसूल किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह सत्य है कि १३७७ फसली (खरीफ १९६९–७०) में जिला रामपुर तहसील स्वार के मोहब्बत नगर क्षेत्र में वहां के पतरौल द्वारा गलत इन्दराज के कारण कुछ कृषकों पर उनके खेत सिंचित न होने के बावजूद भी सिंचाई कर लगा दिया गया जिसकी अब मीनाही दी जा रही है। इसके लिये सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है।

ग्राम पर्वतपुर में किसी कृषक को सिंचाई कर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

*१६—श्री नेतराम सिंह—

[पुनरावत्ति के कारण निरस्त]

जिला टिहरी गढ़वाल में मोटर मार्गों का निर्माण

*१७—श्री इन्द्र मणी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी–गढ़वाल जनपद में वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कितने मील मोटर मार्ग का निर्माण होगा तथा उन सड़कों के नाम क्या हैं ?

श्री धर्म सिंह—

टिहरी–गढ़वाल जनपद में वित्तीय वर्ष ७०–७१ में मोटर सड़कों के निर्माण तथा पुनर्निर्माण का जो भौतिक लक्ष्य रक्खा गया है वह निम्नलिखित है :

नव निर्माण—

	(मील में)
१—टिहरी–हिन्डोलाखाल मार्ग	२
२—कीर्तिनगर–बड़ियारगढ़ मार्ग	५

पुर्ननिर्माण एवं सुधार—

१—गदोलिया–घुन्टी मार्ग	२ मील १ फर्लांग
२—भल्दियाना–लम्बगांव मार्ग	५
३—चम्बा–मंसूरी मार्ग	९
४—टिहरी–कीर्तिनगर मार्ग	१२

सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एवं उप राजस्व अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१८—श्री राजितराम, पांडेय (जिला इलाहाबाद), श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री अमन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिनांक ९ जनवरी, १९७० व २१ जनवरी, १९७० को श्री गौरी दीक्षित, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, इलाहाबाद, केन कैनाल, बान्दा के उप–राजस्व अधिकारी, श्री विक्रम सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने पनगरा गये थे तथा उन्होंने वहां जांच की ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दी गई तथा उस रिपोर्ट को क्या सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

*१९—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिनांक ९ जनवरी, १९७० व २१ जनवरी, १९७० को पनगरा (बान्दा) में श्री गौरी दीक्षित, अधीक्षण अभियन्ता को श्री विक्रम सिंह, उप राजस्व अधिकारी के विरुद्ध जो बयान व सबूत दिये गये थे उन्हें अधीक्षण अभियन्ता ने गायब कर दिया

है ? क्या इसकी शिकायत लखनऊ से गये जांच अधिकारी के समक्ष दिनांक १० अप्रल, १९७० को जनता ने की ? यदि यह सही है, तो क्या सरकार इस अधीक्षण अभियन्ता को तत्काल निलम्बित कर मामले की जांच करेगी तथा जांच के परिणाम से सदन को कब तक अवगत करायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्री विक्रमसिंह उप राजस्व अधिकारी तथा श्री गौरी दीक्षित अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करवा ली गई है और सारा मामला सतर्कता विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। उनकी सिफारिश प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी।

*२०—श्री मैनेजर सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला बुलन्दशहर के दादरी–सूरजपुर–छलेरा मार्ग में परिवर्तन की जानकारी

*२१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले की दादरी, सूरजपुर, छलेरा रोड जिसका मार्ग बरौला होकर था और जिसकी भूमि भी चकबन्दी में गांवों से ८ वर्ष पूर्व ली जा चुकी है और सड़क भी पुख्ता बरोला के निकट तक बन चुकी है, अब अचानक नया मार्ग बदला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

डी० एफ० ओ० खीरी को ओला एवं अग्निपीड़ितों को लकड़ी देने की संस्तुति

*२२—श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी), श्री तेजनरायन (जिला खीरी), श्री सेवा राम (जिला खीरी) तथा श्री माखनलाल (जिला खीरी)—

क्या वन मंत्री को इस बात की सूचना है कि मार्च–अप्रैल, १९७० ई० में माल विभाग तहसील लखीमपुर खीरी ने श्री डी० एफ० ओ० साउथ-खीरी को परगना कुकुरा–पैला, हैदराबाद, अटावा, पिपरिया भूड़ आदि परगनों के ओलागर्दी तथा अग्नि–कांड पीड़ित किसानों को रिवाज या रियायत के मुताबिक साया (छाया) बनाने हेतु लकड़ी दिये जाने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

देहरादून में चाय के बागों को बेचने की जानकारी

*२३—श्री गोविन्द सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को यह विदित है कि जिला देहरादून में चाय बागान के मालिकान बागान पर हदबन्दी कानून लागून होने के कारण चाय बागों को खत्म कर उनकी हजारों बीघे जमीन बेच कर इस महत्वपूर्ण उद्योग को नष्ट कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये शासन नें क्या कदम उठाये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बुलन्दशहर क्षेत्र के साख सुहाना रजबहा में पानी की कमी की जानकारी

*२४—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि साख सुहाना रजबहा, जिला मेरठ, डिवीजन बुलन्दशहर, में गत दो माह से एक दिन भी पानी नहर में नहीं पहुंचा ? इससे कई गांव के किसान त्रस्त हैं और फसलें सूख रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की कि जिस से पानी पहुंच सके ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली वर्कशाप (सिंचाई) के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*२५—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बरेली वर्कशाप में भ्रष्टाचार व कार्य अक्षमता के सन्दर्भ में १३ मार्च, १९७०, ६ अप्रैल, १९७० व २० अप्रैल, १९७० को किसी विधायक के पत्र सिंचाई मंत्री जी को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी ने उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

जी हां । श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा, प्रश्न में कथित पत्र प्राप्त हुए थे । शिकायतों की जांच मुख्य अभियंता को सौंपी गई है ।

उन्नाव–इलाहाबाद मार्ग पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही

*२६—कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव–इलाहाबाद रोड की दोनों पटरियों पर सरयू नगर तथा कुन्डा बाजार, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ में लोगों ने अवैध कब्जा करके पक्के मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां । इनको हटाने के लिये कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

जिला बरेली के ढोरनियां नदी पर पुल निर्माण की जानकारी

*२७—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के ग्राम सेड़ा, तहसील बरेली तथा ग्राम पचगेड़ा, तहसील नवागंज पर ढोरनियां नदी पर एक पुल निर्माण कराने का विचार है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री धर्म सिंह—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित पुलों के निर्माण कराने की कोई योजना नहीं है ।

सीतापुर के परगना तम्बौर में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*२८—श्री कृष्णाकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील विसवां के परगना तम्बौर १ व २ तथा परगना कोड़री में सीलिंग में कितनी भूमि निकली थी और भूमिहीनों में

कितनी भूमि का वितरण हुआ है या वह भूमि अब भी उन्हीं किसानों के अधिकार में है जिनसे वह भूमि निकली थी? क्या राजस्व मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के तहसील बिसवां के परगना तम्बोर १ व २ तथा कौड़री में कितनी भूमि ऐसी है जिसका भू-राजस्व सरकार को नहीं मिलता?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला सीतापुर की तहसील बिसवां के परगना तम्बोर १ व २ कोंडरी में २,४८९.५५ एकड़ अतिरिक्त भूमि सीलिंग के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त हुई थी। इसमें से भूमिहीनों को १,६३६.३९ एकड़ भूमि तथा भूतपूर्व काश्तकारों तथा उनके परिवार वालों को १०८.५१ एकड़ भूमि दी गई है। तहसील बिसवां के परगना तम्बोर १ व २ तथा कोंडरी में ७४४.६५ एकड़ भूमि ऐसी है जिसका भू-राजस्व सरकार को नहीं मिलता है।

राबर्ट्सगंज बन्धी डिवीजन में बन्धियों का निर्माण

*२९—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज बन्धी डिवीजन में बनने वाली योजनाओं के अन्तर्गत बंधियां बनाई जा रही हैं? उसको कार्यान्वित करने हेतु बिना टेन्डर काल किये कितने रुपयों में एग्रीमेंट किये गये तथा ऐसा क्यों किया गया?

*३०—क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजनाओं की क्या प्रगति हुई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मेरठ, आगरा व रुहेलखंड खण्ड डिवीजनों में सरकारी नलकूप

*३१—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ, आगरा व रुहेलखंड डिवीजनों के प्रत्येक जिलों में प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने सरकारी ट्यूबवेल थे और वर्ष १९६८-६९ में उनकी संख्या कितनी हो गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के शुरू में कुल २,२५४ राजकीय नलकूप मेरठ, आगरा तथा रुहेलखण्ड डिवीजनों में थे और वर्ष १९६८-६९ के अन्त में इन की संख्या ५,०१९ हो गई। इनका जिलेवार ब्योरा संलग्न तालिका "अ" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११८ पर)

जिला बस्ती में लेटरल रोड में लीगर्स भूमि का मुआवजा

*३२—श्री मुहम्मद नबी (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में लेटरल रोड के निर्माण के सिलसिले में कितने ऐसे लोगों की भूमि ली गई है जिनके पास अब कुछ भूमि खेती करने के लिये बाकी नहीं रह गई है?

श्री धर्मसिंह—

बस्ती जिले में लेटरल रोड के निर्माण के सिलसिले में जिन लोगों की भूमि ली गई है उनमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अब कुछ भी भूमि खेती करने के लिये न बची हो।

*३३—श्री मुहम्मद नबी—

क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि उक्त रोड के सम्बन्ध में जिन लोगों की भूमि ली गई है उसका मुआविजा भी ५ मई, १९७० तक नहीं दिया गया है और भूमि के लेने के बाद भी लगान वसूला गया? इसका क्या कारण है?

श्री धर्म सिंह—

इस रोड के सम्बन्ध में जिन लोगों की भूमि ली गई है उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, परन्तु ली गई भूमि के लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है।

नगरपालिका रुद्रपुर, जिला नैनीताल में नजूल प्लाटों के अनियमित पट्टों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*३४—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक ६ मई, १९७० को नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम पर क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिन १६ नजूल प्लाटों को दिनांक ६ अगस्त, १९६८ से ८ दिसम्बर, १९६८ तक की अवधि में अनियमित तौर पर पट्टा स्वीकृत कराया गया और जिस अनियमितता के कारण ५ लाख की हानि का अनुमान सरकार ने बताया है इसका पता कब मालूम हुआ था तथा तब से दिनांक २० मई, १९७० तक शासन ने क्या कार्यवाही की? क्या मन्त्री जी यह भी बतावेंगे कि सन् १९६८ में जब यह अनियमित कार्यवाही हो रही थी उस वक्त नोटीफाइड एरिया कमेटी के मन्त्री, एकांउन्टेन्ट व लिपिक आदि कौन-कौन थे? क्या उनके नामों की पूर्ण सूची सदन में रखने की कृपा करेंगे और इस वक्त ये कर्मचारी कहां पर कार्य कर रहे हैं?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

[२४ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बलिया बैरिया बांध पर गंगा के कटाव को रोकने में व्यय

*१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया बैरिया बांध पर गाय घाट के सामने गंगा के कटाव को रोकने में दिनांक ३० जुलाई, १९६९ तक सरकार ने कितना रुपया खर्च किया है और बांध नदी से कितनी दूर पर है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न का प्रथम भाग:

इस बांध के मील ११.० से मील १२.० तक की लम्बाई में गायघाट ग्राम के समीप कटाव को रोकने के लिये अस्थाई व्यवस्था पर प्रश्न में उल्लिखित तिथि तक सरकार ने लगभग १२.६६९ लाख रुपये व्यय किया।

प्रश्न का दूसरा भाग:

बांध के मील ११-५-३२३ से ११-६-२७६ के बीच में ३०/७/१९६९ को बांध से नदी तट की दूरी २० से २५ फुट थी।

*२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष १९६९ में दिनांक ३१ जुलाई, १९६९ तक इस कटाव को रोकने के लिये ठेका किन-किन वस्तुओं के लिये कब दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११९ पर)

*३-४—श्री जगदीश गांधी—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला इलाहाबाद में पेय जल के लिये नलपूप

*५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि गत वित्तीय वर्ष में जनपद इलाहाबाद में जो पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाये गये थे उनसे पाइप द्वारा पीने के पानी की सप्लाई कब से की जायेगी तथा पानी के पीने की सप्लाई अभी तक क्यों नहीं की जा सकी है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

गत वित्तीय वर्ष में जनपद इलाहाबाद के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु ५ नईकूपों का निर्माण किया गया था परन्तु सूखे की समाप्ति पर आगे का कार्य रोक दिया गया था। धनाभाव के कारण निश्चित रूप से अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इन नलकूपों से स्थाई पेयजल व्यवस्था कब तक की जा सकेगी।

*६—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

*७-८—श्री तेजपाल—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*९—श्री जयनारायण सिंह—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला देवरिया के ग्राम भीखमपुर में अग्निकांड

*१०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भीखमपुर, थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया, के अग्निकांड दिनांक १७ मार्च, १९७० में कितने घर जले, किस प्रकार की कितनी जनराशि की सम्पत्ति जल कर नष्ट हुई, कितने लोग प्रभावित हुये और उनकी सहायता के लिये सरकार की तरफ से क्या किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

दिनांक १७ मार्च, १९७० को दिन में ११ बजे आकस्मिक आग लग जाने से कुल ४१ घर जले और ४१ परिवार प्रभावित हुए तथा कपड़ा, गल्ला, नकद रुपया साईकिल और तीन पशु जल गये जिससे कुल लगभग १,१८,४२० रुपये की हानि हुई।

प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल २७१.४१ रुपये का गल्ला सहायता के रूप में बांटा जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त १६४० रुपये नकद अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया है।

जिन व्यक्तियों को इन अग्निकांड से नुक्सान हुआ है उनसे सभी सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है।

*११–१२—श्री महरम सिंह—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

कस्बा लालगोपालगंज को टाउन एरिया बनाने की मांग

*१३—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के लालगोपालगंज कस्बे को टाउन एरिया बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा?

श्री अतीकुर्रहमान—

कोई पूर्व प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव यह मामला विचाराधीन नहीं है।

*१४—श्री मंजूर अहमद तथा श्री राजित राम पाण्डेय—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१५—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१६—श्री हरिवंश सहाय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला देवरिया में बांगरा बाजार–बंगरूआ तथा रतसिया–रामपुर बुजुर्ग मार्गों का निर्माण

*१७—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत बांगरा बाजार से बंगरूआ वाया पड़रीघाट की सड़क ३,७५ लाख रुपये तथा रतसिया से रामपुर बुजुर्ग वाया सुन्दरपार की सड़क ३ लाख रुपये में निर्माण हेतु स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उक्त सड़क पर कब कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री धर्म सिंह—

प्रश्न-गत सड़कों का निर्माण १९७०–७१ के आय-व्ययक में विचाराधीन है। चूंकि वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कार्य कब तक प्रारम्भ होगा।

R.A. 6046
183926

*१८—श्री मंजूर अहमद तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

नैनीताल के गोविन्दनगर (देवरिया) के फेल घोषित नलकूप का पेय जल हेतु प्रयोग

*१९—श्री इन्द्र लाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक १३ मई, १९७० ई० को नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या १० के उत्तर के क्रम पर क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५३ में यह नलकूप कितनी लागत से किस अधिकारी द्वारा बनाया गया था और जब यह फेल घोषित हो चुका है, तो इसके पाइप आदि कहां इस्तेमाल किये जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न-गत नलकूप गोविन्दनगर (देवरिया) सहित तीन नलकूपों का प्राक्कलन एक ही था तथा इन तीनों कूपों पर ४३,८४३.४० रुपये व्यय हुआ था। चूंकि समस्त व्यय का लेखा एक साथ था इस कारण कूप-वार व्यय नहीं रखा गया। इस नलकूप का निर्माण श्री डी० डी० सेम्वाल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के अन्तर्गत श्री जी० एल० धीर सुपरवाइजर द्वारा किया गया था। यह कूप अभी पेय जल हेतु चल रहा है। अतः इसक पाइप आदि निकालने या अन्य स्थान पर प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त आयुक्त गोरखपुर के कार्यालय से फाइलें गायब होना

*२०—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर अतिरिक्त आयुक्त के न्यायालय में ४६ मुकदमों की मिसलें तथा ५० अपीलों के कागजात अप्रैल, सन् १९७० में गायब हो गये ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उसमें क्या कार्यवाही की और कितने अभियुक्त पकड़े गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अतिरिक्त आयुक्त, गोरखपुर के न्यायालय की ४६ निर्णीत अपील फाइलें तथा रिकार्ड रूम से ५० अपीलों के मेमो गायब हो गये हैं। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है, परन्तु अभी तक कोई बरामदगी अथवा किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

अतिरिक्त आयुक्त, गोरखपुर के कार्यालय में भ्रष्टाचार की कथित शिकायतें

*२१—श्री श्याम लाल—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर अतिरिक्त आयुक्त के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उसमें अभी तक कितनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं, शासन को अतिरिक्त आयुक्त, गोरखपुर के कार्यालय के खिलाफ (अभी हाल में) कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है जिसके आधार पर किसी क विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती।

*२२—श्री विश्राम दास—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

सिंचाई कर्मशाला मेरठ में सहायक अभियन्ता की नियुक्ति

*२३—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), श्री श्याम लाल तथा श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कर्मशाला मेरठ में श्री आर० एस० दुबलिश, सहायक अभियन्ता, जो मेरठ जिले के ही रहने वाले हैं, को सन् १९६७ से उन्हीं के जिले में नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्री रतन स्वरूप दुबलिश, सहायक यांत्रिक अभियन्ता, जो मेरठ जिले के निवासी हैं, को उनकी पत्नी के इलाज हेतु मेरठ वर्कशाप में २७-११-६७ से नियुक्त किया गया था।

*२४-२५—श्री गंगा प्रसाद—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला देवरिया के ग्राम बभनौली कलां में सीलिंग से प्राप्त भूमि का पट्टा

*२६—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बभनौली कलां, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में सीलिंग ऐक्ट से कितने एकड़ भूमि प्राप्त हुई है ? क्या यह जमीन भूमिहीनों तथा हरिजनों में बांटी गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब उसे कब तक वितरित किया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गांव बभनौली कलां, तहसील सलेमपुर में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त कुल ८.९८ डि० भूमि उपलब्ध है जिसे भूमिहीनों में वितरित करने के लिए उस गांव के भूमिहीनों की सूची तैयार करके उसकी जांच कर ली गई है। भूमि पट्टे पर शीघ्र उठा दी जावेगी।

*२७—श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर के ग्राम मिश्रौली में ८ प्रतिशत से अधिक कितने एकड़ भूमि ग्राम समाज के पास है और क्या यह जमीन भूमिहीन हरिजनों में वितरित की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गांव मिश्रौली, तहसील सलेमपुर में ८ प्रतिशत से अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इस गांव में भूमि वितरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में लगान में छूट

*२८—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के बाढ़ तथा ओला ग्रस्त क्षेत्र में १९६९-७० में मालगुजारी में छूट दी गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी सूचना अथवा छूट के पर्चे वसूली के पूर्व काश्तकारों को मिल जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, रबी १३७६ की फसल को ओले से हुई हानि के कारण मालगुजारी तथा लगान में छूट स्वीकृत की गई एवं संबंधित कृषकों को सूचित कर दिया गया है। खरीफ १३७७ फसली को बाढ़ से पहुंची हानि के कारण भी छूट स्वीकृत की जा चुकी है तथा छूट के पर्चे संबंधित

काश्तकारों को बंटवाये जा रहे हैं। रबी १३७७ फसली में ओलों के कारण ऐसी सहायता की आवश्यकता नहीं पाई गई।

टाउन एरिया नवाबगज में कथित रिक्त स्थान

*२९—श्री चेतराम गंगवार—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को पता है कि जिला बरेली में नवाबगंज टाउन एरिया के चार सदस्यों के स्थान तीन वर्ष से रिक्त हैं? यदि हां, तो उन स्थानों के चुनाव कब तक कराने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अतीकुर्रहमान—

कोई रिक्ति नहीं हुई है। चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*३०–३१—श्री रामलाल राही—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३२—श्री शेष नारायण शुक्ल—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला मेरठ के ग्राम किठोर को वर्षा के पानी से बचाने हेतु नाले का निर्माण

*३३—श्री मंजूर अहमद, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री श्याम लाल तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, १९५७ से जुलाई, १९६९ तक हर वर्ष ग्राम किठोर मोहल्ला जलालुद्दीन पुरा ब्लाक परीक्षतगढ़ जिला मेरठ, वर्षा अधिक होने के कारण लगभग आधा ग्राम तालाब की चपेट में आ जाता है और सैकड़ों मकान गिर जाते हैं तथा रास्ता बन्द हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी कि जिससे उक्त तालाब का पानी बरसात में निकालकर गांव को होने वाली क्षति से बचाया जा सके?

श्री बीरेंद्र वर्मा—

ग्राम किठोर के मोहल्ला जलालुद्दीन पुरा में अधिक वर्षा के समय पानी का जमाव ग्राम के उत्तर में स्थित तालाब में होता है, जिसके फैलाव से आबादी तथा मकानों को क्षति होती है।

ग्राम के दक्षिण में एक अन्य तालाब है जिससे किठोर नाला निकलता है। सर्वेक्षण द्वारा यह देख लिया गया है कि उत्तरी तालाब को दक्षिणी तालाब से ३ फरलांग २०० फीट लम्बी कट से जोड़ा जा सकता है परन्तु यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाना है क्योंकि वर्तमान शासनादेशों के अनुसार १ मील तक के एक ही ग्राम से होकर जाने वाले नालों के निर्माण का उत्तरदायित्व ग्राम सभा पर है।

*३४—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

झांसी जिले में सड़कों का निर्माण

*३५—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में चौथी योजना में प्राथमिकता के आधार पर कौन-कौन सी कितने मील की पक्की सड़कें बनाने का विचार है?

श्री धर्म सिंह—

जिला झांसी में जिन सड़कों का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है उन की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. १२० पर)

इलाहाबाद के हंडिया कस्बे को टाउन एरिया बनाने की मांग

*३६—श्री राजित राम पांडेय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार तहसील हंडिया कस्बे को टाउन एरिया बनाये जाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*३७—श्री शिव कैलाश—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३८—श्री राम चन्द्र विकल—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला खीरी के सुखवसा गांव में अग्निकांड

*३९—श्री छेदालाल चौधरी, श्री सेवाराम तथा श्री तेजनरायन—

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की सूचना है कि गत दिनांक १० मई, १९७० ई० को अचानक सुखवसा, परगना व थाना पसगवां, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में भीषण अग्निकांड की दैवी दुर्घटना होने के फलस्वरूप ३ व्यक्तियों की उसमें मृत्यु हो गयी और ३ व्यक्ति चिन्ताजनक गम्भीर स्थिति में पसगवां अस्पाल में पड़े हुये हैं। इसके अतिरिक्त ७ पशुओं की जानें गई हैं और पूरा गांव आग की लपटों में स्वाहा हो गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा पीड़ितों को कौन-कौन सी सहायता पहुंचाई गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कथित ग्राम में १०–५–७० को अचानक आग लगने के फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति घायल हो गये । घायल व्यक्तियों को मौके पर ही डाक्टरी सहायता दिलाकर पसगवां अस्पताल में भरती करा दिया गया जो अब स्वस्थ होकर वापस चले गये हैं । इसके अतिरिक्त चार पशुओं की जानें भी गईं और एक पशु घायल हुआ । इस गांव के ५७ घर आग की लपटों से पूर्णतया तथा ४५ आंशिक रूप से जल गये ।

शासन द्वारा पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता दी गई:—

१—अहेतुक सहायता का वितरण किया गया ।

२—मालगुजारी, नहर की आबपाशी एवं ट्यूब वेल का मतालवा, खाद्य की तकावी तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली मुल्तवी कर दी गई ।

३—तकावी, वन उपज तथा टिन शीट के लिये पीड़ितों को प्रार्थना-पत्र देने के लिये कहा गया ।

४—पीड़ितों को सहायतार्थ नहर की गूलें तुरन्त खुलावाने की व्यवस्था कराई गई ।

५—गन्ने की विशेष पर्चियां प्रदान किये जाने एवं प्राथमिकता के आधार पर गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया गया ।

*४०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मथुरा जिले में सड़कों का निर्माण रोका जाना

*४१—श्री शान्तीचरन पिड़ारा (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ जनवरी, १९७० को तत्कालीन वित्त मंत्री ने मथुरा जिले में किन-किन सड़कों के निर्माण-कार्य का श्रीगणेश किया था और क्या वर्तमान सरकार ने उन सड़कों में से किन्हीं सड़कों का निर्माण कार्य रोक दिया है? यदि ऐसा है तो किन-किन सड़कों का निर्माण-कार्य रोका गया है और ऐसा क्यों किया गया है?

श्री धर्म सिंह—

जिला मथुरा में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने जिन-जिन सड़कों के निर्माण-कार्य का श्रीगणेश किया था और इनमें से वर्तमान सरकार ने जिन सड़कों का निर्माण रोक दिया है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है। रोकी गई सड़कों का निर्माण कराना उचित नहीं समझा गया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२१ पर)

वृन्दावन में यमुना पर पक्का पुल निर्माण की मांग

*४२—श्री शान्ती चरन पिड़ारा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ब्रिज फंड की सहायता से प्रदेश की नदियों पर पुल का निर्माण करने की योजनायें विचाराधीन हैं और क्या उन योजनाओं में वृन्दाबन में यमुना पर एक स्थायी पुल की योजना भी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निर्माण के बारे में विचार करेगी?

श्री धर्म सिंह—

वृन्दाबन में यमुना नदी पर पक्का पुल निर्माण कराने की कोई योजना नहीं है ।

नगरमहापालिका कानपुर से लखनऊ को स्थानान्तरित अभियन्ताओं की नियुक्ति की जानकारी

*४३—श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय तथा श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वायत्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मई माह में कानपुर नगरमहापालिका से लखनऊ नगर महापालिका को स्थानान्तरित सहायक अभियन्ताओं को लखनऊ महापालिका के मुख्य अधिकारी ने सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्त न करके अन्य पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*४४–४५—श्री जगदीश गांधी—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

नगरपालिका कालपी द्वारा दुकानें उखाड़ने के विरुद्ध रोकनादेश

*४६—श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन मंत्री ने मई, १९७० क प्रथम सप्ताह में कल्लू लाल चौधरी वगैरह की दुकानों को नगरपालिका, कालपी की ओर से उखाड़ने की कार्यवाही के खिलाफ रोकनादेश दिया था ? यदि हां, तो वह आदेश जिलाधिकारी जालौन के पास अभी तक न पहुंचने का कारण क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। रोकनादेश जिलाधीश के कार्यालय में १—६—७० को प्राप्त हो गया है।

शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने पर विचार

*४७—श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि क्या व्यक्तिगत शहरी सम्पत्ति पर सीमा बांधने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके वितरण क्या हैं और वह कब तक कार्यान्वित की जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह विषय अभी शासन के विचाराधीन है। अतः इस स्थिति में विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

*४८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१०वें मंगलवार के ता० प्र० सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४९—श्री नित्यानन्द स्वामी —

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास निर्माण की जानकारी

*५०—श्री महरम सिंह, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री रामकुमार शास्त्री तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के जिलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचरियों के आवास स्थान बनाने के कोई आदेश मई महीने में दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं।

नगरपालिका सोरों द्वारा घनश्याम ताल की बिक्री की जांच

*५१—श्री सिया राम (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरपालिका, सोरों, जिला एटा के द्वारा घनश्याम ताल की भूमि २३ जनवरी, १९७० को एक हजार रुपये में बेची गई ? क्या उसकी पूर्व स्वीकृति जिला अधिकारी, एटा से प्राप्त कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी, एटा की बिना पूर्व स्वीकृति के यह भूमि क्यों बेची गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इसकी स्वीकृति जिलाधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। इस विषय में जांच की जा रही है।

चकबन्दी व्यय की प्रति एकड़ दर

*५२—श्री कृष्ण स्वरूप —

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर तथा हरदोई जिले की जिन तहसीलों में चकबन्दी हो रही है वहां चकबन्दी के खर्चे के रूप में कितना रुपया इस वर्ष प्रति एकड़ काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है, वर्ष १९६८–६९ में इस खर्चे की दर क्या थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

समस्त प्रदेश के लिये चकबन्दी व्यय की वसूली की प्रति एकड़ दर एक समान है जो इन चारो जिलों पर भी लागू है। इस वर्ष में तथा वर्ष १९६८–६९ में इस खर्च की वसूली की दरों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२२ पर)

*५३—श्री कृष्ण स्वरूप—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सीतापुर जिले के गांवों में भूमि पर अनधिकार कब्जा

*५४—श्री कृष्णकान्त तथा श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां तथा सिधौली में परगना कौड़री उत्तरी तथा दक्षिणी में बहुत से गांव में लोग अनधिकार भूमि पर कब्जा किये हुये हैं, जो भू–राजस्व भी सरकार को अदा नहीं करते ? यदि हां, तो सरकार अनाधिकार भूमि निकाल कर भमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हां, जानकारी है।

काविज व्यक्तियों की बेदखली के बाद भूमि का पट्टा भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जायगा।

आवास एवं विकास परिषद्, मेरठ द्वारा अर्जित भूमि

*५५—श्री विक्रम सिंह (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में आवास एवं विकास परिषद् ने प्रारम्भ से अब तक कितनी भूमि विकसित प्लाटों तथा भवन निर्माण हेतु क्रय की अथवा एक्वायर की, उक्त भूमि कहां-कहां पर है तथा उनका कितना मूल्य दिया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

आवास एवं विकास परिषद् ने अब तक लगभग ३२० एकड़ भूमि मेरठ–दिल्ली व मेरठ बागपत रोड के बीच, मेरठ गढ़मुक्तेश्वर व मेरठ–हापुड़ रोड के बीच, मोहनपुरी तथा इस्लामाबाद में अर्जित की है तथा भू–अर्जन व्यय के रूप में रु० १९.७२ लाख सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। सर्वे, एस्टीमेट व टैण्डर की कार्यवाही के बाद विकास कार्य शीघ्र शुरू किया जायगा।

*५६—श्री विक्रम सिंह—

मेरठ में अब तक परिषद् को किस-किस योजना के लिये कितनी-कितनी भूमि पर अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा किन–किन योजनाओं के लिये भूमि प्राप्ति की कार्यवाही चल रही है और उन पर अधिकार मिलने की कब तक सम्भावना है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

परिषद् को मेरठ-दिल्ली व मेरठ-बागपत रोड के बीच (योजना नं० २) ५३ एकड़ भूमि पर, मेरठ गढ़मुक्तेश्वर व मेरठ-हापुड़ रोड के बीच (योजना नं० ३) २४४ एकड़ भूमि पर, मोहनपुरी (योजना नं० ४) १६ एकड़ भूमि पर तथा इस्लामाबाद (योजना नं० ५) ७ एकड़ भूमि पर कब्जा मिल चुका है। निम्नलिखित योजनाओं में भू-अर्जन की कार्यवाही चल रही है लेकिन यह कह सकना मुश्किल है कि इन पर कब्जा कब तक मिल जायगा :--

	एकड़
१---आबूनाला व मेरठ छावनी स्टेशन रोड के बीच (योजना नं० १)	१०३
२---मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर रोड पर मेडिकल कालेज के सामने (योजना नं० ६)	२८०
३---मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर रोड पर (योजना नं० ७) ..	४५०

*५७-५८---श्रीमती मसाली देवी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मछली शहर तहसील में हुए फर्जी बैनामों पर कार्यवाही

*५९---श्री रामदेव---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जनपद की मछली शहर तहसील में १ जनवरी, १९६७ ई० से १ मई, १९७० ई० तक कितने बैनामे हुये और बाद में उनमें से कितने फर्जी साबित हुये ? इन फर्जी बैनामों के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतर्भुज शर्मा---

उल्लिखित अवधि में कुल ११४०१ बैनामे हुये। इनमें से २ बैनामे फर्जी साबित हुये, अतः फौजदारी मुकदमा चलाया गया।

*६०-६१---श्री अनन्त राम जायसवाल---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला बुलन्दशहर में नलकूपों के ट्रान्सफार्मर की चोरी

*६२---श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री चेतराम गंगवार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में सरकारी ट्यूबवेल ६ व ८ डी० वी० का ट्रांसफार्मर १८ फरवरी, १९७० को उतर गया है ? यदि हां, तो अब तक उसे न लगाने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इन नलकूपों का ट्रांसफार्मर १८-४-७० को चोरी हो गया था। इन पर अब नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है।

*६३-६४---श्री सजीवनलाल---

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६५-६६---श्री मुन्शीलाल चमार---

[१४ वें शुक्रवार के प्र० सं० ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ के ग्राम किठोर को टाउन एरिया बनाने पर विचार

*६७—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत ग्राम किठौर, जिसकी आबादी करीब १३ हजार है, की जनता करीब ८–१० वर्षों से लगातार किठौर को टाउन एरिया बनाने की मांग करती चली आ रही है ? यदि हां, तो उसे टाउन एरिया अब तक क्यों नहीं बनाया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

ग्राम किठौर को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव १ जुलाई, १९६७ से शासन के विचाराधीन है। ग्राम पंचायतों के सामान्य चुनाव व जन गणना तक यह विचार स्थगित कर दिया गया है।

*६८—श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद—

क्या यह सही है कि करीब ३ माह पूर्व जिला अधिकारी, मेरठ व कमिश्नर ने सरकार से इसे टाउन एरिया बनाये जाने की सिफारिश भी की है ? यदि हां, तो अब तक टाउन एरिया क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। टाउन एरिया न बनाने के कारण ऊपर व्यक्त किये जा चुके हैं।

*६९—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

कैनाल डिवीजन रामपुर के सहायक अभियन्ता का त्याग-पत्र

*७०—इन्द्र लाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक २० मई, १९७० को नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के क्रम पर क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिस अभियन्ता का त्याग-पत्र शासन ने सशर्त स्वीकार किया है, वे अभियन्ता कौन हैं और शासन को त्याग-पत्र सशर्त स्वीकार करने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्री राजेश्वर शरण, शारदा रामपुर कैनाल डिवीजन, रामपुर, के सहायक अभियंता का त्याग-पत्र शासन ने सशर्त स्वीकार किया है। सामान्य तौर पर त्याग-पत्र शासन द्वारा सशर्त स्वीकार कर लिये जाते हैं।

*७१—७२—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

*७३–७४—श्री अनीसुर्रहमान—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिये गये]

*७५—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला एटा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*७६—श्री बइन सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में १ जनवरी, सन् १९७० से २५ मई, सन् १९७० तक आगजनी की कितनी घटनायें घटित हुई हैं तथा अग्निकाण्ड से पीड़ित ग्रामवासियों को सरकार द्वारा हेतुक तथा अहेतुक कितनी सहायत दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस अवधि में ११२ घटनायें घटित हुईं तथा अग्निकाण्ड से पीड़ित ग्रामवासियों को सरकार द्वारा १७७० रु० अहेतुक सहायता दी गई तथा २५,००० रु० डिस्ट्रेस तकावी के रूप में वितरित किये जाने के लिये स्वीकृत किये गये जिनका वितरण जारी है।

जिला आजमगढ़ में मधुबन-दुबारी सड़क का निर्माण

*७७—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत शासन द्वारा मधबन से दुबारी तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य जो आरम्भ किया गया था वह अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया ओर यह कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री धर्म सिंह—

मधुबन–दुबारी सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है और उस पर यातायात भी चालू है।

जिला प्रतापगढ़ के कुण्डा नगर को टाउन एरिया बनाने पर विचार

*७८—श्री जय राम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

विधान सभा १९६९ के द्वितीय सत्र के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ की तहसील कुन्डा के मुख्यावास नगर को टाउन एरिया का दर्जा घोषित करने में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

कुन्डा में टाउन एरिया स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। उससे संबंधित कुछ आवश्यक तथ्यों के विषय में आयुक्त से अंतिम आख्या मांगी गई है।

नगरपालिका गाजियाबाद में कर अधीक्षक की नियुक्ति

*७९—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ), श्री राजितराम पांडेय तथा श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि गाजियाबाद के नगरपालिका के कर अधीक्षक गाजियाबाद के रहने वाले हैं और लगभग २० वर्ष नगरपालिका गाजियाबाद में इसी पद पर कार्य कर चुके हैं ? यदि हां, तो फिर उन्हें गाजियाबाद में क्यों और किस आधार पर फिर गाजियाबाद नगरपालिका में उनको नियुक्त किया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

संबंधित प्रश्न श्री पूरन चन्द, कर-अधीक्षक के बारे में किया गया जान पड़ता है। श्री पूरन चन्द गाजियाबाद के रहने वाले हैं तथा दिनांक ६ फरवरी, १९४८ से नगरपालिका गाजियाबाद में कर अधीक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और दिनांक ३ जुलाई, १९६७ तक वह कार्य करते रहे। इसके बाद वहां से इनका स्थानान्तरण कर दिया गया। शासन के पास

श्री पूरन चन्द के पिता श्री सागर मल का प्रार्थना-पत्र अप्रैल, १९७० में प्राप्त हुआ था कि वह बीमार चल रहे है और फालिज तथा अन्य कई रोगों से पीड़ित हैं। उनकी प्रार्थना पर श्री पूरनचन्द की तैनाती नगरपालिका, गाजियाबाद में अप्रैल, १९७० में करदी गई है।

*८०—श्री प्यारे लाल, श्री राजित राम पांडेय तथा श्री जगदीश गांधी—

क्या मंत्री जी यह बतावेंगे कि वर्तमान कर अधीक्षक के विरुद्ध १९६७–६८ में तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता ने रिश्वत के आरोप में उन का अधीक्षक के विरुद्ध एडवर्स एन्ट्री दी थी और उसका तबादला कराया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

श्री पूरन चन्द के मकानों के कर निर्माण के संबंध में कुछ लापरवाई की थी जिसके लिये उन्हें सेंसर (censure) किया गया था। तबादला शासन द्वारा किया गया था।

*८१–८२—श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री शिव कैलाश—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

तहसील फरेंदा में सीलिंग से प्राप्त भूमि

*८३—श्री राम लगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जनपद गोरखपुर तहसील फरेंदा की ग्राम सभा लक्ष्मीनगर हथिहवा, करमहवा, चकदह, मनिकापुर, नगेशपुर, हरपुर सेंवतरी, जमुहानी, रघुनाथपुर, रानीपुर, आराजी-सुबाइन घोतिहवा, कजरी और मठियाईदू—नवावी घाट में ग्राम समाज और सीलिंग की कितनी-कितनी भूमि जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा सीलिंग ऐक्ट के लागू किये जाने के बाद उपलब्ध हुई तथा इस समय कितनी-कितनी अवशेष है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्रामवार सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ १२३ पर)

*८४—श्री हरवंश प्रसाद—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

परगनाधिकारी मोहनलालगंज के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*८५—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखनऊ के अन्तर्गत तहसील मोहनलालगंज के करीब २०० गांवों में नियम विरुद्ध परगनाधिकारी ने गांव समाज की भूमि पर बड़े लोगों, तहसील कर्मचारियों तथा नगर के निवासियों को कागजात दुरुस्ती के नाम पर सीरदार बना दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि में बाग, तालाब, आबादी, खेल के मैदान, स्कूल, वन विभाग की भूमि व किसानों के खेत भी शामिल हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सत्य है कि जिला लखनऊ के अन्तर्गत तहसील मोहनलालगंज के कई गांवों में नियम विरुद्ध परगनाधिकारी ने गांव सभा की भूमि पर व्यक्तियों को सीरदार बना दिया है। इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में उक्त भूमि में बाग, तालाब व वन विभाग की भूमि के शामिल होने का उल्लेख है।

*८६—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस विषय में सरकार द्वारा कोई जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो सतर्कता विभाग ने क्या रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, इस विषय में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है जो अभी जारी है ।

इलाहाबाद नगर में लीज का नवीनीकरण

*८७—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर में बड़ी मात्रा में सिविल लाइन्स तथा अन्य क्षेत्रों में बंगलों की जमीन ९० वर्ष की लीज पर दी गई थी ? क्या सरकार को यह पता है कि कई वर्षों से लीज समाप्त हो गई एवं उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है । यदि हां, तो लीज का नवीनीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां । समाप्त पट्टों के नवीनीकरण (renewal) का प्रश्न नहीं उठता परन्तु पूर्व पट्टेदारों की प्रार्थना पर उनको नये पट्टे देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है । ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*८८—श्री त्रिवेनी सहाय—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*८९—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*९०-९१—श्री सूबेदार प्रसाद—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

जिला बुलन्दशहर के ग्राम कारौंजी में अग्निकाण्ड पीड़ितों को सहायता

*९२—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ६ मई, १९७० को ग्राम करौंजी, थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर में साढ़े ४ बजे आंधी तूफान के कारण भयानक अग्निकान्ड हो गया है, जिसमें ३० घर बिल्कुल तबाह व बरबाद हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना सम्बन्धी सहायता के लिये कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । जिला बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के अंतर्गत ग्राम कारौंजी में ६ मई, १९७० को ४ बजे सायंकाल तेज आंधी के कारण आग लग गई थी जिससे ३० परिवार प्रभावित हुए । इनमें से केवल २ परिवारों के खलिहान जले शेष २८ परिवारों के खलिहान नहीं जले । सहायता सम्बन्धी केवल एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार अनूपशहर को प्राप्त हुआ । इस प्रार्थना पत्र में लगान में छूट की प्रार्थना की गई थी । जिन २ परिवारों के खलिहान जले हैं उनसे लगान नहीं वसूल किया जा रहा है तथा भू-राजस्व सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

*९३—श्री दलसिंगार—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*९४—हरीसिंह विष्ट—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला जालौन में नलकूपों के लिए सर्वेक्षण

*९५—श्री शिव सम्पति शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में जो राजकीय नलकूप योजना के लिय सर्वे जो हुआ था उसका परिणाम क्या निकला तथा नलकूप किन-किन गांवों में बनाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला जालौन में जो सर्वे हुआ है वह एक्सप्लोरेटरी नलकूपों के लिये किया गया है। राजकीय नलकूप लगाने का प्रश्न भूगर्भिक सर्वेक्षण हेतु बनने वाले नलकूपों का छिद्रण होने के बाद तथा उनका परिणाम मिलने के बाद ही लिया जा सकता है।

*९६—श्री शिव सम्पति शर्मा—

क्या सरकार मौजा भेंडी, बड़ा गांव, कदौरा ब्लाक जिला जालौन में राजकीय नलकूप लगाने को स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी तो जिला जालौन में एक्सप्लोरेटरी नलकूपों का ही कार्यक्रम है। राजकीय नल कूप का कार्य-क्रम इन एक्सप्लोरेटरी नलकूपों के परिणाम पर ही निर्भर करेगा।

*९७—श्री सजीवन लाल—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*९८—श्री शिव महेन्द्र सिंह—

[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*९९—श्री अनन्त राम जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं का स्थायीकरण

*१००—श्रीमती कला रानी (जिला हरदोई)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ की स्थायी सहायक अभियन्ताओं के पद की प्रतियोगितात्मक परीक्षा के अभ्यर्थियों का अनुमोदन १६ दिसम्बर, १९६३ को किया गया था ? यदि हां, तो उनको इस अनुमोदन की तिथि से पहले की तिथि से स्थायीकरण क्यों और कैसे दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—

१९६२ की प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता के स्थायी पद पर नियुक्ति हेतु १६-१२-६३ को औपचारिक आदेश प्रसारित किये गये यद्यपि इनका अनुमोदन पहले ही १७-९-६३ को हो गया था।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

जिला देवरिया की गौरा बरहज नगरपालिका के अध्यक्ष, मंत्री के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट

*१०१—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री बांके लाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नगरपालिका गौरा बरहज, जिला देवरिया के अध्यक्ष, मन्त्री के विरुद्ध कुछ नागरिकों एवं कतिपय नगरपालिका सदस्यों की शिकायत की जांच फरवरी, मार्च, १९७० में जिला अधिकारी देवरिया के आदेश से परगना अधिकारी सलेमपुर ने की और बाद जांच अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि नगरपालिका को जब्त कर लिया जाय और अध्यक्ष व मन्त्री के विरुद्ध सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मुकदमा चलाया जाय ? यदि हां, तो क्या मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार जांच रपट को पटल पर रखेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मामला अभी शासन के विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जन हित में न होगा।

*१०२–१०३—श्री मुहम्मद नबी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१०४—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में हरिजन लिपिक

१—श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर), श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री सेवा राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में कितने हरिजन, लिपिक के स्थान पर कब से कार्य कर रहे हैं ? उनमें से कितने स्थाई तथा कितने अस्थाई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कलक्टरी शाहजहांपुर में तीन हरिजन लिपिक के पद पर क्रमशः १३ जुलाई, १९५७, १९ जुलाई, १९५७ व ३ जून, १९५८ से निरन्तर कार्य कर रहे हैं। यह तीनों लिपिक अस्थायी हैं।

२—श्री रूपराम, श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री सेवाराम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारियों में से कितने कार्यक्षमता की बाधा (efficiency bar) पार कर चुके हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त कर्मचारियों में से दो कर्मचारी द्वितीय दक्षतारोक पार कर चुके हैं।

जिला इलाहाबाद के चकबन्दी अधिकारियों का स्थानान्तरण न किया जाना

३—श्री राजितराम पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद में चकबन्दी में कितने सी० ओ० व ए० सी० ओ० लगातार पांच वर्ष से हैं ? उनके स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला इलाहाबाद में दो सी० ओ० एवं चार ए० सी० ओ० पांच वर्ष से हैं। कार्य एवं जनहित की दृष्टि से उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया था। अब उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

एस० ओ० सी० इलाहाबाद के न्यायालय में अपीलें

४—श्री राजितराम पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया में जनवरी, १९६९ से मई, १९७० तक सी० सी० के इजलास में कितने मुकदमें चले और उनमें से कितनों का फैसला हो गया तथा कितने विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एस० ओ० सी० इलाहाबाद के न्यायालय में जनवरी, १९६९ से मई, १९७० तक तहसील हंडिया की २२३२ अपीलें दायर हुईं जिनमें से ४३६ का निस्तारण किया गया एवं १७९६ विचाराधीन हैं।

५—श्री रामपूजन पटेल—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

६–८—श्री प्यारे लाल—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

९—श्री रामपति तथा श्री हरिवंश सहाय—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१३वें बुधवार के लिये स्थगित]

बस्ती के नौगढ़ तहसील में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

११—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत नौगढ़ तहसील में कितनी भूमि जो सीलिंग एवं ग्राम सभा की थी कितने भूमिहीनों एवं मजदूरों को बांटी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में सीलिंग की कुल १०८१–८२ एकड़ भूमि उपलब्ध थी उसमें से ३१९–२५ एकड़ भूमि अब तक ११६ भूमिहीनों एवं मजदूरों को बांटी जा चुकी है। इसी तरह से १३९६–०० एकड़ ग्राम सभा की भूमि इस तहसील में उपलब्ध थी उसमें से अब तक ३९१ एकड़ भूमि ६६० भूमिहीनों एवं मजदूरों को बाटी जा चुकी है।

अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई के साधनों की जानकारी

१२—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है और उसमें से अलग-अलग नहर तथा राजकीय नलकूपों से रबी और खरीफ में कितनी एकड़ भूमि की पूर्ण सिंचाई होती है और इसके अतिरिक्त निजी साधनों से रबी तथा खरीफ में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था है ?

१३—क्या सरकार बतायेगें कि उपरोक्त अतरौली क्षेत्र में ऐसी कितनी भूमि है जिसकी सिंचाई राजकीय साधनों और निजी साधनों से न रबी में हो पाती है और न खरीफ में ? क्या सरकार इस प्रकार की पूर्णतया असिंचित भूमि की सिंचाई की व्यवस्था कर रही है और उक्त क्षेत्र की सम्पूर्ण भूमि की सिंचाई की पूरी व्यवस्था कब तक कर दी जायगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलीगढ़-सांकरा मार्ग पर काली नदी के पुल की मरम्मत पर व्यय

१४—श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि अलीगढ़-सांकरा मार्ग पर काली नदी के पुल पर १९६८-६९ में मरम्मत पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री धर्म सिंह—

कथित काली नदी के पुल की मरम्मत पर वर्ष १९६८-६९ में ६,८४२ रु० ५४ पैसे व्यय हुये ।

रायबरेली जिले में सड़कों का निर्माण

१५—श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि गत पंचवर्षीय योजना अवधि में रायबरेली जिले में कितनी नई सड़कें बनाई गई तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई ? इन सड़कों में से जिले के पिछड़े क्षेत्रों में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ?

श्री धर्म सिंह—

गत तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में राय बरेली जिले में २ नई सड़कें लगभग १७ मील बनाई गई तथा ३ पुरानी सड़कों के लगभग १६ मील का पुनर्निर्माण तथा सुधार किया गया । इस जिले के कौन-कौन से क्षेत्र पिछड़े हैं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जिला टिहरी गढ़वाल में स्वीकृत सड़कों एवं पुलों का निर्माण

१६—श्री इन्द्रमणी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद के लिये विधान सभा ने १९६७-६८ में कितनी सड़कें तथा पुल स्वीकृत किये थे तथा उनमें कितनों पर काम आरम्भ किया गया है ?

श्री धर्म सिंह—

जिला टिहरी गढ़वाल में वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में ३ नई सड़कों का निर्माण ४ वर्तमान सड़कों का सुधार एवं पुनर्निर्माण तथा १२ पुलों का निर्माण स्वीकृत किया गया था । इनमें से एक पुल के स्थान पर बन विभाग द्वारा पुल निर्मित करा दिया गया है । एक सड़क तथा ३ पुलों को छोड़कर शेष सब पर कार्य आरम्भ किया गया है ?

मथुरा के गोवर्धन नाले की क्षमता बढ़ाने पर विचार

१७—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि गोवर्द्धन ड्रेन पर बरसाना नन्दगांव पुल, जिला मथुरा अपने निर्माण काल के एक वर्ष के भीतर ही टूट कर ड्रेन में गिर गया और तब से निरन्तर

तीन वर्ष से अब तक उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

प्रश्न का प्रथम भाग—

प्रश्न में उल्लिखित पुल का निर्माण १९६५ में हुआ था और वर्ष १९६७ में अत्यधिक बाढ़ में टूट गया ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

गोवर्द्धन नाले की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है । परन्तु योजना का व्ययभार साझीदार राज्यों द्वारा वहन करने का प्रश्न संबंधित राज्यों के बीच अनिर्णित है । फलतः योजना पर कार्य रुका हुआ है ।

कटौती के प्रस्तावों को लिए बिना अनुदानों पर मतदान कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् । कल यहां पर जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में विनियोग विधेयक पास किया गया उस संबंध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । विनियोग विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया है वह हमारी नियमावली के अध्याय १५ में दी हुई है। हमारे नियम १८८ के उपखंड (४) में इसकी व्यवस्था है। किस तरह से कटौती का प्रस्ताव पेश किया जायेगा, कटौती का प्रस्ताव क्या होगा, यह नियम १७९ में दिया गया है। विनियोग विधेयक के बारे में नियम १९७ में दिया गया है जिसके साथ एक उपबन्ध है जिसमें लिखा है "परन्तु किसी विनियोग विधेयक पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जायेगा जिसके परिणाम-स्वरूप अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की धनराशि में या उसके लक्ष्य में परिवर्तन हो जाय ।

(२) अध्यक्ष ऐसे विधेयकों को समय के भीतर पारित करने के लिये किसी नियम की क्रिया का निलम्बन कर सकेंगे ।"

श्रीमन्, कल यहां पर विषय सूची में कटौती के प्रस्ताव मौजूद थे । अनुदान स्वीकार करने से पहले कटौती का प्रस्ताव पेश करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था । अगर फिर भी जल्दी थी, मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि वे किसी नियम को निलम्बित कर सकते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय जो उस समय पीठासीन थे अगर वे भी संबंधित नियम को निलम्बित कर देते तब भी कोई बात नहीं थी लेकिन नियम को निलम्बित भी नहीं किया गया और कटौती का प्रस्ताव पेश करने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया । इस अवस्था में आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर व्यवस्था दें कि क्या कल जो विनियोग विधेयक पारित किया गया वह संवैधानिक था और नियमानुकूल था या नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—

मैं एक दफा रूलिंग दे चुका हूं कि उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता जो भी पीठासीन हों, उनके निर्णय पर कोई रिव्यू या अपील नहीं हो सकती । जो फैसला उन्होंने दिया वह वैसे ही माना जायेगा जैसे कि मैंने ही दिया। इसलिये उसके ऊपर तो चर्चा नहीं हो सकती जो उन्होंने फैसला दिया । उसके रिव्यू की कोई बात भी नहीं चलेगी । इसलिये उनके फैसले को मानना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे इतना कहना है कि यह अनुदान तो पास ही नहीं हुआ, इसके ऊपर आप व्यवस्था तो दें। कटौती का प्रस्ताव रखने की तो अनुमति ही नहीं मिली। उसके लिये किसी को काल अपान ही नहीं किया गया। इस बात को माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यहां स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी को कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये काल अपान नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जो फैसला उन्होंने दिया, वह ठीक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप उस रूलिंग को बदल दें। नियम के अन्दर ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस रूलिंग को नहीं बदल सकते हैं। (व्यवधान)।

मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी समाप्त होने तथा सरकार के विधिवत गठित न होने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आप आज्ञा दें। मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, इस सदन का ध्यान एक दो बार पहले भी मैंने खींचा था कि यहां जिस प्रकार से मंत्रि-मंडल कार्य कर रहा है वह अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और अपने कथन के साथ उसकी पुष्टि में दो लाईनें आजके 'पाईनियर' से पढ़ देना चाहता हूं—

"At a meeting of the State Committee of the Congress Forum for Socialist Action held here yesteday a demand was made for immediate publication and immediate implementation of the report of the Commitee for take over of sugar industry in U. P.

Among those who attended the meeting included Mr. Genda Singh former Information Minister, Mr. Chandra Shekar, Chandrajeet Yadvav, Mr. Narayan Dutta Tewari, Finance Minister."

बाकी नामों को मैं नहीं पढ़ता, वह इसलिये कि मेरा मतलब केवल दो मंत्रियों से है—माननीय गेंदासिंह जी और माननीय नारायण दत्त तिवारी। ये दोनों उस मीटिंग में उपस्थित थे। श्रीमन् आपको याद होगा कि विधान सभा में यह प्रश्न आया था कि जो शुगर मिल टेकओर के लिये कमेटी बनी है वह अपनी रिपोर्ट इस सदन में दे जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ आपत्ति की थी कि उस रिपोर्ट को सदन में रखना जनहित में नहीं है। श्रीमन्, एक ओर तो मुख्य मंत्री जी का कहना यह है कि सदन में रखना जनहित में न होगा और दूसरी ओर गेंदा सिंह जी और नारायण दत्त तिवारी जी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट तुरन्त आनी चाहिये और सरकार उसको न छिपाये और उसका तुरन्त इम्पलीमेन्टेशन हो। श्रीमन्, संविधान के आर्टिकिल १६४ (२) के अन्दर दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी विधान सभा के प्रति है और आपने कह दिया कि गवर्नर इस बात को तय करेंगे कि श्री गेंदा सिंह जी का त्याग पत्र स्वीकार हुआ है या नहीं। मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि समाचार पत्र छप रहे हैं और उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है, श्रीमन्, कल के 'पाइनियर' में 'अज जी' कारटून में छपा है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"You have put your foot into your mouth. Get it out and tell us the full story of your resignation."

शुगर मिल टेक ओवर के लिये जो कमेटी बनाई गई थी, माननीय गेंदा सिंह जी उसके सदस्य थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके कारण आज तक सदन को नहीं मालूम हो सका जबकि नियम २७६ में दिया हुआ है कि कोई भी मंत्री अपने त्यागपत्र के कारण यहां बता सकता है। चूंकि त्यागपत्र के कारण नहीं बताये गये इसलिये समाचार पत्रों में बार-बार आता है कि इसके अन्दर कोई लम्बी कहानी है। आज जब मैंने समाचार पत्र पढ़ा तो उससे यह बात सामने आई कि मंत्रिमंडल के वरिष्ट सदस्य कुछ कह रहे हैं और मुख्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, इससे संयुक्त उत्तर-दायित्व नहीं रह गया है जो विधान सभा के प्रति होना चाहिये, वह समाप्त हो गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल ड्यूली कांस्टीट्यूटेड है नहीं, उनको यहां बैठने का अधिकार नहीं है। इस लिये श्रीमन् आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं पहले भी व्यवस्था दे चुका हूं। मंत्री जब तक मौजूद हैं तब तक आपको यह मानना पड़ेगा कि उनका दायित्व है। एक मंत्री कुछ कहते हैं और दूसरे मंत्री कुछ कहते हैं, इसका जो नतीजा पहले हुआ था, आप भी मौजूद थे एस० वी० डी० में आपको मालूम होगा कि जब उल्टी सीधी बात हो जाती है तो उनको खुद इस्तीफा देना पड़ता है। अगर ऐसी परि-स्थिति पैदा होती है तो मैं समझता हूं कि गवर्नर बीच में आते हैं। वह बतायेंगे कि कौन अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

लेकिन सदन के प्रति उनका उत्तरदायित्व है।

श्री अध्यक्ष—

सदन को यह फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है कि मंत्री दायित्व के साथ और आपस में मिलकर चलते हैं या नहीं चलते हैं। वह जानें उनका काम जाने। आप उसके ऊपर कोई आपत्ति करना चाहते हों तो मुझे आप नोटिस दें। आपको नोटिस देना चाहिये कि इसके ऊपर विवाद होना चाहिये। जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नित्या नन्द स्वामी—

मैं लिख कर दे दूंगा।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, जब आप खड़े थे उस समय भी माननीय नित्यानन्द स्वामी बराबर खड़े रहे। यह अपने को सीनियर मेम्बर मानते हैं। आप कृपा कर उनको चेतावनी दे दें भविष्य के लिये कि जब आप खड़े हों तो वह खड़े न हों।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं माननीय मही लाल से सीखूंगा? मैं इस सदन के अन्य जो तमाम माननीय सदस्य हैं उनसे सीख लूंगा लेकिन माननीय महीलाल से नहीं सीखूंगा।

श्री मही लाल—

मान्यवर, यह मेरा अधिकार है कि अगर कोई अव्यवस्था हो तो उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। यह उनका मेरे ऊपर आक्षेप है। मान्यवर, आप इसके ऊपर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है और व्यवस्था यही है कि जब मैं खड़ा हो जाऊं तो आपको बैठ जाना चाहिये । अगर आपने गलती की तो मैं कोई दंड नहीं देता । आप मान लें कि व्यवस्था का ध्यान रखेंगे ।

एक सदस्य—

मान्यवर, आप व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी कि उनको नियम मानना चाहिये ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं हूं, स्वामी जी हों या और कोई हों, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मही लाल जी को भी कहा जाय कि जिस व्यवस्था की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है उसका स्वयं भी ध्यान रखें ।

श्री अध्यक्ष—

जब वह खड़े हों तब आप कहें ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं मान्यवर, दूसरी बात के लिए खड़ा हुआ था । मान्यवर, आप यह बतला दें कि पबलिसिटी डिपार्टमेन्ट के बारे में हम किसके पास कुछ कहने जायं ? क्योंकि माननीय गेंदा सिंह जी ने जब से अपना त्यागपत्र दिया है, उन्होंने काम छोड़ दिया है और सरकारी सुविधायें भी छोड़ दी हैं और अखबारों में एक न एक बात निकलती है । अगर सूचना विभाग के लिए कोई मंत्री नहीं है तो यह सरकार समाप्त है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग सब बैठ जायें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं । व्यवस्था यह है कि जब तक किसी मंत्री का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वह मंत्री रहता है, चाहे वह काम नहीं करता हो । मुख्य मंत्री का यह अधिकार है कि वह उसे स्वीकार कर ले, नहीं तो जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की हो जाती है कि उसका काम वह करे । आप मुख्य मंत्री के पास जाइये, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे पूछ लीजिये ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, जिनको आप जानते हैं उनको मौका देते हैं । मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं.....

विनियोग लेखे १९६६–६७ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६८ पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा सेविनियोग लेखे १९६६–१९६७ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६८ पर आधारित लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मैं समिति की इस चिन्ता को व्यक्त करना चाहता हूं कि उसकी संस्तुतियों को प्रकाशकीय विभाग पथ प्रदर्शनार्थ

नोट तो कर लेते हैं किन्तु उनके कार्यान्वयन के लिये सक्रिय प्रयास नहीं किया जाता। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की आपत्तियां लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार स्थान पाती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मंडल तथा उसकी समितियों का विशिष्ट स्थान है। अतः उसकी संस्तुतियों का समुचित आदर होना अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य भी है। इस प्रतिवेदन में अंकित कुछ मुख्य आपत्तियों की ओर मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान इस आशय से आकृष्ट करना चाहता हूं कि शासन समिति की अन्य संस्तुतियों के साथ साथ विशेष रूप से इन आपत्तियों का परिहार दृढ़तापूर्वक करें।

(१) पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष अर्थात् आलोच्य वर्ष १९६६–६७ में भी ०.३१ करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था, किन्तु वास्तव में वर्ष के अन्त में ३.७९ करोड़ रुपये का अतिरेक रहा। समिति यह निरन्तर संस्तुति करती चली आ रही है कि अपेक्षित प्राप्तियों तथा व्यय के अधिक वास्तविक विवरण प्रस्तुत करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा अनावश्यक करारोपण तथा ऋण ग्रहण करने के कारण प्रदेश की अर्थ व्यवस्था और करों से दबी जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव अथवा प्रतिक्रिया होती है।

(२) समिति अनिष्कृत लेखा परीक्षा आपत्तियों को निबटाने के लिये भी निरन्तर संस्तुति करती आ रही है। आलोच्य वर्ष में भी इन आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि में कमी होने की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

(३) इसी प्रकार सहायक अनुदानों के लिये उपयोग प्रमाण-पत्रों को भी भेजने में प्रशासनिक विभाग उदासीनता दिखा रहे हैं। १९६६–६७ तक दिये ४१-८८ करोड़ रुपये के सहायक अनुदान के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले ११.९४५ उपयोग प्रमाण पत्र जनवरी, १९६८ तक भी महालेखाकार को प्राप्त नहीं हुए थे। इस विलम्ब को रोकने हेतु नियमों को परिस्थिति के अनकूल परिवर्तन करने की आवश्यकता की ओर समिति पहले भी ध्यान आकृष्ट कर चुकी है। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करना अभीष्ट है।

(४) राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में १९६६ में विशेष लेखा परीक्षा में ९,६१,३०० रुपये की धनराशि का दुर्विनियोजन अथवा गबन उद्घाटित हुआ। संबंधित धनराशि में से वास्तविक कितने रुपये का गबन किया गया अभी तक यह कहना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुर्विनियोग के लिये मुख्य रूप से कार्यकारी प्राधिकारीगण जिम्मेदार हैं जिसमें वर्तमान रजिस्ट्रार भी सम्मिलित हैं। इन प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने से इस दुर्विनियोग में आसानी हुई। वित्तीय नियमों की अवहेलना करने वाले तथा गबन के लिये जिम्मेदार सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही होनी अत्यन्त आवश्यक है।

(५) समिति को खेद है कि प्रति वर्ष अधिकांश अनुदानों/विनियोजनों में बड़े २ व्ययाधिक्य तथा बचतें होती हैं, जिनके लिये समिति के समक्ष विभिन्न कारण बताये जाते हैं। व्ययाधिक्यों का होना समिति, विधान मंडल के अधिकारों की उपेक्षा समझती है। समिति समझती है कि व्ययाधिक्य एवं बचतें अनुमानों का समुचित आंकलन न करने के परिणाम स्वरुप होती हैं। इस संबंध में समिति सदा ही सिफारिश करती आई है परन्तु इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। कुछ विभागों के संबंध में समिति ने अनुभव किया कि व्यायाधिक्य एवं बचत के मुख्य कारण "ससपेन्स एकाउन्ट्स" के अन्तर्गत बजट बनाने की स्थूल प्रणाली (सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग) है। इस संबंध में समिति अपने १९६४ के प्रतिवेदन में उक्त प्रणाली को विकसित करने के लिये सिफारिश कर चुकी है। वित्त विभाग ने अब आश्वासन भी दिया है कि अशोधित पद्धति को लागू करने के लिये आवश्यक विचार विमर्श के उपरान्त शीघ्र निर्णय लिया जायगा। समिति इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझती है तथा अपेक्षा करती है कि शासन इस पर शीघ्र निर्णय

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लेकर समस्या का समाधान करेगा। इसी प्रकार कृषि तथा खाद्य एवं रसद विभागों के संबंध में व्ययाधिक्य तथा बचतें इसलिये होती हैं कि भारत सरकार से खरीदे गये उर्वरक तथा गेहूं आदि के मूल्यों के भुगतान में अनिश्चितता रहती है—चूंकि भुगतान पुस्तक संक्रमण Book Transfer से होते हैं अतः विभागों को वर्ष के अन्त तक यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि कितने मूल्य के भुगतान का समायोजन होना है। इस प्रश्न की महत्ता को देखते हुये समिति ने यह सुझाव रखा है कि संबंधित विभाग, वित्त विभाग तथा महालेखाकार से परामर्श करके भुगतान की समस्या का स्थायी हल ढूंढ़ निकालें।

(६) जहां तक योजनाओं को लागू करने का प्रश्न है, यह देखा गया है कि विभाग प्रायः किसी भी योजना को लागू करने के पूर्व उसके प्रत्येक पहलू पर विचार नहीं करते। धन प्राप्त करके योजना को चालू कर दिया जाता है। बाद में वास्तविक कठिनाइयों जैसे भूमि न मिलने, भवन न बनने आदि कारणों से योजना का समय पर कार्यान्वयन नहीं हो पाता। अस्तव्यस्त योजना को घाटे के कारण अन्त में त्याग दिया जाता है। लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में इसी प्रकार शंकरगढ़ में स्थापित बालू धोवन संयंत्रों की स्थापना का उल्लेख है जिस पर समिति के इस प्रतिवेदन में भी विचार व्यक्त किये गये हैं। इस में उल्लेखनीय यह है कि संयंत्रों के परिचालन तथा स्टाफ के वेतन आदि पर व्यय की तुलना में, राजस्व की प्राप्ति ५० प्रतिशत भी नहीं हुई और १९५७–५८ में चालू की गई इस योजना को १९६६ में समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा। समिति इस प्रकार के व्यय को निष्फल समझती है।

(७) सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता के आदेश से १९५५ में शोहरतगढ़ और नौगढ़ के कस्बों में ट्यूबवेल डिवीजन, बस्ती द्वारा रोशनी की व्यवस्था में १९६६–६७ तक १.८१ लाख रुपये खर्च किये गये। यह कार्य सिंचाई विभाग का नहीं है फिर भी विधान मंडल की स्वीकृति स्पष्ट प्रशासकीय आदेश तथा धन के प्राविधान के बिना ही इस प्रकार का अनियमित व्यय किया गया। समिति विधान मंडल के अधिकार के अतिक्रमण के इस प्रयत्न को बहुत ही निन्दनीय समझती है। शासन इस प्रकार के अनियमित व्यय को रोकने की कड़ी व्यवस्था करें।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जनतंत्र की दृष्टि से समिति की सिफारिशों का अनुपालन करना नितांत आवश्यक है। अतएव इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुये मैं आशा करता हूं कि शासन संस्तुतियों को सक्रिय रूप से अनुपालित कर के सदन के प्रति समुचित आदर का परिचय देगा और भविष्य में लेखा परीक्षा की आवर्तक तथा अन्य आपत्तियों में कमी होगी। समिति ने २३ जून, १९७० की बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

विनियोग लेखे १९६२–६३ तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९६४ पर लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में लोक-लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं १९६२–६३ के विनियोग लेखे तथा १९६४ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर लोक-सेवा समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में लोक-लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

२—यह प्रतिवेदन मूलतः १९६७–६८ की लोक-लेखा समिति द्वारा तैयार किया गया था। उस समिति के सभापति ने प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने हेतु उस पर हस्ताक्षर भी कर दिये

थे, किन्तु विधान सभा का विघटन हो जाने के परिणामस्वरूप वह सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

३—मध्यावधि निर्वाचन के उपरान्त १९६९–७० की लोक-लेखा समिति का गठन हुआ। इसी बीच उक्त प्रतिवेदन में अंकित कुछ विषयों के संबंध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचनायें प्राप्त हुईं। इन विषयों पर नई समिति ने अपनी १९ दिसम्बर, १९६९ की बैठक में विचार किया। नई समिति ने जिन विषयों पर विचार किया उन्हें प्रतिवेदन के भाग १–क में अंकित कर दिया गया है।

४—इन प्रतिवेदन के भाग १ तथा १–क में कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख है जिनकी ओर समिति सदन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहती है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का पालन करने में शासन द्वारा अत्यधिक विलम्ब किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पायी। इस बीच दोषी व्यक्ति रिटायर हो गये और दण्डित नहीं किये जा सके। पूर्व समिति के अनुरोध से यह समिति भी सहमत है और मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि ऐसे विषयों पर सदन में विवाद के लिये कोई समय निर्धारित करने की कृपा करें। इन में से कुछ मामलों का सारांश संलग्न है।

५—समिति ने अपनी २५ फरवरी, १९७० की बैठक में प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

(१) जंगली गायों को पकड़ने और पालने की योजना

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६४ पर समिति के प्रतिवेदन का पैरा ३५)

सितम्बर, १९५७ में सरकार ने, ऋषिकेश तथा राज्य के अन्य चुने हुये क्षेत्रों में जंगली गायें पकड़ने एवं पालने की एक योजना स्वीकृत की। साढ़े चार वर्ष तक इस पर कार्य करने के बाद जब कि इस पर २७,००० रुपया व्यय हो चुका, इस योजना को मार्च, १९६२ में असफल प्रयास के बाद समाप्त कर दिया गया।

पशुपालन विभाग ने सूचित किया कि इस योजना का प्रारूप तत्कालीन पशुपालन आयुक्त, श्री हर्ष बहादुर शाही और केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र, ऋषिकेश, देहादुन के अवैतनिक प्रभारी अधिकारी श्री वाई० एम० पार्णीकर ने तैयार किया था। श्री शाही सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं और श्री पार्णीकर का अब राज्य सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अतः इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। समिति समझती है कि विभाग को जब यह मालूम हो गया था कि योजना पूर्णतः असफल रही तो उसी समय इस असफल योजना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित करना चाहिये था और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तभी की जानी चाहिये थी।

१९६५ में पशुपालन विभाग के सचिव ने समिति को बताया कि इसका उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये मंत्री जी ने जांच की आज्ञा दे दी है। इस जांच का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

(२) इण्डिया कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस कम्पनी लिमिटेड लखनऊ से बकाया धन की वसूली (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६२ पर समिति के प्रतिवेदन का पैरा ४८ (१)

अप्रैल, १९४९ में मेसर्स इंडिया कोल्ड स्टोरेज एन्ड आइस कम्पनी, लिमिटेड, लखनऊ को २.५० लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। इस ऋण की ब्याज की दर ६ प्रतिशत वार्षिक थी तथा यह अप्रैल, १९५० से प्रारम्भ होने वाली ४ वार्षिक समीकृत किस्तों में प्रतिदेय था। १ मई, १९६१ को मूलधन और ब्याज के रूप में फर्म पर कुल ३.७२ लाख रुपये की धनराशि बाकी थी।

१९६५ में कृषि विभाग ने सूचित किया कि फर्म को तीन महीने का नोटिस, कृषि निदेशक द्वारा ३० अप्रैल, १९६५ को दिया जा चुका है और नीलाम द्वारा वसूली की कार्यवाही इस अवधि

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

के पश्चात् आरम्भ की जायगी। यह नीलाम अभी तक नहीं हो पाया है और देय धन की वसूली भी अभी तक नहीं की जा सकी है।

कृषि विभाग से प्राप्त अन्तिम सूचना (मई १९७०) के अनुसार न्यायालय ने शासन के पक्ष में मेसर्स इंडिया कोल्ड स्टोरेज एन्ड आइस कम्पनी के विरुद्ध ४५,८२४.४८ रुपये के डिग्री आदेश पारित कर दिये हैं तथा प्रतिवादी को ६ मास का समय आवश्यक धनराशि जमा करने के लिये दिया है। शासन से यह अपेक्षित है कि वह इस वसूली के लिये सक्रिय कार्यवाही करे।

(३) मकान के किराये की अदत्त धनराशियां

(१९६२ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर समिति के प्रतिवेदन का पैरा ८३)

भारतीय सेना से मुक्त किये जाने पर एक एमरजेन्सी कमीशन अधिकारी मेजर हरदयाल सिंह सांढ़ को राज्य सरकार ने अगस्त, १९४५ में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त किया। १९ मई, १९४८ से २८ फरवरी, १९५९ तक वह एक सरकारी निरीक्षण बंगले में और सरकारी भवन के एक भाग में रहे और उसके लिये उन्होंने कोई किराया नहीं दिया। विभाग ने यह आश्वासन दिया कि उस अधिकारी की ओर बाकी रही धनराशि को उनके ग्रेचुइटी, प्राविडेन्ट फंड, वेतन तथा भत्तों आदि की बाकी धनराशि से वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। किन्तु १९६९ में कृषि विभाग ने सूचित किया कि अदत्त किराये की वसूली २५,३१७.०९ रुपये को अनुग्रहपूर्वक (एक्स ग्रेसिया) छोड़ने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। समिति को खेद है समिति ऐसा नहीं समझती है कि अब कोई ऐसा कारण पैदा हो गया है जिससे इस धनराशि को अनुग्रहपूर्वक शासन को छोड़ना पड़ा।

(४) हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद पर निष्फल व्यय १९६२ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर समिति के प्रतिवेदन का पैरा १०१

१९४९ से १९५७ तक की अवधि में ७०६ अजन्ता हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद पर ५ लाख रुपये का निष्फल व्यय किया गया है। समिति ने यह देखा कि इस मामले में एक के बाद एक अनियमिततायें होती रही हैं और लेनदेन के साधारण नियमों का भी पालन नहीं किया गया।

उक्त टाइपराइटरों के सम्पूर्ण ठेके के सम्बन्ध में, ठेके के लिये उत्तरदायित्व और उसकी सीमा निर्धारित करने, और शासन को हुई हानि की जांच करने हेतु शासन ने श्री मिट्ठनलाल, रिटायर्ड जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया।

आयोग ने अपने एक प्राथमिक प्रतिवेदन में मत प्रकट करते हुये यह सुझाव दिया कि जनहित में इस मामले में किसी और जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं है और उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो हानि शासन को इस ठेके को देने में हुई है उसकी वसूली अब सम्भव नहीं है।

समिति आयोग के सुझाव से सहमत नहीं है। समिति के विचार में संबंधित मंत्री श्री केशव देव मालवीय ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया।

विस्तीर्णता के आधार पर प्रश्न निरस्त करने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मैं आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और आप कृपा करके आज के प्रश्न संख्या ४० की ओर जरा ध्यान दें, इसको निरस्त किया गया है और कहा गया है कि इसको विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किया जाता है। प्रश्न यह था कि बलिया में चकबन्दी

विभाग में चकबन्दी मुकदमों की कितनी फाइलें गायब हैं और जिनकी लापरवाही से वह गायब हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? एक बार पहले इसी तरह का प्रश्न मैं ने माल विभाग के संबंध में पूछा था तो मालूम हुआ था कि चौथाई फाइलें गायब हैं। तो इसी तरह से चकबन्दी की भी हजारों फाइलें वहां गायब हैं। नियम २८ के अन्तर्गत प्रश्नगत विषय और उसके रूप पर विचार करते हुये ४५ के अन्तर्गत ग्राह्यता का विनिश्चय होता है और उसके बाद सदस्य को सूचना दी जाती है कि आपका प्रश्न ११ वें बुधवार के लिये स्वीकृत हुआ है, लेकिन मेरा प्रश्न ४० विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिले के आधार पर तो लाखों फाइलें गायब हैं। मैं आप से निवेदन करुंगा कि इस निरस्त प्रश्न को कल या परसों के लिये रख दें क्योंकि यह बहुत ही लोकमहत्व का है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस की जांच कर लूंगा कि यह कैसे निरस्त हुआ और क्या बात है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि रखा जा सकता है या नहीं, वह मैं कल बता दूंगा।

शासन द्वारा लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सदस्यों में वितरित करने की मांग

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है और सुझाव भी है कि माननीय त्रिपाठी जी ने अभी लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट सदन के सामने रखी है और इसी तरह से सदन में प्राक्कलन समिति आदि की रिपोर्ट भी आती रहती हैं। मेरा निवेदन है कि इन रिपोर्टों में जो कुछ विभागों की कमियां दिखाई जाती हैं या जो रुपये के गोलमाल की तरफ उस में इशारा होता है और समितियों की सिफारिशें वगैरा आती हैं उनके विषय में खास-खास आइटम्स में शासन ने क्या कार्यवाही की, उसके बारे में छपी हुई रिपोर्ट की शक्ल में हमें कुछ मिलना चाहिये ताकि सदन को मालूम हो जाय कि जिन चीजों को अपनी रिपोर्ट में यह कमेटियां प्वाइंट आउट करती हैं उन इश्यूज पर शासन ने क्या कार्यवाही की, इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस नम्बर ४ के विषय में शासन ने क्या किया इसके बारे में तो आप किसी दिन बहस कर सकते हैं और समय मांग सकते हैं, मैं कोई समय निश्चित कर दूंगा और उस पर बहस हो सकती है। सभापति, लोक-लेखा समिति ने भी सरकार से पूछा होगा और सरकार ने उत्तर दिया होगा, उसी का तो इसमें वक्तव्य है नम्बर ४ पर जो हुआ है, उसमें आप देख लें और उसके बाद जब आप समझेंगे कि बहस हो तो मैं आपको मौका दे दूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा मतलब यह है कि जो खास इशू होती हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी जानकारी हमें हो जाय।

वित्त मन्त्री, श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा कथित त्याग-पत्र देने के बारे में जानकारी की मांग

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने सुना है कि श्री नारायणदत्त तिवारी, वित्त मंत्री ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस्तीफा मांगना चाहता हूं और उसका कारण यह है कि उनके सगे भतीजे श्री सुरेन्द्रपाल सिंह तेवतिया

[श्री श्यामसूरत उपाध्याय]

जो मेटाबालिक डिपार्टमेंट में रीडर हैं उन्होंने, जो चौधरी चरण सिंह जी के सगे भतीजे हैं, तेवतिया इनका भी गोत्र है और उनका भी है, वह दस हजार रुपये की ग्रान्ट की गड़बड़ी में पकड़े गये हैं और मुख्य मंत्री जी उनको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं·····

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, यह सब आप लिखित दे दें।

नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैंने १८ तारीख को नियम ५१ के अन्तर्गत मेरठ के मेडिकल कालेज के कर्मचारियों के बारे में, जो पहली जून से हड़ताल पर हैं, सूचना दी थी·····

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने अपने कमरे में बुलाया था। आप उस दिन लेट आये, मैं कमरे में साढ़े ३ बजे तक बैठा रहा और आप ४ बजे आये। आज आप फिर मुझ से कमरे में मिल लें, मैं बता दूंगा।

(श्री मंजूर अहमद के बैठ जाने पर)

'चिट फण्ड' पर रोक लगाने सम्बन्धी सरकारी नीति की घोषणा सदन के बाहर करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, जिसमें कहा है कि चिट फंड व्यापार की समाप्ति का निर्णय विधान सभा में घोषणा के पूर्व समाचार-पत्रों को इसकी सूचना दे दी गयी। तो इसमें कौन-सी नयी नीति है, कौन-सा नया वक्तव्य है जिसको यहां नहीं दिया और अखबारों में छप गया है?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जिन दो बातों की ओर आपने संकेत किया है, मैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, और स्थिति स्पष्ट कर दूं। पहला जो प्रश्न है कि चिट फंड व्यापार की समाप्ति को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, यह एक अच्छा कदम है। ठीक है। हजारों लोगों को जो धोखा होता था उन्हें बचाया है। लेकिन यह घोषणा सदन के अन्दर होनी चाहिये थी चूंकि यह एक महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी प्रश्न है। सदन यहां पर डेढ़ महीने से कार्य कर रहा है और इसकी घोषणा पहले यहां पर ही होनी चाहिये थी।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आन्ध्र प्रदेश की एक रूलिंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है:—

"The Minister for small-scale Industries had in the forenoon distributed to the Press copies of the statement he was to make in the House in the afternoon. The Speaker took a serious view of the matter as a gross breach of privilege. The Minister apologized and so the matter was dropped."

इसमें यह कहा जा सकता है कि इसके अन्दर स्टेटमेंट अगर वितरित हुआ हो तो वह पहले सदन में वितरित होना चाहिये या नहीं। सदन में देने के पूर्व ही वह स्टेटमेंट बाहर चला गया और लगभग सभी अखबारों, पी० टी० आई०, यू० एन० आई० के द्वारा छपा है। श्रीमन्, यह

एक इम्पार्टेन्ट मैटर है। ऐसा ही प्रश्न बम्बई विधान सभा में महाराष्ट्र विधान सभा के अन्दर आया। उसके अन्दर उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज तो नहीं माना लेकिन जो आबजर्वेशन है स्पीकर साहब का वह मैं रख रहा हूं—

"I, however, wish to take this opportunity to impress upon members of the Government that when the House is in session, they must not disclose to the public anything of importance bearing on the policy decisions of the Government before they have first taken the House into their confidence."

कल रात रेडियो पर भी एक एनाउन्समेन्ट हुआ कि एक कमेटी बनाई जा रही है दोनों सदनों के सदस्यों को मिला कर। मेरा तो निवेदन है कि नीति सम्बन्धी निर्णय और साधारण आदेशों में जरा अन्तर करना होगा·····

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी रूलिंग हो चुकी है इस सम्बन्ध में कि मंत्रिमंडल जिस पर निर्णय ले ले उसमें सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता। तो माननीय सदस्य को क्या अख्तियार है कि चार हजार रुपये फी घंटे का नुकसान करें?

श्री अध्यक्ष—

आप कैसे समझते हैं कि नीति का प्रश्न है?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा निवेदन यह है कि नीति सम्बन्धी प्रश्न वे होंगे जिससे प्रदेश के अन्दर किसी चलते हुए कार्य को चलने में या रोकने में या किसी कार्य को चलने के अन्दर प्रक्रिया दिलाने की बात है। साधारणतया आदेशों के लिये जी० ओ० इश्यू हो जाते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधान सभा में लेजिस्लेशन कर के नियम बनाये जाते हैं। जिनके अन्दर नियम बनाये जायेंगे अगर उसमें नीति को तय करेंगे जिसके लिये लैजिस्लेशन होगा तो उन विषयों को श्रीमन्, नीति संबंधी विषयों के अन्दर रक्खेंगे। आप इस बात का विचार करें कि प्रदेश के अन्दर जो हजारों चिट फन्ड के कार्य चल रहे हैं जिससे जनता परेशान है वह नीति सम्बन्धी नहीं है क्या? वह साधारण आदेश नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उस नीति सम्बन्धी चीज के लिये पहले आप सदन को कान्फीडेन्स में लें। पहले आप उसे यहां लायें और उसकी यहां घोषणा करें।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा पार्टीनेन्ट सवाल किया था माननीय नित्यानन्द स्वामी जी से और अगर मैं यह कहूं कि माननीय नित्यानन्द जी इसका जवाब नहीं दे सके तो गलत नहीं होगा। नीति का सवाल है या नहीं यह निश्चय करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी बात को मान लिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि जितने फैसले हम कैबिनेट में करते हैं, जो मिनिस्टर्स इन्डीविजुवली फैसले करते हैं वे सब नीति की डैफिनिशन में आ सकेंगे। मसलन हमने यह तय किया कि हम को एक्साइज एक्ट में तरमीम करनी है। हो गया यह नीति का सवाल। हमने यह तय किया कि हम कमेटी मुकर्रर करने वाले हैं या मुकर्रर कर दी है पंचायती राज के सारे सिस्टम को डिस्कस करने के लिये। हमने एक कमेटी मुकर्रर की और उसका अनाउन्समेन्ट हो गया होगा कि विदेशी शराब का नीलाम किया जाय या न किया जाय। उससे कोई फायदा है नहीं। अगर माननीय मित्र की बात मान ली जाय तो हमारा हर मसला यहां अनाउन्स होना चाहिये और फिर उस पर बहस होगी हर एक चीज पर। मैं समझता हूं कि माननीय मित्र का आब्जैक्शन मिसकान्सीव्ड है। और यह जो मेटर आफ पालिसी है उनके सिलसिले में कहा

[श्री चरण सिंह]

जा सकता है कि दुनिया में सभी समझते हैं, माननीय नित्यानन्द स्वामी भी समझते हैं कि यह रोज का क्रम चल रहा है, उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको भी सुना और उनको भी सुना। मेरा इतना निवेदन है कि रोज के क्रम को निकाल कर क्या कोई नई नीति वहां व्यक्त की गई है ? एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से मैटर्स होते हैं। उनका मतलब यह था कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स समझ कर सदन के बाहर सूचना दी जा सकती है। तो अगर ऐसी बात है तो सिर्फ उन को ही जज करना है। इसलिये यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया गया है यह उसमें नहीं उठता है। यह एटीकेट या नीति संबंधी भी नहीं मालूम होता है। इसमें मालूम यह होता है कि उनका एक आर्डर था, वह किसी तरह से बाहर चला गया। ऐसी हालत में एटीकेट का भी सवाल नहीं उठता है।

अब आगे का कार्य शुरू करें।

उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक, १९७० को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के विधान परिषद् के प्रस्ताव पर विचार

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव से सहमत है कि "उत्तर प्रदेश गुन्डा विरोधी विधेयक, १९७०, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर दे।"

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक एक बहुत बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिये यहां पेश किया गया है। (व्यवधान) आप लोग अगर न बोलने दें तो मैं बैठ जाऊं। मैंने पेश तो कर ही दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे यहां हैं, कुछ गांवों में हैं, शहरों में अधिक हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, जिनके कारण लोग भयभीत हैं और जो लोग आतंकित हैं वे यह नहीं जानते कि उसका उपाय क्या किया जाय। वह अगर अदालत में जाता है या पुलिस के पास जाता है, तो जो मौजूदा कानून है उससे उसको प्रोटेक्शन मिलने में बहुत देर लगती है। तो जब तक उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध हो, इस बीच उसको अपनी जान का खतरा बना रहता है। जो प्रोसीज्योर हमारी अदालतों का है उसमें देर लगती है। उसमें और बहुत-सी बातें भी सामने आ जाती हैं जिनको कि एक गरीब आदमी पूरा नहीं कर पाता। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, डेढ़ दिन रखा गया है, इसके लिये। जो गैर मामूली हालतें हैं उनके लिये गैर मामूली कानून की जरूरत है। शहादत में कोई आदमी उसके हक में जाने को तैयार नहीं होता है। (व्यवधान) अगर मुझे नहीं कहने दिया जायेगा तो आपको भी नहीं कहने दिया जायेगा। बहस ही फिर नहीं हो सकेगी और बिना विवाद के कैसे किसी नतीजे पर पहुंचा जायेगा ? वाद-विवाद तभी हो सकता है जब हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाये। दूसरे लोग चाहे जितना मतभेद रखते हों, उनकी जिम्मेदारी है कि वे उसको सुनें। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि उन लोगों को आमतौर पर 'गुण्डा' कहा जाता है। लफ्ज सख्त है, अंग्रेजी का शब्द तो और भी सख्त है। यह कानून हम अपने यहां ही नहीं बनाने जा रहे हैं। यह बहुत-सी स्टेट्स में है, बाम्बे—महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गालिबन पंजाब में भी है और वेस्ट बंगाल में भी था, और फिर वहां पर दूसरा ऐक्ट लाया गया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किन्तु उसका अमल नहीं हो रहा है। बंगाल की मिसाल तो गैर-मामूली है, उसको हम नहीं ले सकते। तो सन् ३२ या ३८ में भी हमारे यहां यह ऐक्ट बना था, ४८–४९ में भी एक कम्प्रीहेंसिव बिल बना था और वह शायद सन् ५२ तक रहा। अध्यक्ष महोदय, "गुण्डा" या "गुण्डा विरोधी" शब्द सख्त हैं, इनके स्थान पर "गुण्डा नियंत्रण" या और कोई रख लिया जाय, तो वह भी अच्छा है, कोई और नाम यदि माननीय मित्र सुझाव दें तो उसे एडाप्ट करने में गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इसमें सजा नहीं दी जा रही है, किसी आदमी को जेल नहीं भेजा रहा है। उससे केवल यह कहा जा रहा है कि जहां वह काम करता है वहां से चला जाये, उसको यह हुक्म दिया जायगा कि ३ महीने के लिये तुम दूसरी जगह चले जाओ। अगर वह इस हुक्म को नहीं मानता है या जाता है और समय के पूर्व चला आता है तब भी उसको कैद की सजा मिलेगी, तब भी जुर्म माना जायगा। यह दूसरी बात इस सिलसिले में यह कहने की है कि उसको कोई सजा नहीं दी जा रही है, उसको एक जगह से दूसरी जगह केवल हटाया जा रहा है। जो आम जनता है, उनके प्रोटेक्शन के लिये यह काम किया जा रहा है।

अब अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है, जिसे मुझे पहले ही कहना चाहिये था कि जो मौजदा कानून है वह ही इसके लिये काफी है। किन्तु मैं कहता हूं कि वह काफी नहीं है। दफा ११० जाब्ता फौजदारी की है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ११० में कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकती थी, लेकिन उसमें दो तीन इस तरह के प्राविजन्स हैं, जिससे उसमें हमारी मंशा पूरी नहीं होती। मसलन लोगों के सामने शहादत के जायगी, जिसके खिलाफ कार्यवाही होगी उसके सामने शहादत ली जायेगी। इसी आदमी के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है शहादत देने की। शहादत यदि आ सके, तब तो जरूरत ही नहीं है इस कानून की। लेकिन शहादत देने की लोगों में हिम्मत नहीं है। वाकया यह है, जो गुण्डा है उसके खिलाफ गवाही देने की लोगों में हिम्मत नहीं है। जिम्मेदार आदमी और पढ़े-लिखे आदमी भी, यदि सामने मर्डर हो जाये, शहादत देने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, मुझे अपने पर्सनल स्टाफ के बारे में मालूम है, झगड़ा हुआ कुछ मोहल्ले में और एक केस हुआ, उसके संबंध में ये लोग शहादत देने को तैयार नहीं थे, मैंने उनको बाद में समझाया बुझाया कि जब तुम्हारे जैसे पढ़े-लिखे लोग ही शहादत नहीं देंगे तो जुडिशियरी क्या करेगी, मुल्जिमों को सजा कैसे मिल पायेगी और कैसे लोगों की रक्षा हो पायेगी। एक दूसरा केस इसी तरह का मैं अपना बताऊं, दो भाई थे, एक रिटायर्ड सब-इन्सपेक्टर था और दूसरे एडवोकेट थे। ये दोनों अदालत से वापस आ रहे थे मार्ग में उन में से एडवोकेट को मार दिया गया, दिन का वाकया था और वकील वगैरह वापस हो रहे थे। लेकिन उस हत्यारे के खिलाफ अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग और वकील लोग भी शहादत देने को तैयार नहीं हुये। उस केस में एक आदमी भी पुलिस में शहादत देने के लिये तैयार नहीं हुआ। यह तो इन्डिविजुल केस है। आज हमारे यहां यह हालत हो गई है। इस स्थिति से कोई इंकार नहीं कर सकता है और यह उससे अलग चीज है। गुण्डा टेररईज करता है गरीबों को और बेकशों को, भले आदमी जब भी चुप रहते हैं। ११० में शहादत की जरूरत होगी। इसलिये ११० नाकाफी है। ऐसे गुन्डों से डील करने के लिये। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि कौन साहब सवाल कर रहे हैं। इलाहाबाद में गुण्डे नहीं हैं तो आपके यहां ऐक्ट नहीं लगेगा। अगर मेरठ में गुण्डे हैं या और शहरों में गुण्डे हैं····

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

हमारे यहां तो पुलिस गुण्डई करती है।

श्री चरण सिंह—

अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो वैसा जवाब दे सकता हूं। मुझे खामोशी से अर्ज कर लेने दें। बात-बात में मेरठ और इलाहाबाद का जिक्र न कीजिये। दूसरी बात यह है कि ११० में

[श्री चरण सिंह]

यह जरूरी नहीं है कि वह आदमी जेल में जाय। उससे जमानत मांगी जाती है। जमानत दे देता है तो वहीं रहता है, जहां उसका फील्ड आफ ऐक्टिविटीज है। हमारी मंशा यह है कि उसको वहां से रिमूव किया जाय। तो दफा ११० जाब्ता फौजदारी उसके लिये नाकाफी है। उससे इस मिनेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह कुछ माननीय मंत्री को गैर मामूली मालूम पड़े। लेकिन गैरमामूली नहीं है। दूसरी स्टेट्स में ऐक्ट हैं। जब मेरे मित्र अपनी राय दे लेंगे तो तफसील से जवाब देने का मौका मिलेगा। इंडियन ला इंस्टीट्यूट की जनवरी-मार्च (क्वार्टरली) मैगजीन, १९६९ की है, उसमें इस सवाल पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून की जरूरत है। ऐसे आदमियों का मामूली क्रिमिनल प्रोसीजर्स से मुकाबला नहीं किया जा सकता। बाम्बे में इस तरह का कानून है। वहां कार्यवाही हुई। वह शख्स जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जो दलीलें इस वक्त दी जाने वाली हैं माननीय मित्रों की तरफ से सब दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गयीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तफसील के साथ सब दलीलों का जवाब दिया और कहा कि लार्जर इंटरेस्ट आफ सोसाइटी में जरूरत है कि कुछ लोगों को अपनी जगह से हटा दिया जाय। उन्होंने जोर दिया कि यह पनिशमेंट नहीं है और अगर है तो एक्सट्रा आर्डिनरी सर्कम्सटैंसेज में है। लेजिस्लेचर को अधिकार है कि इस तरह का कानून बनाये।

एक सदस्य—

रेफरैंस क्या है ?

श्री चरण सिंह—

गुरबचन सिंह वर्सेज स्टेट आफ बाम्बे, ए० आई० आर० १९५२ एस-सी २२१। दूसरी रूलिंग इसी सिलसिले में बता देता हूं—हरी वर्सेज डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस, ए० आई० आर० १९५६ एस सी ५५९। उसको भी माननीय मित्र पढ़ लें। अब यह कहा जा सकता है कि यू० पी० हैबिचुअल आफेंडर्स ऐक्ट में कार्यवाही हो सकती है। उस कानून में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह जरूरी नहीं है कि जिस आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जाय वह तीन बार सजा पा चुका हो। उसमें यह प्राविजन है कि तीन बार कैद हो चुकी हो, तब ऐक्शन लिया जा सकता है। इसमें गुण्डे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको कभी भी जेल में न रहना पड़ा हो। इसलिये अप्लाई नहीं करता है। और भी वजूहात हैं। लेकिन उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अब यह सवाल हो सकता है कि इसकी बाकायदा अपील होनी चाहिये, अदालत में। मैं यह मान कर चल रहा हूं कि माननीय मित्रों ने इस बिल को एक बार पढ़ लिया है। तीन-चार क्लाजेज हैं। उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर्डर देगा कि तुम तीन महीने के लिये बाहर चले जाओ। उसकी अपील कमिश्नर के यहां हो सकती है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रखी जाय यह अपील वर्ना डिक्टेटरशिप होगी। एक्जिक्यूटिव से अथारिटी से आप रूल करना चाहते हैं। लेकिन उसका जवाब यह है कि नहीं, यह जरूरी है। मैंने १९५६ की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बतलाई। उसमें इस बात पर बहस हुई थी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं है, कमिश्नर और पुलिस का अधिकार है। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट को दे रहे हैं इसका रिव्यु और अपील कमिश्नर को होगी और एक्जीक्यूटिव अथारिटी स्टेट गवर्नमेंट को थी तो बहस यह की की गयी कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिये बल्कि हाई कोर्ट को अथवा डिस्ट्रिक्ट जज को होना चाहिये, उस पर निर्णय यह हुआ कि यह जरूरी नहीं है इस तरह के केसेज में। फिर हमारे यहां जो डिटेंशन ऐक्ट है उसमें तो तीन महीने तक अपील का सवाल ही नहीं है। तीन महीने के बाद वह अपील कर सकता है। गालिबन तीन महीने के ऊपर कुछ रिव्यु हैं। अब सबसे बड़ा एतराज यह होगा कि विरोधियों के खिलाफ आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। पोलिटिकल आदमी से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिये

डिफिनीशन की गयी है गुण्डे की। क्या किसी माननीय मित्र को जो यहां बैठा हुआ है या किसी पोलिटिकल पार्टी का काम करने वाला वर्कर है उसको यह अंदेशा हो सकता है कि वह गुण्डे की तारीफ में आ जायगा ? नहीं, आ ही नहीं सकता। वह अपने को कुछ समझे, गुण्डे की जो तारीफ की गयी है उसमें कोई पोलिटिकल वर्कर किसी तरह से नहीं आता। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अंग्रेजों के जमाने में क्या राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ इस ऐक्ट के मातहत कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री चरण सिंह—

यह ऐक्ट अंग्रेजों के जमाने में भी था और कानपुर में लागू किया गया था क्योंकि वहां रायट्स वगैरह हो रहे थे। कभी भी जहां तक मुझे याद पड़ता है किसी पोलिटिकल वर्कर के खिलाफ उस जमाने में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तसदीक तो नहीं की है, जो माननीय मित्र यहां बैठे हैं कानपुर के, उनमें से दो-चार ने यह कहा कि चाहे और कहीं लागू किया जाय या न किया जाय लेकिन कानपुर में यह जरूर लागू किया जाय। मैं माननीय नेगी जी की पार्टी को बहुत एक्सट्रीम व्यु रखने वाली मानता हूं। बहुत फर्क है उनमें और हम में लेकिन कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नक्सलाइट जो वायलेंस में विश्वास करते हैं, के खिलाफ भी इसके इस्तेमाल करने की मंशा नहीं है। इसकी डेफिनीशन से कहीं यह बात नहीं टपकती कि किसी पोलिटिकल वर्कर के खिलाफ यह इस्तेमाल हो सकता है—ऐसे पोलिटिकल लोगों के खिलाफ तब तक यह लागू नहीं होगा जो हथियार उठा लें, मर्डर कर दें और लिस्ट बना लें नेशनलिस्टों की। (व्यवधान) यों तो हर अख्तियार जो किसी अफसर को दिया जाता है उसके दुरुपयोग का सवाल उठ ही सकता है। कौन-सा कानून अथवा कौन सा अख्तियार है जो अफसरों को दिया जाय और उसका दुरुपयोग न होता हो। यहां तक कि लेखपाल को एक इन्दराज करने का अख्तियार था रिमार्क कालम में, उसका बहुत दुरुपयोग हुआ। सबइन्सपेक्टर को बहुत अख्तियार है, उनका दुरुपयोग हो, हेल्थ विजिटर को बहुत अख्तियार हैं उनका दुरुपयोग हो, चकबन्दी आफिसर को बहुत अख्तियार है उनका दुरुपयोग हो सकता है और अध्यक्ष महोदय, आज तो जो जुडिशियल आफीसर हैं, बड़े अफसोस की बात है कि एक बहुत बड़े प्रतिशत में उनकी इन्टेग्रिटी पर विश्वास हमारी जनता का उनके प्रति नहीं रह गया है जो कि आज से २५ साल पहले था। किन्तु क्या इन जुडिशियल आफीसर्स को अख्तियार न दिये जायं? किसी भी आफीसर को, किसी भी आदमी को काम करने का अधिकार हमें देना ही होगा और उन्हें करेस्पौंडिंग पावर्स देनी ही पड़ेंगी। अगर अधिकार नहीं देंगे तो लाइबुल टु एब्यूज होगा। उसका उपयोग ही हो नहीं सकता। हम सब लोग यहां पर बैठे हैं, जनता के हाथ में पोलिटिकल पावर्स हैं, आप पर उनकी जिम्मेदारी है और आप उनके प्रतिनिधि हैं, इस बात की चुनौती है कि जो लाखों कर्मचारी उनके आर्डर्स पर चलते हैं उन पर लगाम रखें। अगर इस कानून को न बनाया जाय तो आपका जो शासन तंत्र हैं, जनता के हाथ में पोलिटिकल पावर्स हैं अगर उसके प्रतिनिधि सजग नहीं रहेंगे तो क्या होगा—एक मुसीबत का जमाना आ सकता है जैसा कि देश के बहुत से स्थानों में आ गया है। अगर लोग सजग हैं, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहते हैं और जिनमें लगाम रोकने की क्षमता है किन्तु अगर यह कानून न हो तो अमल नहीं कर सकते, वे कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को इस बात की खुशी नहीं है कि इस प्रकार का कानून लाना पड़ा किन्तु आज परिस्थिति का तकाजा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जहां तक इस कानून का ताल्लुक है पहले जो हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त थे और जब उनके पास होम डिपार्टमेंट था तब उनका इस कानून में एप्रूवल था। तो इस प्रकार यह कोई गवर्नमेंट की सीक्रेट बात नहीं है। यह तो हमारे पास गवर्नमेंट के डिस्पोजल के लिये एक पेंडिंग बिजनेस था जो कि सामने आया है। मैं उनको इस सम्बन्ध में बधाई देना चाहता हूं कि

[श्री चरण सिंह]

उन्होंने इस प्रकार के किसी कानून को लाने की बात सोची। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कानून की यहां पर जरूरत थी कि ऐसे वक्त में इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। यहां पर जो आपका यह लखनऊ शहर है यह बहुत बड़ा शहर है। मेरे पास सन् ६१ और सन् ६७ में होम डिपार्टमेंट था। रोजाना कभी इस मोहल्ले से, कभी उस मोहल्ले से कोई न कोई यह शिकायत लेकर आता था कि वह विधवा है, बहुत गरीब है, उसकी जमीन ले ली गई है या कोई दूसरा आदमी उससे महरूम कर रहा है। कोई दिन खाली नहीं जाता था कि जिस दिन इस प्रकार कोई औरत रोती-गाती नहीं आती थी। और आज भी यही हालत है किन्तु किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसकी रक्षा कर सके। अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैंने पहले ही जैसे ही यह कैबिनेट बनी तो सिटी सुपरिंटेंडेंट पुलिस और एस० एस० पी० दोनों को बुलाया और उनसे कहा कि काम तो बहुत है किन्तु सबसे पहला काम यह है कि तुम सबसे पहले सेन्स आफ सेक्युरिटी लोगों में कायम करो। यहीं नहीं, जो शिकायत लेकर थाने में आये उसी को आप न देखें किन्तु अपनी तरफ से भी आप ऐसे लोगों को देखें जो कि जनता को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। आप उनको अपने पास बुला कर उन्हें समझायें कि यदि आप ऐसा करेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कार्यवाही करेगी। मोबाइल यूनिट्स की एक दफा एक स्कीम छपी थी तो हमारे एस०एस०पी० ने शहर को २०हिस्सों में बांट दिया। अध्यक्ष महोदय, कोई बहस की खातिर माने या न माने, किसी भी मेन इन दि स्ट्रीट से पूछा जाय कि उसको किसी गुण्डे या किसी जबरदस्त आदमी का डर है तो वह यही कहेगा कि नहीं है। कम से कम मेरे पास तो अब शिकायतें नहीं आतीं। मुमकिन है १–२ शिकायत इन चार महीने में गुण्डागीरी की आयी हो। एस० पी० ने गुण्डागर्दी के नियंत्रण के लिये एक स्कीम बना दी और उनका कहना है कि इस कानून के बन जाने के बाद इन केसेज का डिसपोजल बहुत आसान हो जायगा। उन्नाव का जिला एक ऐसा जिला है जहां बहुत जरायम होते हैं, वहां एक एस० पी० थे श्री एस० एन० शर्मा। वे अब वहां से सी० आई० डी० में आ गये हैं। मैं उनको डी० एस० पी० के समय से जानता हूं। बहुत अच्छे आफीसर हैं। जब इस कानून की खबर अखबारों में छपी तो उन्होंने कहा कि जब यह कानून बन जायगा तो इस समस्या पर बहुत कुछ नियंत्रण हो जायगा। केवल इस खबर मात्र से कि इस प्रकार का कानून बन रहा है, क्राइम सिचुएशन में काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है।

अब मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर इसको सुधारने के लिये या बेहतर बनाने के लिये किसी और चीज से इसकी मंशा पूरी हो सकती है तो माननीय मित्र सेलेक्ट कमेटी में अपने अपने सुझाव जब देंगे, मैं और मेरे साथी खुशी से उनको मंजूर करेंगे। इस लिये मेरी इच्छा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह तो एक बहुत अच्छी बात होगी कि गुण्डों पर कन्ट्रोल कर लिया जाय। यह कोई बुरी बात नहीं है। इससे सभी सहमत होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जनता का जो राइट आफ इंक्वायरी का फंडामेंटल राइट है, पर इससे स्पष्ट प्रहार होता है। इसमें जो गुण्डा की डेफीनीशन दी हुई है वह इस प्रकार है—

"गुण्डा के अन्तर्गत बदमाश, आतंकी, दुष्ट या अन्य दंगाई भी है।" तो असली गुंडा की डेफीनीशन क्या है, यह इस बिल में कहीं दिया हुआ नहीं है, केवल यह कहा है कि गुण्डा में ये ये भी आते हैं।

इसके अलावा आप खंड ३ के (२) को भी देखें। उसमें लिखा हुआ है "यदि जिला मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि कोई व्यक्ति गुंडा है और साक्षीगण अपनी जान या संपत्ति के क्षेम के संबंध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं तो जिला मैजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा उसे यह निदेश दे सकता है।"

इसके विरुद्ध मेरी शिकायत यह है कि हमारे यहां एक ऐवीडेंस ऐक्ट बना हुआ है और उसके नियम भी बने हुये हैं। जनतंत्र का यह मूल आधार है कि किसी को अगर कोई पनिशमेंट देता है तो उसको उसके विरुद्ध साक्ष्य देने का अधिकार होना ही चाहिये। लेकिन यदि जिलाधीश को केवल यह आभास हो जाय, जिलाधीश भी मनुष्य हैं। यही नहीं, जिस तरह से इस प्रदेश की हालत चल रही है, मैं तो यह कहूंगा कि जिलाधीश शासन का कठपुतली हो गया है। जब ऐसे आई०ए०एस० आफिसर्स प्रदेश में होंगे तो आप समझ लें कि उनके सोचने का क्या तरीका होगा। उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वह किस तरह से सोचेंगे। अगर उनको साक्ष्य नहीं मिला तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। अगर जिलाधीश महज सोच ले कि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा है तो वह एक आदेश दे देगा। तो यह प्रजातन्त्र में मौलिक अधिकारों का हनन है। इसमें यह है—

"(५) उपधारा (३) के अधीन किसी जांच में जिला मैजिस्ट्रेट कोई ऐसा साक्ष्य स्वीकार कर सकता है जिसे प्रमाणक मूल्य का समझें, और इस सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के उपबन्ध लागू हुये न समझे जायेंगे।" इसमें यह भी कहा है कि इंडियन एविडेन्स ऐक्ट एप्लाई नहीं करेगा। इंडियन एविडेन्स ऐक्ट सेन्ट्रल ऐक्ट है और १९०० से पहले का बना हुआ है। आज तक उस ऐक्ट में कहीं भी खामी नहीं मिली। सवाल यह है कि जांच किस तरीके से होगी जब इंडियन एविडेन्स ऐक्ट एप्लाई नहीं करेगा। तब तो जिलाधीश अधिनायकवादी की तरह से जो चाहेगा करेगा, उसमें आप कोई चेक नहीं कर सकेंगे। तो इस क्लाज को भी हटा देना चाहिये। अगर हटाते नहीं हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर यह कोर्ट में चैलेंज हुआ तो यह पैरा डिलीट हो जायगा। एक अजीब बात है, गुंडा और पुलिस को बराबर कर दिया है। इंडियन एविडेन्स ऐक्ट में है कि पुलिस अगर कोई एविडेन्स रेकार्ड करती है तो हम विश्वास नहीं करते। वह महज कंट्राडिक्शन के लिये प्रयोग होता है। या तो यह कहा जाय कि पुलिस और गुंडे की क्षमता बराबर है।

श्री चरण सिंह—

कहीं-कहीं गुंडे की एस० आई० से ज्यादा क्षमता होती है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

हम तो कानून बनाने की बात कह रहे हैं। कानून तो यह समझ कर बना रहे हैं कि गुंडा कोई नहीं होगा। अगर गुंडा ही समझ कर बना रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसमें जो धारा ७ है वह भी देखें—

"इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।" यानी जिलाधीश या कमिश्नर जो आदेश कर देंगे वह फाइनल होगा, हम उस आदेश को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे मुख्य मंत्री जी की मंशा यह थी और हमारी भी यही मंशा है कि अगर कोई गुंडा है तो वह बन्द कर दिया जाय, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। लेकिन अगर कोई अधिकारी दुरुपयोग करता है तो हम क्या कर सकते हैं? यह क्लाज बार करता है, हम कहीं जा ही नहीं सकते, वह आर्डर फाइनल है।

इसके अतिरिक्त अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि ११० सी० आर० पी० सी० काफी नहीं है। इसके अन्तर्गत हम कार्यवाही नहीं कर सकते। और यू० पी० हैबिचुअल आफेंडर्स ऐक्ट के अन्तर्गत अगर किसी को तीन मर्तबा सजा हो चुकी हो तभी हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यू० पी० हैबिचुअल आफेंडर्स ऐक्ट को ही अमेंड कर दें कि अगर किसी को एक मर्तबा ही सजा हो गयी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है तब इस ऐक्ट की कोई जरूरत ही नहीं रह जायेगी। आपका

[श्री विश्वनाथ कपूर]

जाब्ता फौजदारी सैकड़ों साल पुराना है और तब से हमारा सारा कार्य चल रहा है। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जाब्ता फौजदारी से हमारा काम चलने वाला नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है वह १९५२ और १९५६ का है और यह १९७० है। इधर की कोई रूलिंग नहीं दी गयी है। किन सरकमस्टांसेज में वह रूलिंग दी गयी यह देखने की बात है। हम नहीं कहते कि गुण्डा ऐक्ट नहीं होना चाहिये लेकिन जिस प्रकार से यह आया है, मुख्य मंत्री जी ने तो यह कह दिया कि पोलिटिकल आदमियों के ऊपर प्रयोग नहीं किया जायगा। अगर ऐसी बात है तो जहां उद्देश्य है उसमें क्लियर कर दिया जाय। उस ऐक्ट के उद्देश्य में जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक, १९७०, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियन्त्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष उपबन्ध बनाने के लिये, इसमें उद्देश्य में साफ कर सकते थे कि इससे पोलिटिकल पार्टीज से सम्बन्ध नहीं रहेगा और न पोलिटिकल पार्टी पर एप्लाई करेगा। इसके लाने से यह शंका हो रही है कि सरकार के जरिये इसका दुरुपयोग होगा। मुख्य मंत्री जी ने जिला परिषदों को तोड़ दिया और जिलाधीश को बिठा दिया और अब गुंडा विधेयक ला रहे हैं और उस पर भी जिलाधीश को बिठा देंगे। इस प्रकार से सारे अधिकार एक ही आदमी के पास दिये जा रहे हैं और उस मशीनरी को ये अधिकार दिये जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के बिल्कुल नीचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के पास भेजने से पहले इसमें संशोधन हो जाय और अगर यह नहीं होता है तो मैं कहने के लिये मजबूर हूं कि इसको काला विधेयक की संज्ञा देना ठीक होगा। इससे तो यह होगा कि हम किसी कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर हमें जाना है तो एक्जिक्यूटिव के मातहत रहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में संशोधन कर दिया जाय तब इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि इस विधेयक का इस्तेमाल किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं किया जायेगा मैं उसका स्वागत करता हूं। मगर इसके बावजूद मान्यवर, कितनी बड़ी विडम्बना है कि हमारे देश को आजाद हुये २२ वर्ष हो गये और इस दौरान में यह समझा जाता था कि हमारे देश में और प्रदेश में जनतन्त्र की जड़ें मजबूत हो जायेंगी, लेकिन आज जब उन लोगों की तरफ से जो अपने को केवल समाजवादी ही नहीं कहते हैं, मान्यवर, बल्कि अपने को जनतांत्रिक समाजवादी कहते हैं इस तरीके का विधेयक आता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वह भी समाजवादी हैं। उनका कहना है कि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं और हम लोग जो कम्युनिस्ट हैं वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं चाहते हैं और जो नमूना २२ साल की आजादी का पेश किया जाता है वह हमारे सामने है। मान्यवर, हर देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर जो क्रिमिनल जूरिस्प्रुडेन्स हैं उसके बुनियादी सिद्धान्त क्या हैं। उसका बुनियादी सिद्धान्त यह है कि:—

"A person shall be presumed innocent unless he is proved to be beyond all reasonable doubts."

यानी वह आदमी निर्दोष समझा जायेगा जब तक कि कानून के जरिये साबित न हो जाय कि वह आदमी दोषी है इससे दूसरा उसूल निकलता है। वह उसूल यह है कि सबूत की जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वह प्रासिक्यूशन पर है और तीसरी चीज यह निकलती है कि अगर सबूत के बारे में शक होता है तो उसका फायदा अभियुक्त की तरफ जाना चाहिये। आज इस विधेयक के अन्दर तीनों सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। यह कलंक की बात है। मान्यवर, आप देखें कि इस विधेयक के अन्दर क्या व्यवस्था की गई है। अगर जिलाधिकारी को शक हो जाय कि यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी ऐसा काम करने वाला है, अभी उसने काम किया नहीं है, बल्कि करने वाला है, तो जिलाधिकारी उसको दो साल के लिये जिले से बाहर कर देगा। उसके बाद क्या है। बर्डेन आफ प्रूफ जिलाधिकारी के ऊपर नहीं होगा, पुलिस के ऊपर नहीं होगा बल्कि बडन आफ प्रूफ धारा ३ इसकी पढ़ लीजिये, अभियुक्त के ऊपर है। आपके बारे में यह शिकायत है सफाई दीजिये, यह इसके अन्दर है। मान्यवर, बनियादी वसूल जूरिसप्रूडेन्स का जो है उसमें बरडेन आफ प्रूफ कभी एक्युज्ड के ऊपर नहीं रहा। इस विधेयक के जरिये से पहली दफा इस उसूल को तोड़ा जा रहा है।

उसके बाद मान्यवर, क्या है? शहादत के बारे में हमारे जुरिसप्रुडेन्स के अन्दर जिसको देश ने माना है वह इंडियन एवीडेन्स ऐक्ट की तहत में स्वीकार किये गये हैं। उसमें यह है कि किस तरह की शहादत न्यायालय स्वीकार करेगी और किस तरह की शहादत स्वीकार नहीं करेगी। इसके लिये इंडियन एवीडेन्स ऐक्ट हमारे यहां है। आज पहली दफा शायद यह पहला विधेयक है जिसमें लिखा गया है कि जिलाधिकारी के न्यायालय में इस किस्म की जो कार्यवाही की जायेगी उस कार्यवाही में जो एवीडेन्स दी जायगी उनके ऊपर इंडियन एवीडेन्स ऐक्ट नहीं लागू होगा। मान्यवर, इस ऐक्ट में यह व्यवस्था है। आखिर किसके खिलाफ इस विधेयक का इस्तेमाल होगा? गुण्डा की डिफिनिशन देखिये। मान्यवर, क्लाज २ के (ख) खंड में है। गुण्डा के अन्तर्गत बदमाश, आतंकी, दुष्ट या अन्य दंगाई भी हैं। तो पहली चीज तो यह है मान्यवर, गुण्डा की परिभाषा पूर्ण नहीं है, केवल इन्क्लूसिव चीजें रखी गयीं हैं कि इसके अन्तर्गत यह भी आ सकता है और इनके अलावा भी आ सकता है। इनके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जो गुण्डा की परिभाषा में आते हैं इसके बारे में विधेयक खामोश हैं। मैं न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बदमाश की परिभाषा क्या है? किसको आप यह संज्ञा देते हैं? दूसरा शब्द जो इसके अन्दर आता है वह है आतंकी। इस शब्द की भी आख्या चाहिये और फिर है "अन्य दंगाई"। अन्य दंगाई का मतलब क्या है? जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो कृपया इन चीजों को साफ कर दें।

मान्यवर, सही है कि मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि राजनीतिक लोगों के खिलाफ इस विधेयक के अन्दर कार्यवाही नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि जब तक मुख्य मंत्री जी की सरकार है सम्भव है तब तक यह विधेयक राजनैतिक दलों के खिलाफ न प्रयोग किया जाय किन्तु दुर्भाग्य से उनकी जगह कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो जो वादा उन्होंने किया है वह उसको माने, यह कैसे हो सकता है? प्रश्न यह है कि जब आप स्टेच्यूट बुक में इस किस्म का नियम लाते हैं तो इसके मिसयूज करने की गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस कानून के अन्तर्गत सजा नहीं दी जायगी, इसके अन्दर केवल जिला से बाहर भेजा जायगा। मान्यवर, इसकी धारा ४ जो है उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसको ३ वर्ष तक की कैद हो सकती है। कम से कम ६ महीने की कैद होनी चाहिये। मान्यवर, जब उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो शहादत इस बात की नहीं आयेगी कि उसने कौन-सा क्राइम किया है, कौन-सा जुर्म किया है, बल्कि इस बात की आयेगी कि जिले के बाहर जाने के लिये कहा गया था, नहीं गया। और यह कार्यवाही इसलिये की गई थी कि जिला मजिस्ट्रेट को संदेह था कि आपका जुर्म करने का इरादा था। श्रीमन्, जुर्म नहीं किया, बल्कि करने वाला था, लिहाजा दो साल के लिये जेलखाने में बन्द रहने दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस देश के स्टेच्यूट बुक में इस तरीके का कानून होगा, किस कानून के अन्तर्गत केवल इरादा करने पर, जुर्म नहीं किया गया, मान्यवर, आप एक आदमी को बगैर मुकदमा चलाये हुये २ साल के लिये जेल के अन्दर बन्द कर दें। यह बुनियादी उसूल जो जनतंत्र का है, क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्स का है, के खिलाफ है। एक आदमी जुर्म नहीं करता और उस पर बगैर मुकदमा चलाये २ साल के लिये जेलखाने में बन्द कर दें।

[श्री गोविन्द सिंह]

मान्यवर, पैरा ३ के अन्दर जिलाधीश महोदय, वह केवल ग्राउंड देंगे इस बात का कि आपके बारे में क्यों संदेह किया जाता है ? उसके बारे में, मान्यवर, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वह ग्राउंड सप्लाई करेंगे, उसके आधार पर कोई साक्षी देंगे। केवल उस व्यक्ति को 'शो काज' 'कारण बताओ' का अवसर देंगे, कारण बताने के बाद उस व्यक्ति को शहादत देने का अवसर देंगे। यह भी जुरिसप्रुडेन्स का बुनियादी उसूल है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, पहले उस शिकायत के बारे में तथ्य रखेंगे, प्रमाण रखेंगे, साक्षी रखेंगे। अब यह नहीं है। उल्टी गंगा चल रही है। बार सबूत पक्ष पर नहीं होगा। अब इस प्रदेश में बार सबूत अभियुक्त पर होगा, जो मुलजिम है उस पर होगा। जिलाधीश को न केवल इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह केवल ३ माह के लिये जिले के बाहर भेजें, उनको यह भी अधिकार दिया गया है कि वह उस ३ महीने की अवधि को बढ़ाते-बढ़ाते २ वर्ष तक के लिये बाहर जिले के रखे रहे। इसलिये श्रीमन्, इस तरह का इसमें कोई प्राविधान नहीं कि वह इसके लिये उसको बताये और नोटिस दे। इतना ही नहीं श्रीमन्, खण्ड ३ की (२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित व्यक्ति को यदि उसकी राय में ऐसा करना व्यवहार्य हो तो तदर्थ अभ्यावेदन देंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर जिला मैजिस्ट्रेट इस चीज को कन्वीनिएन्ट समझे, ठीक समझे और प्रेक्टिकल समझे उसी दशा में केवल 'शो काज' का नोटिस दिया जायगा, अन्यथा मान्यवर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के ऊपर कोई प्रतिबन्ध इसमें नहीं लगता।

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के द्वारा इस समस्या का समाधान हो जायगा? उदाहरण के लिये, श्रीमन्, कुछ विरोधी तत्व देहरादून के अन्दर कुछ कांड करता है और वहां के जिलाधीश ने उनको देहरादून से निकाल कर सहारनपुर भेज दिया। मान्यवर, इस बात की क्या गारंटी है कि वे असामाजिक तत्व जिनको आप गुंडा कहते हैं और जो देहरादून के अन्दर गुंडागर्दी करते हैं वे सहारनपुर में जाकर गुंडागर्दी नहीं करेंगे? अगर आप वास्तव में गुण्डागर्दी को कम करना चाहते हैं तो इससे गुंडागर्दी कम नहीं होगी बल्कि इससे गुण्डागर्दी बढ़ेगी। अगर देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसे लोगों को टेहरी-गढ़वाल या पहाड़ी जिले के अन्दर भेज दिया तो पहाड़ों के अन्दर जो शान्तिप्रिय लोग रहते हैं वहां भी गुंडागर्दी शुरू हो जायेगी। और इस तरह से केवल कानून पास करने से इस समस्या का हल नहीं होगा बल्कि इससे उल्टा ही होगा। असल चीज यह है कि २२ साल के दौरान आपने पुलिस के निकम्मेपन को देखा है। आपकी पुलिस की हरकतों की वजह से जो जनता को सुरक्षा नहीं मिली उसके ऊपर पर्दा डालने के लिये आप इस किस्म का कानून हमारे सामने ला रहे हैं। यह कानून हमारे ऊपर कलंक लगाये या न लगाये लेकिन यह सही बात है कि २२ साल तक जिस हुकूमत ने इस प्रदेश के अन्दर शासन किया है, २२ साल तक जिस शासन के हाथ में इस प्रदेश की बागडोर रही है उसके कारनामों पर यह विधेयक एक कलंक है। यह विधेयक साबित करता है कि २२ साल तक पुलिस को प्रशासन ने ढंग से नहीं रखा। २२ साल तक आपकी पुलिस निकम्मी रही है। २२ साल के अन्दर पुलिस ने हमारे प्रदेश की जनता को सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया है। इसलिये २२ साल के कारनामों पर यह विधेयक कलंक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह जो बिल है इसका बहुत ही सच्चे दिल से विरोध भी किया जा सकता है और सच्चे दिल से इसका समर्थन भी किया जा सकता है। यह बड़ा ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कंट्रोवर्सियल बिल है लेकिन खूब ठंडे दिल से सोच-विचार करके मैंने इसका समर्थन करने का निर्णय कर लिया है। उसके क्या कारण हैं, वह मैं अपने माननीय सदस्यों के आगे अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। खैर, एक बात तो यह है कि हमारे कानपुर में जब गुंडा ऐक्ट लगा और वहां से करीब डेढ़ हजार आदमी हटाये गये तो हमें १५–२० वर्ष तक शान्ति मिली। यह तो स्थानीय सूचना है लेकिन उसका जिक्र कर देना जरूरी है। वहां के करोड़पति लोगों ने एक फैशन सा बना रखा था कि वे अपने यहां १०–२५ या ५० गुरु लोगों को रखते थे। वे गुरु कहलाते थे। उनका काम यही था कि वे अपने करोड़पति मालिक के इशारे पर किसी की भी इज्जत और किसी के भी जीवन को संकट में डाल देवें। जब तीन तरह के सेक्शन आई० पी० सी० में मौजूद हैं, इनजुरी टु दि बाडी, इनजुरी टु दि प्रापर्टी और अबेटमेंट आफ ला, वे सेक्शन १६, १७ और २२ के रूप में हैं।

अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह सब जानते हैं कि जुडिशियल एप्रोच जिसका है यानी शुद्ध न्यायाधिकरण और उसके सिद्धान्त का एप्रोच जिनका है वे इसको पसन्द नहीं करेंगे। मगर व्यावहारिकता इसमें है, और हम रोज यहां देखते हैं कि पूरा का पूरा आई० पी० सी० पुलिस के सुपुर्द हो गया है। मामूली दंगों के करते हम मैजिस्ट्रेटों को भी काफी पावर दे रखे हैं। फिर आज हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कौन सी नयी चीज दे रहे हैं। जितना अधिकार उनको दिया गया है उसका सौवां हिस्सा भी इस विधेयक के अन्दर नहीं दिया गया है। अगर हमारे यहां के मैजिस्ट्रेट्स को अपने आन्तरिक, सब्जैक्टिव एस्टीमेशन पर यह समझ कर कि यह नुक्सान करेगा जान-माल का, चैप्टर १६, १७ आई० पी० सी० के जो आफेन्स बनते हैं तो हम तो गोली चलाने का आर्डर देते हैं, मिनीमम फोर्स के नाम पर और रोज चलती है, तब अगर हम गिरफ्तारी का हक देते हैं, सफाई का हक देते हैं तो पहले का जो कानपुर का गुण्डा ऐक्ट था उससे अधिक संरक्षण यहां तथाकथित गुण्डे को दिया है। यह मैं मानता हूं कि गुण्डा की डेफिनीशन इसमें बहुत अधिक व्यापक है। मगर मैं उसको बृहस्पति समझूंगा जो गुण्डे की पूर्ण डेफीनीशन दे दे जिसमें अदालत या आदमियों के किसी सम्मेलन में दो राय न हो सके। जब तक इन्सान है तब तक आप चाहे जितना सूक्ष्म निरीक्षण करके, चाहे जितनी तटस्थ बुद्धि से समालोचना करके आप व्याख्या करें तब भी उसमें दो राय की गुंजायश रहती है। तो एक डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की बुद्धि से यहां यह होना चाहिये, यहां वह होना चाहिये, छोटी-छोटी तफसील में नहीं जाऊंगा। मोटे तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। पार्लियामेन्ट में अभी जो बंगाल का प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट का सजेशन वहां के गवर्नर ने दिया और उसको रद्द किया गया ऊंचे-ऊंचे सिद्धांतों के नाम पर, उसके बारे में मेरी यह तुच्छ राय है कि बंगाल की जनता जो त्रस्त है उसके साथ न्याय नहीं किया गया। तो जहां मैं गुण्डों के साथ न्याय चाहता हूं वहां गुण्डों से जो त्रस्त लोग हैं उनके साथ भी न्याय चाहता हूं और माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि भावुकता में न जायं, सब पक्षों पर विचार करें।

मान्यवर, अमरीका में यह परिस्थिति आ गयी है कि वहां का क्राइम सारे संसार में सबसे ज्यादा आर्गेनाइज्ड है। वहां के क्रिमिनल्स-माफिया-सैकड़ों डाक्टर, सैकड़ों लायर्स, बैरिस्टर और साइंटिस्ट को अपनी नौकरी में रखते हैं। वहां पर एवीडेन्स ऐक्ट, जैसा हमारा है, उसके मुताबिक एडमिसीबिलटी क्राइम की कर पाना प्रैक्टीकली असम्भव हो गया है। यहां तो मोटे-मोटे कारण लिखे हैं कि गवाह को धमकाया गया है। वहां तो बेहतरीन वकील, लीगल इन्युमिनरीज, कानून के विशारद, उस क्रिमिनल गैंग्स माफिया के अन्डर में काम करते हैं। तो अब अमेरिका में लीगल ओपीनियन यह हो रही है कि कानून में ऐसी तफसील में न जायं कि सारे क्रिमिनल ही छूट जायं। श्रीमन्, ५०० पालिटिकल मरडर्स बंगाल में हुये बंगाल लेफ्टिस्ट पार्टीज ने एक कन्वेशन में यह प्रस्ताव भी पास किया कि हमको इस बात का दुख है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के कत्ल कर देते हैं और उसका कारण यह है कि अनसोशल एलीमेन्ट्स हमारी पार्टीज के अन्दर क्रीप कर गए हैं। अगर हम यह चाहते हैं कि भिवांडी और जलगांव जैसे डर्टी या

[श्री गनेशदत्त बाजपेयी]

अगली अकरेन्सेज उत्तर प्रदेश में न हों तो हमको कुछ एक्सट्रा सावधानी की जरूरत है और उस सावधानी के लिये हमको कुछ पावर्स चाहिये ऐसे तत्वों के खिलाफ जो किसी भी वक्त दंगा करा सकते हैं। मैं किसी राजनैतिक पार्टी का नाम नहीं लेता। राजनीति के लोग बड़े उदार, विद्वान् और देशभक्त होते हैं, मगर उनकी पार्टी में, जैसे कि लैफ्टिस्ट कन्वेन्शन म बंगाल में कहा गया कि अनजाने में हमारे रोकने के बावजूद अनसोशल एलीमेन्ट्स हमारी पार्टी में घुस आए और वह एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल करते हैं। ऐसी ही सम्भावना अगर उत्तर प्रदेश में हो सकती है तो क्या यह व्यावहारिकता नहीं है कि हम अपने प्रदेश में शान्ति बनाये रखने के लिये कुछ और अधिकार अपने जिलाधीश को देवें ? इसमें कोई विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। जसा मैंने बतलाया कि उससे सौ गुना अधिक अधिकार आप पहले से ही उनको दिये हुये हैं। जब हम लोग केवल एक अधूरी अव्यावहारिक दृष्टि से बात करते हैं तो वह दूसरे ढंग की बात हो जाती है।

मुझे याद है डा० काटजू ने यह कहा था कि हमारे यहां यह दफा १०९ कलंक है। इसको मिटा देंगे। तो देखिये डा० काटजू नहीं रहे। वह हमारे पूज्य थे लेकिन यह दफा हमारे यहां चालू है। गर कांग्रेस सरकारें भी भारत में आई, लेकिन उन्होंने भी इसको हटाने की कोशिश नहीं की। इतनी गिरावट नहीं हो सकती है अगर आपके सामने एक स्पेसिफिक टास्क हो। होम मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगे होते हैं तो उसकी जवाबदेही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर है और एस० पी० पर है। उनको दंड मिल सकता है अगर जहां कहीं दंगे हों वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जवाबतलब किया जाय। इसलिये उनको परिस्थिति के अनुकूल, हमारे समाज की उन्नति क अनुकूल कुछ एसे अधिकार देने में मैं कोई एतराज नहीं समझता हूं। उससे सैकड़ों गुना अधिक अधिकार आप पहले ही दिये हुये हैं। यह मेरा कहना है। यह सदन अगर इस बात पर विचार करने लग जाय कि शक्ति का कन्सेन्ट्रेशन जहां जिसके पास होता है वह वहां उसका मुनासिब उपयोग करता है या नहीं। हम और आप जानते हैं कि लोग राज्य को स्वयं सबसे बड़ी प्रासिक्यूशन मशीनरी समझते हैं और लीगल कंक्लुजन तक जायं तो फिर यह होगा कि राष्ट्र में हीनता की भावना आयेगी। अगर स्टेप बाई स्टेप हम सोचें तो इसका विचार चलता रहे कि किसी स्थान में, किसी इन्स्टीट्यूशन में कोयर्सिव पावर केंद्रित न करें और मनुष्य जाति को स्वतंत्रता देवें तो फिर सरकार को जुडिशरी की, जेल की, लेजिस्लेटिव बाडीज की कहीं जरूरत न होगी। यह सेकिंड बात हमारे कल्याण के लिये नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो यह बिल प्रवर समिति के सामने जाने वाला है। जिन बातों को छोटा समझते हैं या गैरमुनासिब समझते हैं तो प्रवर समिति उन बातों पर विचार करके देख लेगी। इसमें मुझे मेन बात यह निवेदन करना है कि इसको कवाल टाउन्स में ही महदूद करें। जहां तक माननीय सदस्यगण चाहते हों कि हमारे यहां बगैर इसके काम नहीं चलेगा जैसे कि बम्बई सिटी में इसके बगैर काम नहीं चल सकता है और हमारे कानपुर में किसी वक्त में पचास करोड़पति हमको कहला सकते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है। वह खतरा पैदा कर सकते हैं। मेरे साथ भी लाख आदमी रहते हैं वरना कानपुर जैसे शहर में मार डालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको इस ढंग से सोचा जाय कि जहां के माननीय सदस्य इस किस्म से इस विधेयक को पसन्द करें तो यह वहां पर लागू किया जाय, और उसकी व्यापकता पूरे प्रदेश में रहे या न रहे इस पर विचार कर लिया जाय और सदन का मत जान लिया जाय। कानपुर के लिये तो मैं इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकता कि वहां यह लगे या न लगे लेकिन पूरे कबाल टाउन्स में रखें इसके लिये सोच लिया जाय, लखनऊ में शायद उस की जरूरत न हो, बनारस में शायद हो।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विधेयक पर यहां विचार कर रहे हैं उसके द्वारा करीब-करीब जो हमारे चार पुराने ऐक्ट हैं उनमें भी परिवर्तन और संशोधन हो जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा संविधान जिसमें कि हमको फंडामेंटल राइट्स दिये गये हैं कि हम कहीं भी काम करें, कहीं भी रहें हिन्दुस्तान में उस हक में हमारे एक तरमीम होती है । दूसरा ऐक्ट है एवीडेंस ऐक्ट जिसके द्वारा मुलजिम को गवाही और जिरह का मौका मिलता है, उसमें तरमीम हो जाती है, तीसरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसका कायदा है कि साबित करो कि यह आदमी गुन्डा है, एक नैगेटिव कानून है और चौथे जुरिसप्रूडेंस का नियम है कि कोई भी आदमी भला है जब तक कि दूसरे ढंग से सिद्ध न हो जाय कि वह बदमाश है । हम कानून बनाने जा रहे हैं कि फलां आदमी बदमाश है और वह साबित करे कि हम भले हैं । अगर मंत्री जी इस एवीडेंस ऐक्ट और इस साधारण न्याय के सिद्धांत को खत्म कर देंगे तो पता नहीं प्रदेश को आप कहां ले जायंगे । इस तरमीम से हम एक नई दिशा में जा रहे हैं जैसा कि हमें इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से पता चलता है । मैं एक लाइन इसकी पढ़े देता हूं जिससे पता चलेगा कि यह है क्या चीज, इसमें लिखा है कि "असामाजिक कार्यों की रोकथाम के लिये और उनको समुचित दंड देने के लिये इस समय कोई उपयुक्त प्राविधान नहीं है ।" जिन धाराओं का इसमें जिक्र है, जिन चेप्टर्स का जिक्र है अगर मंत्री जी उनको देखें तो पता चलेगा कि कौनसी चीजें उसमें आती हैं तो वह आफेंस टु बाडी, आदि कई चीजें हैं । लेकिन इन सबके लिये तो पहले से ही प्राविधान मौजूद है और सजा का भी प्राविजन है । इसके उद्देश्य और कारणों में भी नहीं बताया गया है कि हमको गवाहियां नहीं मिलतीं इस वास्ते हम इन चारों पुराने कानूनों में तरमीम करने जा रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स को भी बदले दे रहे हैं । ऐसा कहते तो बात समझ में आती लेकिन ऐसी बात कहने की उनकी हिम्मत नहीं है । वह कहते हैं कि बहुत आतंक है, वह बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है । मैं माननीय मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि आप में से कौन ऐसा मंत्री है जो अपने साथ माने हुए गुन्डों को लेकर कलेक्टर और एस० पी० की मीटिंग में नहीं जाते हैं और उसका क्या प्रभाव अफसरों और दूसरों लोगों पर पड़ता है ।

आज मैं माने हुए उदाहरण जानता हूं कि चुनाव के दौरान में मुख्य मंत्री जी के साथ ऐसे लोग पाये गये हैं और दावतों में गये हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्री हैं कि जो उन दावतों में नहीं गये । यह बढ़ावा इन गुन्डों को किसने दिया है ? चुनाव के जमाने में कितने बदमाश और गुंडे जेल से निकाले जाते हैं और उनके आतंक से चुनाव में वोट डलवाये जाते हैं । आज २१ साल के बाद ऐसा कानून लाने की जरूरत क्यों हो गई और हमें क्यों यह दिन देखना पड़ा कि आज गुन्डों का इतना जोर हो गया ? आज हम किसकी गलती का परिणाम भोग रहे हैं ? इसलिये जिस चीज के लिये आप कह रहे हैं उसका आधार तो बनता नहीं गुंडों को दंड देने का लेकिन जैसा कि अभी कहा गया शहादत मोहैया नहीं होती । होगी क्यों ? पहली दफा अगर जुर्म करता है तो उसके लिये पुलिस सतर्क रहती है ? क्या कभी मंत्री जी ने सोचा है कि पुलिस की लापरवाही से कितने मुकदमें छोड़े गये, कितने शहादत न मिलने से छोड़े जाते हैं, कितने मामलों में गवाहों को तोड़ा जाता है ? क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई रिकार्ड है ? एक बार बदमाश को फंसा कर उसे नोटीरियस बनाया जाता है । उसको ऐसा बनाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है । आज आपको शहादत के लिये गवाह नहीं मिलते हैं, बड़ा जोर दिया जा रहा है इस बात पर । सब लोगों को अपनी-अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी है । जरा सी बात पर चाकू निकल आते हैं । आज बड़े-बड़े आदमियों पर इन गुंडों और बदमाशों द्वारा आये दिन हमले होते हैं चाहे वे वकील हों, चाहे एम० एल० एज० हों और चाहे मामूली कार्यकर्ता हों, चाहे वे पुलिस के आदमी हों और चाहे वे आपके मास्टर हों । आज आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है और देखना है कि आपको क्या करना चाहिये । जब आप ट्रायल मुकदमों को समाप्त कर रहे हैं और उसके उपरान्त एक इंक्वायरी कर रहे हैं, तो यह इंक्वायरी कौन करेगा, कैसे करेगा ? पता नहीं क्या है इस विधेयक में ? कलेक्टर को कौन सफाई देगा ? फिर कलेक्टर के पास हमारे दुश्मन भी हैं और दोस्त भी । कह सकते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्ति बड़े बदमाश हैं । बदमाशों पर चाहे मुकदमें चलें, लेकिन वे छूटते रहते हैं । तो मैं चाहता हूं कि

[श्री हिम्मत सिंह]

इसका कोई पैमाना होना चाहिये। शहादत जरूर मानी जायगी लेकिन उस शहादत की जांच करने के लिये कौन बैठेगा ?

जैसा कि कि अभी कपूर साहब ने भी कहा कलेक्टर तो राजनीकि पार्टियों की कठपुतली हैं, जैसे वे नचायेंगी, वह नाचेगा। उसके अलावा और कुछ करेगा ? किसे फंसायेगा ? इसलिये मेरा निवेदन है कि जब आप ट्रायल की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, सी० आर०पी० सी० चेंज कर रहे हैं, शहादत को चेंज कर रहे हैं तो आप यह भी तस्लीम करें कि जुडिशियरी भी करप्ट हो गयी है और वहां भी कोई भरोसा नहीं रह गया है तो फिर क्या सुझाव दिये जायं ? ऐसी सूरत में कौन सा अधिकारी होना चाहिये, कलेक्टर या कमिश्नर, जिसको अपील होती है कौन ठीक होगा ? बम्बई का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह है गुरबचन वर्सेज स्टेट आफ बम्बे। उन्होंने तय किया कि जब शहादत हो तो कौन अफसर कैसा होगा और उन्होंने निर्णय भी दिया है। इन्नोसेंट आदमी को भी सजा मिल सकती है तो ऐसी सूरत में वह कौन सा अफसर होना चाहिये जो निष्पक्ष एवीडेंस को देखकर न्याय करे। हमारी निगाह में तो कलेक्टर नहीं रह गया है तो हाईकोर्ट या जिले का ही जज हो जिससे कुछ न्याय हो सके। जब ट्रायल नहीं है, उसमें अन्याय की संभावनायें बढ़ जायेंगी। इसमें कोई सजा की प्रथा हो या न हो लेकिन जब उल्लंघन करता है तो २ साल की सजा बिना शहादत हो सकती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनको चेंज कर रहे हैं। जो सड़क पर लूटते हैं, बंगाल की तरह यहां जमीनों पर जो कब्जा धिंगई से करते हैं तो आपको पहले ही सोचना पड़ता कि जो हजारों एकड़ एक-एक गांव में परती पड़ी हुई है उसने इस गुंडई को बढ़ाया। अगर आपने पहले ही २० वर्ष के अन्दर जमीन उठा दी होती तो हमारे सामने यह नौबत न आती। आज सोचना समझना पड़ रहा है हमको इस गुन्डा ऐक्ट के द्वारा कि जो लोग दूसरी जगह से आकर कब्जा करते हैं उनको कैसे भगायें। तो मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आज यह मौका है। इसको ठीक करें।

आज एक सबसे बड़ी दिक्कत यह पड़ रही है कि, जिस पर सारे बिल का आधार है—गुंडा, उस गुंडा शब्द की डैफिनिशन क्या है। इसकी डैफिनिशन वेग और इम्परफेक्ट है। उसकी डैफिनिशन क्या होनी चाहिये ? जब तक वह डैफिनिशन पूरी नहीं होती तब तक यह विधेयक का विधेयक रिडन्डैन्ट ही दिखाई पड़ता है। इसकी सही व्याख्या होनी चाहिये कि गुंडा क्या आतंकी है, दे गई है या अन्य है। परिभाषा इसकी व्यापक नहीं है। यह व्यापक होनी चाहिए। इसमें जितने भी क्लाज बनाये हैं वे ठीक हैं पर लोग दहशत में गवाही नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि कानून बनाना चाहिये। लेकिन मुझे यह कहना है कि जो लोग ट्रायल करेंगे उसमें इन्नोसेंट परसन भी होल्ड अप होगा। उनको बचाने के लिये एक अच्छा से अच्छा अफसर रखना चाहिये। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बहस हो रही है उसमें दो सौ, तीन सौ आदमी भी बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो बिना समय के निर्धारण के कम समय में ही अपना वक्तव्य माननीय सदस्य समाप्त कर रहे हैं। बहस आज और कल दो दिन की है।

*श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सरकार की तरफ से गुंडा ऐक्ट रखा गया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। बात यह है। आज इस ऐक्ट के लिये अभी श्रीगणेश दत्त बाजपेयी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीधी व्याख्या की थी कि यह लागू हुआ तो कानपुर के लोगों को राहत मिली और जितना ऐसा तबका था वह वहां से हटाया गया और उससे वहां गुण्डागीरी की कमती हुई और लोग आराम से रह सके। यह बात सही है जैसे कि बाजपेयी ने कहा कि वहां करोड़पति गुण्डे पाले हुये थे। सही बात है। बनियों का भी इसमें हाथ रहता है। जो लोग बड़े होते हैं उनको गुण्डे पालने पड़ते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां लेबर गुण्डा होता है वहां बनियों को भी गुण्डे रखने पड़ते हैं। क्योंकि गुण्डई का जवाब गुण्डई से ही दिया जा सकता है। इसलिये वहां जितने भी मिल ओनर्स थे वे इस तरह के गुरू लोगों को पाला करते थे जो दिन भर घोटते खाते थे और शाम को लट्ठ लेकर सेठ जी की मोटर में बैठ मिल में जाते थे और सेठ जी को सुरक्षा से लौटा कर घर छोड़ जाते थे। इस तरह से मिल मे काम करने वाले गुण्डों से और मिल मालिकों के गुण्डों से दोनों तरफ से राहत हुई। मैं यह कहता हूं जैसे बाजपेयी जी ने कहा कि यह कवाल टाउंस तक ही सीमित रखना चाहिये। बीस, बाइस वर्षों में अब क्वाल टाउन्स तक सीमित रखने की जरूरत नहीं रह गई है। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है इस गांव पंचायत के चुनाव के बाद जब से यह सिलसिला चला अब कोई गांव ऐसा नहीं रह गया जहां जरूरत नहीं रह गई हो।

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह शब्द वापस लें, यह अनुचित है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उसके लिये तो श्रीमन्, आप सक्षम हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस काम के लिये नहीं हूं, यह आक्षेप है।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि यहां पर कार्यवाही करने के लिये आप सक्षम हैं। आपको सब अधिकार हैं। इनसे उसे वापस कराइये। (व्यवधान)

श्री पन्ना लाल—

मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

चूंकि माननीय सदस्य ने इसे वापस ले लिया है अतः यह कार्यवाही में न लिखा जाय।

श्री पन्ना लाल—

मैं यह कह रहा था श्रीमन्, कि आज देहात में किसी भी भले आदमी की लाइफ सुरक्षित नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि देहात के जितने भी भले आदमी हैं वे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांव में आज कोई भी भला आदमी नहीं रहना चाहता। सरकार का यह परम कर्तव्य है कि जो आदमी जहां रहे वहां पर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। अगर सरकार सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती तो सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। रोटी, कपड़े का जहां सवाल है वहां सुरक्षा का भी सवाल है। जब सरकार ने देखा कि पुलिस भी सुरक्षा देने में असफल रही और सरकार कोई हल न निकाल सकी तो उसको यह ऐक्ट लाना पड़ा। आपको इस बात का पूरा मौका है कि आप इसमें जो दोष हों उनको बतायें।

श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार ने हरिजनों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा है उसको रहने का अधिकार है?

[× ×] श्री उपाध्यक्ष की उपरोक्त आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री पन्ना लाल—

यह बात तो आप मुझ से न पूछिये। मुख्य मंत्री जी से पूछिये।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इससे यह बात पक्की हो गयी कि वे इसको स्वीकार करते हैं।

श्री पन्नालाल—

सरकार ने इस पर विचार के लिये एक सिलेक्ट कमेटी बनाई है। उसमें अच्छे अच्छे माननीय सदस्यों को रखा गया है। वहां इस पर अच्छी तरह से विचार होगा और उसके बाद फिर यह बिल सदन में आयेगा। यह कहा गया कि पुलिस को बहुत बड़ी पावर्स दी जा रही हैं। जब आपको यह सरकार चलानी है तो आपने डी० एम० को पावर दे रखी है कि वह जरा से इशारे पर गोली चलवा सकता है, आदमियों को मार सकता है और उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, तो आज तीन महीने के लिये किसी को निकाल देने में उसे कौन सी बड़ी पावर मिल जायेगी? जबकि उनको अधिकार है कि वह अपनी सफाई दें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश के बाद उनको यदि समझ पड़े कि आदेश गलत है तो कमिश्नर के यहां अपील भी कर सकते हैं और वकील भी ले जा सकते हैं। यदि कमिश्नर फाइनल कर देगा तो यह उनको मानना पड़ेगा। तो इसमें कोई एक तरफा बात नहीं है। उनको पूरा मौका अपनी सफाई का दिया गया है। लखनऊ जो तहजीब और शराफत की बस्ती गिनी जाती है, आज वहां भी दिन दहाड़े चाकू और छुरियां चलती हैं और हत्यायें होती हैं। इस तरह की हालत सुरक्षा के लिये घातक हो गयी है। आदमियों को चलना फिरना मुश्किल हो गिया है। आज इस हाउस में ही हमारे उधर के लोग चिल्लाते हैं कि हमारी बहन के साथ बलात्कार हो गया, हमारी बहन को भगा लिया गया है, हमारे फलाने को पकड़ लिया गया है, हमारे फलाने के यहां डकैती हुई। लेकिन जब कानून बनाया जाय तो यह कहते हैं कि यह गलत है। तो यह दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था हो और कानून भी न बनें। यह बात दूसरी है कि इसमें आप सुधार बतायें और उसको आप सेलेक्ट कमेटी में जाकर ठीक कर लें। उसके बाद भी यदि कमी रह जाती है तो यहां पर जब वह फिर आयेगा तो उसे सुधारा जा सकता है। इसलिये इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये कहा गया है, यह नहीं कहा गया है कि इसको आप पास कर दें। इस पर आप डट कर बैठ कर विचार कीजिये, मंत्री जी भी बैठेंगे और इसको आप एक अच्छे रूप में लायें। सेलेक्ट कमेटी में चार आदमी बस्ती के हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात तो अभी नहीं आती है।

श्री पन्ना लाल—

इन चार आदमियों को जानबूझ कर रखा गया है। बस्ती एक बड़ा जिला है। वे अच्छी तरह से अपने जिले की हालत देख कर इसमें सुधार करें। अन्य कुछ बातें हैं जिन्हें अभी से कहना बेकार है। हो सकता है कि उनका सुधार सेलेक्ट कमेटी में ही जाय। इसका विरोध करना आज सुरक्षा की व्यवस्था को भंग करना है।

एक भाई ने कहा दफा १०९ को बन्द करने की मांग की गयी, कोशिश की गयी, लेकिन कोई सरकार इसको बन्द नहीं कर सकी। बात सही है, इसको हम और आप जानते हैं कि इस दफा के बारे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट का फैसला भी है कि इसमें फर्जी चालान होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार कानून की गिरफ्त में नहीं आता है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है, और वह कानून के जरिये से, एवीडेन्स एक्ट के जरिये से छुटकारा पा जाता है

तो उसके सामने एक ही रास्ता रह जाता है कि वह दियासलाई ले और दिखाकर उसे भेज दे । इसलिये १०९ का प्राविजन है । ताजीरात हिन्द को उन्होंने समझ बूझकर बनाया है । इसी तरह से गुन्डा ऐक्ट में यह कोई बात नहीं है । गुण्डा ऐक्ट में तो सीधी बात है । उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है कि इसके शब्दों पर आपत्ति हो सकती है । जमाना बदल गया है । हम आजादी की लहरों में घूमते हैं । गुण्डा शब्द लोगों को बुरा लगता होगा । कुछ हममें भी है, अगर शरीफ ऐक्ट रख दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, जो पार्लियामेंटरी भाषा में ठीक भी होता ।

श्री उपाध्यक्ष--

शरीफ विधेयक या शरीफ विरोधी विधेयक क्या रखा जाता ?

श्री पन्नालाल--

शरीफ सुरक्षा विधेयक सज्जन सुरक्षा विधेयक रख दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता । हमें तो आपत्ति कम है लेकिन दूसरों को आपत्ति को देखते हुये समझता हूं कि सज्जन सुरक्षा विधेयक मंत्री महोदय मान लें । सेलेक्ट कमेटी मेरी राय पर गौर करेगी कि वाकई में इसका क्या नाम होना चाहिये क्योंकि यह शब्द बहुत बुरा सा मालूम होता है । सभ्य कोई आदमी हो, यह चीज कह दी जाय तो उसको बहुत बुरा लगता है । सेलेक्ट कमेटी में हमारे जो मेम्बर रखे गये हैं उनको ला का भी ज्ञान है । जनता, पुलिस, इंतजाम सब का ध्यान है और वे सब तरह से योग्य हैं । वे इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में अच्छा रूप दे कर हाउस के सामने लाएंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रामपति (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस गुण्डा ऐक्ट विधेयक की तमाम प्लानिंग के विरोध में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह विधेयक जब कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था, १९४८ में लागू किया गया था । ४ वर्षों के तजुर्बे के बाद इसको नाकामयाब सिद्ध किया गया और पुनः रद्द किया गया । मैं नहीं समझता कि यह सरकार कौन सी गुत्थी खोल पायी है जिसके आधार पर इसको लाना चाहती है । उस समय मैंने देखा कि कितने लोग जो सीधे सादे थे लेकिन न्याय चाहने वाले थे, अपनी बहू बेटियों के साथ, उनको गुण्डा बनाया गया और तमाम लहर पैदा हो गयी थी । बहुत से ऐसे लोग जो मनचले थे लेकिन बदमाश नहीं थे, उनके ऊपर ऐसी कार्यवाहियां बहुत बड़ी संख्या में की गयीं । देश के उन नौजवानों को जो भावी समय के लिये बहुत ही उत्तम थे, शिक्षित लोगों को मैंने देखा, गांव के बअसर लोगों से न पटने पर यह ऐक्ट लागू करके पददलित किया गया । ऐसी सूरत में मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में विशेष विरोध करता हूं ।

मान्यवर, आये दिन देखा जाता है, निर्दोष आदमी यदि गरीब है तो अपने मुकदमे में सबूत देने पर भी नहीं छूट पाता । जहां सबूत का कोई सवाल नहीं है वहां पर गरीबों का बिलकुल पतन कर दिया जायगा, क्योंकि कमिश्नर साहब तक अपील कर दी गयी है और सचमुच कचहरियों में जाने पर, मुकदमे मामले को देखने पर मालूम होता है कि दीवानी विभाग में कुछ सत्यता और निर्णयशक्ति कलेक्टरी विभाग के मुकाबले में ज्यादा है और इस अवसर पर इस विभाग को इसमें हाथ डालने का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है । मैं समझता हूं कि ९५ फीसदी अन्याय अवश्य होगा इस गुंडा ऐक्ट के जरिये । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि जिस पर गुण्डा ऐक्ट लागू किया जाय उसका स्थान स्थानान्तरित कर दिया जाय और उसको इतने समय तक अपने शहर में रहने का अधिकार न हो इसका वही फल होगा जैसे एक ट्रेनिंग का होता है । इससे गुण्डई बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है । जब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जायगा तो वह गुण्डा न भी हो तो मजबूर हो कर वह यह सोचेगा कि मुझे जब गुण्डा बनाया जा रहा है तो मुझे अपने गुण्डों का संगठन बढ़ाना है ताकि

[श्री रामपति]

अन्यायियों के विरुद्ध में खड़ा हो सकूं। जिस स्थान पर वह जायगा वहां उसका संगठन बढ़ेगा और इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह सिलसिला जमता जायगा और उसका एक बहुत बड़ा गिरोह बन जायगा और ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी जो सरकार के काबू के बाहर हो जायगी और बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जायगी। इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजना बेकार है। यह खतरनाक साबित होगा।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है सामान्य प्रशासन के अनुदान पर भी मैंने कहा था कि पुलिस अंग्रेजों द्वारा इस देश पर शासन करने का एक साधन थी। आज उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई है वह भी वही हथकंडे अख्तियार कर रही है। भारत की पुलिस स्वयं गुंडागर्दी करती है और जनता में साटे गये तो उसकी संख्या और बढ़ेगी और वह देश को पतन के रास्ते पर ले जायगा।

वर्तमान कानून में दफा १०९ और ११० पर आप विचार करें। १०९ में कौन लोग जाते हैं ? अपने राजनीतिक जेली जीवन में मैंने देखा कि पाखाने में जब अधिक गंदगी हो जाती थी और लोगों की संख्या बढ़ जाती थी तो सफाई की जरूरत होती थी। न्याय, अन्याय पर ध्यान न दे कर जेल विभाग द्वारा खबर दिये जाने पर सरकार द्वारा इस धारा के अन्तर्गत मेहतर, हरिजन व गरीब लोग १०९ व ११० के मुलजिम बना कर जेल भेज दिये जाते थे। दूसरी बात यह है कि हर जगह कहारों को भेजा जाता है। निर्दोष लोगों के ऊपर दफा लगाई जाती है। यह दफा ११० उनके लिये ही बनी है। अहीर जाति के जो लोग नौजवान हैं जो गरीबी को नहीं जानता, लड़ना-भिड़ना जानता है, बहाना करना जानता है, पढ़ना-लिखना नहीं जानता है मगर सामन्ती लोग नाराज होकर ऐसी कार्यवाही करते हैं और गवाही देते हैं और दफा ११० में भेजवाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा अन्याय होगा और गरीबों के पतन का कारण होगा। ऐसी स्थिति में मैं इसका बहुत बड़ा विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि देश के लोग हर माने में दो भागों में बंटे हुये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि राजनीतिक लोगों पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि देश की पूरी संख्या दो भागों में विभक्त है—एक चाकरी और दूसरी जनता जो कि किसी न किसी रूप में किसी पार्टी से सम्बन्धित हैं। हर जाति और हर फिरके के लोग किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित हैं तो मैं नहीं समझता कि किस पर यह गुण्डा ऐक्ट लागू करेंगे ? जो ऐसे मनचले लोग हैं वे खास करके किसी पार्टी में रहेंगे उसके सभी सदस्य रहेंगे। केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कौन सा विधान है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट को लागू करने में जो सरकार का खर्च और पहले रहेगा वह अगर देश और प्रदेश की व्यवस्था को सुधारने में लगा दिया जाय और जो अस्पर्श्यता निवारण के लिये जो समान उठना-बैठना, समान पढ़ना-लिखना और समान रूप से सामाजिक व्यवस्था आदि को लागू कर दिया जाय और सच्चाई से इस नियम का पालन किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक की किसी भी रूप से आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस ऐक्ट का बार-बार विरोध करता हूं।

चौधरी रघुराजसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो कानून पेश किया गया है वह कोई खुशी की बात नहीं है। बड़े दुःख की बात है और बड़े अफसोस की बात है। अगर अपने प्रदेश के पुराने इतिहास को याद किया जाय तो एक सय्याह फाह्यान नाम का आया था और उसने लिखा था कि मुझको हिन्दुस्तान में दो चीजें नहीं मिलीं एक तो ताला और दूसरा पानी। इसका मतलब यह था कि किसी के घर में चोरी नहीं होती थी और पानी की जगह हर जगह दूध मिला। और आज इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है कि हमारे देश की हालत वह हो गई कि ऐसे कानूनों की जरूरत

पेश आयी जिससे कि हम यह देखते हैं कि हमारी सोसाइटी को तकलीफ पहुंचती है और यह चोटी तक पहुंच गई हैं। इस भवन में बैठने वाले सभी लोग जानते हैं कि आज जमाना किसका है। बाहर जाकर देखेंगे तो हरएक आदमी इसी बात की चर्चा करता है कि गुण्डों का बोल वाला है। तो महज इसलिये कि चूंकि यह कानून सरकार की तरफ से पेश हुआ इसकी मुखालफत की जाय। हकीकत को परदे में डालकर मुखालफत को मुखालफत के लिये किया जाय तब तो कोई बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अगर सरकार का यह ख्याल हो कि ऐसा कानून लाकर शरीफों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाय तो यह बिलकुल बे बुनियाद है। इसके मुकाबले में तो इससे भी बड़े-बड़े अधिकार पुलिस और दूसरे आफीसरों को हैं। लाठी चार्ज होता है, टीअरगैस छोड़ी जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन इस कानून में कोई भी इस किस्म की बात नहीं है। अगर डी० एम० को यह मालूम होता है कि कोई आदमी ऐसा है जिसको सही मानों में गुन्डा कहा जा सकता है तो उसको सिर्फ उस मख्सूस जगह से बाहर कर दिया जायगा। हां अगर वह उस हुक्म को तोड़ता है तो फिर उसको इस कानून के हिसाब से सजा दी जायगी। इस किस्म के कानून और भी पास हुये हैं। यहां पर भी अगर हम नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमको अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन क बाहर जाना पड़ता है। फिर भी इसमें इस तरह की गुजाइश रखी गयी है कि डी० एम० अगर कोई जरूरत समझता है तो उसको आने की इजाजत भी दे देता है। मान लीजिये किसी के घर बीमारी है या और कोई जरूरत है तो उसको आने की इजाजत दी जा सकती है। यह भी कहा गया कि इसमें गुंडा की डेफीनीशन नहीं है। लेकिन इसमें वाजे कर दिया है, हलीगन, बुली, रोग, और दीगर रफ के ही माने गुंडा है। वह तो इसमें मौजूद है। हमारे प्रदेश में जो और कानून हैं उनसे इसकी रोक नहीं हो रही है। इसलिये इस कानून को लाने की जरूरत हुई है। कानून तो सदा ही रहते हैं लेकिन किसी वक्त स्पेशल कानून को बनाने की जरूरत पड़ जाती है। उसको इसमें यह सहूलियत दी गयी है कि वह अदालत में अपने काउन्सिल के जरिये से अपीअर हो सकता है। खुद भी बयान दे सकता है और गवाहों से भी बयान दिला सकता है और साबित कर सकता है कि वह गुंडा नहीं है।

दो कहावतें हैं--१--दि मैन इज आनेस्ट अनलेस ही प्रूव्ज हिमसेल्फ टू बी डिस्आनेस्ट और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है 'दि मैन इज डिसआनेस्ट अनलेस ही प्रूवज हिमसेल्फ टू बी आनेस्ट'। अब यह आपके सामने है कि इस वक्त क्या जमाना है। इन सब बातों पर आप विचार करके यह तय कर सकते हैं कि यह कितना इन्नोसेंट कानून है। यह सभी जानते हैं कि गुन्डागीरी, दादागीरी कितनी चल गयी है। लोग बसों में बिना टिकट सफर करते हैं, बहू-बेटियों को छेड़ते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। उनकी रोकथाम के लिये ही यह सरकार यह कानून ला रही है।

सरकार ने यह भी तजबीज किया है कि दोनों हाउसेज की 'ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी' को यह कानून सुपुर्द कर दिया जाय। वह यह देखेगी कि इसमें क्या-क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं। कानून में कहीं कहीं एक्जेम्पशन्स भी होते हैं। कानून हर जमाने में होते हैं लेकिन फिर भी हर जमाने में खास कानूनों को बनानेकी जरूरत होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा।

"जब जब होय धरम की हानी, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी।
तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा।"

वह ऐसा पवित्र जमाना था कि वह स्वयं आते थे लेकिन आज इतनी पवित्रता नहीं, वे स्वयं आयें। इसलिये इस गुंडा गीरी को रोकने के लिये यह कानून लाया जा रहा है। इस कानून से गरीब बेवाओं को, बेकसों को राहत मिलेगी। आजकल बच्चों को उठा ले जाते हैं, मारपीट कर डालते है, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है और छुरा बाजी करते है उनकी रोकथाम के लिये इस कानून की निहायत जरूरत है।

[चौधरी रघुराज सिंह]

कोई भी तो ऐसा रास्ता निकालें। यों तो कानून हैं, कानून में तो खर्चे की बात है। अगर कोई गरीब है और उसके पास शहादत नहीं, खर्चा नहीं तो उसको इस कानून के सिवाय राहत नहीं मिलेगी और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आपने जिम्मेदारी दी तो उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। इसके लिये आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की तजवीज करें, मेरे ख्याल से तो गैर जरूरी है इसलिये कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद ही जिम्मेदार अफसर है और वह इतना जिम्मेदार अफसर है कि वह कानून का सही इस्तेमाल करेगा---

कहना तो और चाहता था कि लेकिन सेलेक्ट कमेटी से जब वापस आयेगा तब उम्मीद करता हूं कि दूसरा मौका मिलेगा इसकी मुखालिफत से कहीं जनता यह न कह उठे कि---

"जब आप ही तैयार हैं खंजर चलाने के लिये,
फिर कहां जायें, किस्मत आजमाने के लिये।"

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विवाद गुण्डा विधेयक पर हो रहा है तो मैं यह समझता हूं कि शासन ने यह महसूस किया कि हमारे प्रदेश में असुरक्षा, अशान्ति और जन जीवन अस्त व्यस्त है इसके रोकथाम के लिये एक ऐक्ट लाया जाय। इसके दो कारण मेरी समझ में नहीं आते हैं। एक कारण तो यह है कि आजादी के बाद जहां हम अपने राइट्स के लिये लड़ने लगे वहां ड्यूटीज के प्रति जागरूक नहीं हुये और जबतक किसी वैलफेयर स्टेट में राइट्स और ड्यूटीज पैरेलेल नहीं चलेगी तब तक कोई भी सरकार आये ठीक से शासन नहीं चल सकता। दूसरा कारण इसके लाने का यह हुआ कि हमारे जो कानून अभी तक बने हुये हैं वह इनएफैक्टिव हो गये या उनका निफाज करने वाले जो अधिकारी हैं उन पर सरकार और पार्टियों का इतना प्रेशर पड़ा कि सही काम कर सकने में उन्होंने अपने को असमर्थ पाया और प्रदेश की हालत दिन पर दिन बिगड़ती रही। शहर की स्थिति आप सब देखते ही हैं, मैं तो देहात से आता हूं। देहात में असुरक्षा का बिलकुल साम्राज्य हो गया है। इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने जिले की बात कहूंगा। हमारे यहां एक निगही क्षेत्र है। वहां से शिवकुमार जी चुन कर आये हैं। जब एलेक्शन हुआ तो बी० के० डी० के कैन्डिडेट ओम प्रकाश गुप्त ने शाहजहांपुर के जितने गुंडे थे सब को एम्प्लाय कर लिया क्योंकि उनके पास रुपये की कमी नहीं है, ब्लैक का रुपया काफी है। शिव कुमार जी ने मुख्य मंत्री जी को एक महीना हुआ लिख कर दिया है। दरोगा ने उनके खिलाफ कुछ करना चाहा तो उस पर मुकदमा चलवाया गया। राजस्व मंत्री जी हैं, इनके एलेक्शन में गुंडों की बड़ी इफरात रही और इसकी जानकारी उनको है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, क्या इस तरीके से व्यक्तिगत आक्षेप किया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---

किसी पर आक्षेप न करते हुये आप कहें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

इसमें तो कोई आक्षेप हुआ नहीं। गुंडे का मतलब मेरी समझ में तो यह आया कि किसी साधारण या गरीब या असहाय व्यक्ति को जो अपना काम नियमित रूप से करता है उसको न करने दे या उसमें बाधा डाले तो वह गुन्डा है। मैं तो कहूंगा कि वह भी गुंडा है कि अगर मैं अपना वोट डालने जाता हूं और मुझको कोई वोट डालने से रोके या मैं रास्ते में जा रहा हूं और कोई मुझको लूटता है। तो यह सारी परिस्थितियां हैं। पुलिस बिल्कुल अकर्मण्य हो गयी है। जब से शासन यह आया है, मैं यह नहीं कहता कि पहले जो शासन था वह बहुत अच्छा था, लेकिन इससे तो लाख दर्जे अच्छा था। आज जितने बलात्कार, अनाचार, भ्रष्टाचार आदि के मामले

इस सदन के सामने आते हैं उतने पहले कभी नहीं आये । इसका कारण यही है कि गलत आदमियों को संरक्षण दिया गया । हमारे सिंचाई मंत्री जी सलेकचन्द हत्याकांड के मुल्जिमों से जेल में मिलने जाते हैं । तो श्रीमन् प्रदेश की जनता.....

(व्यवधान)

अगर कोई गुंडे को संरक्षण देता है तो ला एण्ड आर्डर नहीं रह सकता है और इससे गुंडों की हिम्मत और बढ़ जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नाम से आक्षेप न करते हुये कहें कि क्या स्थिति है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं आपके आदेश के मुताबिक ही कहूंगा कि बन्दूक ले कर बैठ गये और लट्ठ ले कर बैठ गये और हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया । इससे बढ़ कर और गुन्डागर्दी प्रदेश में क्या हो सकती है ?.....

(व्यवधान)

एक तरफ तो गुंडई होती है और यह कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक साधनों के लिये नहीं होगा । मैं मानता हूं कि यह अच्छा है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक साधनों में नहीं होगा तो इससे होगा क्या ? होगा यह कि प्रदेश के गुंडे शासन का जो दल होगा उसमें घुस जायेंगे, आजकल भारतीय क्रांति दल है उसमें चले जायेंगे और इसी की बिना पर आजकल अफसरों के तबादले हो रहे हैं ।

श्रीमन्, मैं फिर से अपने जिले की मिसाल दोहराना चाहता हूं । शाहजहांपुर से हम लोग चार मेम्बर चुन कर आते हैं । हर नरायन जी पीलीभीत से चुन कर आते हैं । मीरानपुर कचरा में हाई स्कूल की परीक्षा हो रही थी । उस परीक्षा में श्री हर नरायन जी २६ तारीख को जाते हैं और जो इन्स्पेक्टर ड्यूटी पर थे उनको घसीट कर पटक दिया । २७ तारीख को थाने में रिपोर्ट लिखाई गई । फिर एस० पी० ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी के यहां से टेलीफोन आ गया है हमको फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको यह नहीं कहना चाहिये था.....

(व्यवधान)

यह एस० पी० ने कहा यह आप नहीं कह सकते हैं.....

(व्यवधान)

आप यह कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाती है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

शासन वाले अधिकारियों पर नाजायज दबाव डाल कर उनको मजबूर करते हैं । तो श्रीमन् ऐसी बात हुई । अब तक यह होता है कि ४०६ के केस में पुलिस कुछ नहीं करती है, ३२३ के केस में पुलिस कुछ नहीं करती है, वह कहती है कि इस्तगासा दायर कीजिये । इस तरह के केसेज में जिनमें अबतक पुलिस कुछ नहीं करती है, अगर उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया जाय तो गुंडा ऐक्ट लाने की जरूरत ही नहीं रह जाती । यह कहा गया है कि एक जिले से दूसरे जिले भेज देंगे । अगर वह घर पर रहता तो कुछ अपना काम देखता, लेकिन जब

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

वह दूसरी जगह भेज दिया जायेगा तो वहां सिवाय फितूर के और क्या करेगा। एम्पटी माइन्ड इज डेविल्स वर्कशाप। जो लोग गुंडों के साधनों से जीत कर आते हैं उनका उपयोग करेंगे। श्रीमन्, पिछले एलेक्शन में जेल से गुंडे छोड़े गये थे। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मान्यवर, आपको सारी जानकारी है कि गुन्डे जेल से छोड़ दिये गये और दिन रात हथियार लिये वह घूमते रहे।

एक सदस्य—

जेल से गुन्डे कब छोड़े गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जो बात कहेंगे हर एक के बारे में तुरन्त सबूत चाहें और जानकारी चाहें तो यह तो मुश्किल है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है वह दूर होनी चाहिये। कब की बात है इसकी कोई जरूरत नहीं है और यह कब की बात है इसकी जानकारी माननीय सदस्य को है मुझसे क्या पूंछ रहे हैं। अभी नेगी जी ने कहा कि २०, २२ साल हो गये। वह तो माओवाद को मानते हैं। वह तो कहते हैं कि बन्दूक की नली से शक्ति निकलती है। जहां बंगाल ने बन्देमातरम का नारा दिया वहीं नक्सलपंथी लोगों ने नक्सलवाद का नारा दिया है और वह उसके समर्थक हैं। तो माननीय नेगी जी का तो उसूल ही दूसरा है। कुछ दल है जो गुन्डागीरी कराते हैं। मैं आपकी आज्ञा से, मान्यवर, कह सकता हूं कि जिस दल के नेगी जी हैं उसमें तो कोई नियम है नहीं वह लूटपाट, तोड़ फोड़ में ही विश्वास करता है। गुन्डा ऐक्ट यह जो लाया जा रहा है इससे मुझे श्रीमन् बड़ी आशंका हो गई है। और आशंका इसलिये हो गई है कि अगर भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनाचार को मिटाने के लिये हम लोग तय करें कि एक ऐसा कानून बनाया जाय जिससे जितने भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं उनको चौराहे पर लाकर फांसी दे दी जाय तो मुझे बड़ी आशंका हो गई है कि इस भारतीय क्रान्तिदल के तिकड़म से सारे ईमानदार आदमियों को फांसी लग जायगी और बेईमान अपनी जगह बने रहेंगे। श्रीमन्, अगर इस विधेयक से दुराचार कम हो, व्यभिचार कम हो, अनाचार कम हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है लेकिन बहुत से कानून ऐसे बने हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। मिसाल के लिये शारदा ऐक्ट है। तो सिर्फ कानून बना देना और विधान सभा से पास करा देना ही काफी नहीं है। उस पर अमल होना चाहिये। जितने हमारे कानून भारतीय दंड विधान के बने हुये उनके अन्तर्गत भी कठोरता से कार्यवाही नहीं होती है और रोज हस्तक्षेप होता है। अगर कोई कत्ल होता है तो एस० पी० को मजबूर किया जाता है फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिये। यह कहा जाता है कि यह तो हमारे यहां भी मौजूद था या हमारे इलेक्शन में इसने बड़ा काम किया है। तो, मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि जो कानून बने हुये हैं जैसे कानून में व्यवस्था है कि कत्ल न किया जाय, किसी महिला को न छेड़ा जाय, किसी को गाली न दी जाय, लेकिन यह चीजें रोज होती हैं। यह न होने पावे और जो कानून बने हैं उनका पालन हो। मैं सभी के लिए तो नहीं कहता लेकिन पुलिस के कुछ लोग बदमाश घोड़ी की तरह है, और घोड़ी बेकाबू हो गई तो वह कभी इधर चलेगी, कभी उधर चलेगी। ९ दिन चले अढाई कोस वाला हिसाब हो गया। आप जिसको चाहें गुंडा बना दें और जिसको चाहें भला आदमी बना दें। मैं मानता हूं कि यह सरकार नहीं चाहती, बी० के० डी० नहीं चाहती, प्रदेश का कोई आदमी नहीं चाहता कि कोई कांड हो, लेकिन अगर कोई गलत बात हो जाय तो, श्रीमन्, और कोई अधिकारी कर दे तो विधान सभा में तो नहीं छिपाना चाहिये। क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिये १०० झूठ बोलने पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

विषय यह नहीं है। आप ऐक्ट पर बोलिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि कौन आदमी बेइमान है और कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी गुंडा है और कौन भला, इसका निर्णय कैसे होगा ? इसकी कोई परिभाषा नहीं है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये, मैं अपने लिये कहता हूं कि मैं गुंडा हूं, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध एक सेक्शन से यह आवाज उठी कि वह गुंडई करते हैं, तो आप बताइये कि वह प्रदेश छोड़कर कहां चले जायेंगे और वह कैसे साबित करेंगे कि वह गुंडा नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध इस तरह का दृष्टान्त नहीं दे सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अगर आपको आलोचना करनी है या टीका टिप्पणी करनी है तो दूसरे तरीके से कहिये। मालूम ऐसा पड़ता है कि माननीय सदस्य को इस ऐक्ट के बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं आपकी आज्ञा से इसको छोड़ता हूं। श्रीमन्, अब सवाल है कानून के इण्टरप्रिटेशन का, यह बहुत बड़ा सवाल है। एक जिलाधीश ने यह तय किया कि अमुक व्यक्ति गुंडा है और दूसरा जिलाधीश यह नहीं सोचता कि वह गुंडा है। यह कौन तय करेगा ? एक ही व्यक्ति पर एक कलेक्टर कुछ कहता है और दूसरा कलेक्टर कुछ कहता है। श्रीमन्, इससे बहुत बड़ी व्यवस्था हो जायगी और इसका दुरुपयोग भी बहुत होगा। मान लीजिये कोई पुलिस वाला है और वह व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से नाराज हो जाता है, वह उसके खिलाफ रिपोर्ट लगवाना शुरू कर देगा और महीने दो महीने में १०–१५ रिपोर्ट लगवाने के बाद वह श्रीमन्, यह कह देगा कि अमुक आदमी गुंडा है और उस आदमी को पता भी न होगा कि उसके खिलाफ यह षड़यन्त्र किया जा रहा है और जब पता चलेगा तो वह अपने आपको डिफेन्ड करता फिरेगा, सफाई देता फिरेगा कि वह ऐसा नहीं है। तो, श्रीमन्, यह एक बहुत भारी लैकूना है और इसका बहुत दुरुपयोग होगा। मैं तो कहता हूं कि आप एक कमेटी स्टेट लेविल पर ऐसी बना दें, जिसमें सभी दलों के माननीय सदस्य रहें, वह इस बात को तय कर लें, जिस तरह से यहां विशेषाधिकार समिति है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया तो आप बतायें कि हर जिले के बारे में कैसे पता चलेगा। ५४ जिले हैं किस कलेक्टर ने क्या कहा यह कमेटी कैसे जान सकती है। यह जिला स्तर पर विधायकों की बना दी जाय तो ठीक हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जी हां, जिला स्तर पर भी हो सकती है, लेकिन यह पोलिटिकली मोटीवेटेड नहीं होनी चाहिये। मैं एक बात और न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और वह यह है कि इस विधेयक के पृष्ठ २, ऊपर से दूसरी पंक्ति में 'औरत' लिखा हुआ है, यह औरत गुंडा ऐक्ट में कहां से आ गई। श्रीमन्, आप इस विधेयक के पृष्ठ २ की दूसरी लाइन में देखें उसमें शब्द "औरत" लिखा है। तो इस गुंडा ऐक्ट में औरत कहां से घुस गयी और इसका क्या मतलब है ? यह बड़ी अजीब सी बात है और यह बड़ी गम्भीर बात भी है कि इसको मूव करने से पहले किसी ने देखा तक नहीं। मैं समझता हूं कि अब माननीय न्याय मंत्री जी को पश्चाताप हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह छापे की गलती है । "उपस्थित होने की और जांच के दौरान" यहां "और" के स्थान पर शब्द "औरत" छप गया है । यह छापे की गलती है, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि इसको पेश करने से पहले माननीय न्याय मंत्री और मुख्य मंत्री ने मालूम होता है कि देखा तक नहीं कि इसके सही माने क्या हैं । श्रीमन्, यहां पर शब्द "औरत" होने से विधेयक का भाव ही परिवर्तित हो गया है और मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी यहां घोड़ी से औरत का मुकाबला कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहली बात तो यह है कि यह कौंसिल से आया है । दूसरी बात यह है कि अभी यह प्रवर समिति में जायेगा । लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि जो कोई भी इसके लिये जिम्मेदार हो, उसे इसको पढ़ने से पहले यहां नहीं लाना चाहिये था । मेरे समक्ष जो विधेयक की प्रति है उसमें भी शब्द "औरत" है । अध्यक्ष के पास जो भी कापी आवे वह शुद्ध होकर आनी चाहिये । आइन्दा इसका ध्यान रखा जाय । क्योंकि अशुद्ध कापी से अर्थ का अनर्थ हो सकता है । अगर यह "औरत" किसी के दिमाग में रहेगा और उसको सामने रखकर वह भाषण करेगा तो हो सकता है कि उसमें तीव्रता और कटुता भी आ सकती है । भविष्य में ऐसा न हो, अगर इस तरह से कोई विधेयक आयेगा जिसमें "और" की जगह "औरत" लिखा होगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं न्याय मंत्री को बतला दूं कि आज भी मेरे पास दो घोड़ियां मौजूद हैं और उन पर मैं सवारी करता हूं जब कि वे बदमाशी करती रहती हैं । आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिये । मान्यवर, आपका मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया जिससे मैं अपने विचार व्यक्त कर सका । अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री शिवशंकर सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मुझे भी ३ मिनट का समय बोलने के लिये दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजित राम जी आप बार-बार खड़े होकर बोलने की कोशिश करते हैं, पहले अपने दल से अनुमति तो लें कि आज आपको बोलना है ? आपके सचेतक ही लिस्ट देते हैं, पहले आपके दल के जो और लोग हैं उनको बोलने का अवसर दूं तब ।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी भी एक माननीय सदस्य ने इस गुंडा ऐक्ट पर प्रकाश डालते हुये हमारे बहुत से सम्मानित सदस्यों पर आरोप किया । ऐसा करने से विवाद का स्तर भी गिरता है और सम्मान के लिये अपमान की भी बात हो जाती है । तो मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि वह विषय की विवेचना करें, विषय पर ही प्रकाश डालें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस पर मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं । मैंने माननीय सदस्य को टोक दिया था कि आक्षेप न करें, विवेचना करें ।

श्री शिव शंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। सही है, जैसा कि हमारे भाई सुरेन्द्र विक्रम जी ने कहा कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कोई चीज हो, उसको हर पहलू से देखना चाहिये। किसी चीज में यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें सब बुराइयां ही हैं या सब अच्छाइयां ही हैं। माननीय हिम्मत सिंह जी ने कहा कि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है, इंडियन पीनल कोड और सी० आर० पी० सी० मौजूद है, उनका उपयोग किया जा सकता है। श्रीमन्, इंडियन पीनल कोड सी० आर० पी० सी० और एवीडेन्स ऐक्ट को बने सैकड़ों वर्ष हो गए। समय आज कहां से कहां पहुंच गया है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो दूसरी वर्ल्ड वार हुई उसी के दौरान कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण हुआ जैसा कि शहरों के बारे में अभी बाजपेयी जी कह चुके है कि कानपुर तो ऐसे तत्वों का केन्द्र था और जब गुन्डा एक्ट वहां लागू किया गया और हजार डेढ़ हजार लोग वहां से निकाले गये तब लोगों को राहत मिली। होता क्या था? कुछ लोग जो प्रतिक्रियावादी थे वे उन लोगों का उपयोग करके अच्छे-भले आदमियों की इज्जत पर धब्बा लगाने को तैयार थे। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि लखनऊ जो यू० पी० में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में शराफत और सभ्यता के लिए मशहूर था, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर कोई अपनी बहू या बेटी के साथ इन असामाजिक तत्वों में घिर गया तो जिस अश्लीलता से वह पेश आते है उसमें या तो आप मार खाइए या चुपके सिर झुका कर चले जाइए।

एक सदस्य—

और सरकार के लोग देखते रहे।

[इस समय ३ बजे अधिष्ठाता, श्री रामचन्द्र विकल, पीठासीन हुए]

श्री शिव शंकर सिंह—

जब आप थे तो आप भी देखते थे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य मेरी मारफत कहें, सीधे बात न करें।

श्री शिव शंकर सिंह—

मुझे बहुत कटु अनुभव है कि अगर आप अपनी जवान लड़की के साथ जाते हों तो किस अश्लीलता के साथ पेश आते है। सूटेड-बूटेड आदमियों का गिरोह है जो टैरीलीन की पैन्ट और बुशशर्ट पहने है, अच्छे घराने के है। यह नहीं कि आवारागर्दी में १०९ में चलान हो जाय। मैं मानता हूं कि १०९–११० में भी गलत चालान होते है। तो किस दफा में उनका चालान करें।

(व्यवधान)

मान्यवर, ऐसा हो कि कोई लड़की रिक्शे में स्कूल जा रही हो। नहीं है मोटर का साधन उसके पास। मोटर वाले तो एक दो प्रतिशत ही हैं। अगर रिक्शे में जा रही है और १०–१५ ऐसे लोगों का गिरोह आ गया, घेर लिया और अश्लील बात कहने लगे तो कौन सी दफा में पुलिस चालान करें?

बहुत हुआ तो चालान कर दिया और उनको १५१ में बन्द कर दिया और दूसरे दिन जमानत पर रिहा। गुंडा ऐक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अख्तयार है कि वह देखे कि वाकई यह गुंडा है या नहीं। उसको इस बात का मौका दिया जायगा कि वह अपने को साबित करे कि वह गुंडा नहीं है। यह हालत शहर से देहात में भी पहुंच गई है। देहात में भी ऐसे लोगों का बोल बाला हो गया है। इस समय देहात में जिन लोगों के साथ ५००, या १०००० आदमी

[श्री शिवशंकर सिंह]

हैं उनके खिलाफ पुलिस कोई वहां पर सबूत भी नहीं पा सकती है । हम और आप सफेदपोश लोग है जिनके पास कुछ साधन हैं, जमीन है, जायदाद है लेकिन देहात में ऐसे ही लोग यदि इस प्रकार से काम करने लग जांय तो उनका किस धारा में चालान किया जायगा । देहात में कुछ लोग मिलकर एक जीप टैक्सी किराये पर ले गये । जब वह वहां पहुंच गये तो उस ड्राइवर ने उनसे ३० रुपये मांगा कि इतना किराया हुआ दीजिये । उन लोगों ने कहा कि कैसा किराया, चले जाओं यहां से नहीं तो तुम्हारी दुर्गति करेंगे । वह पुलिस वालों के पास गया तो वे कहते है कि हमारे पास इसका कोई कानून नहीं है । जाइये दीवानी में और वहां पर दावा दायर कीजिये । अब आप बतलाइये कि वह १०, २० रुपये का मजदूर क्या दीवानी में दावा दायर करता फिरे उसको गवाह मिल नहीं सकता है । चाहे फौजदारी का मामला हो आज इतना उनका आतंक हो गया है कि कोई आदमी उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है । मैं बहुत नम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि देहात में इस वक्त इसका असर पड़ रहा है । जितने भी शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों का समाज है वह वहां से आकर शहर में बस गया है । कस्बों से आकर शहर में बस गया है क्योंकि उन तत्वों के डर से वह वहां रह नहीं सकता है । अगर किसी आदमी की जमीन है और वह गरीब है तो उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है । दीवानी का मामला है तो वहां पर जाकर वह कैसे दायर कर सकता है । हमारे देहात में बहुत जगह चकबन्दी हुई है । देहातों में हरिजनों के लिये आबादी छोड़ी गई मगर जो बाअसर आदमी हैं, जिनके साथ लाठी और ताकत का जोर है वह कब्जा करके बैठ गये हैं । अगर पुलिस जाती है तो क्या करे । वह कहती है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है । बेचारे गरीब आदमी हैं, जैसे-तैसे अपना पेट पालते हैं । दीवानी में वह जा नहीं सकते तो किससे अपना फैसला करायें । अगर इन समाज विरोधी तत्वों का दमन नहीं किया जायगा उनके लिये कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जायगा तो देहात और शहर दोनों जगह से यह गुंडागर्दी खतम नहीं हो सकती है मैं इस बात को मानता हूं कि कोई कहीं पर इसका असल गलत हो सकता है लेकिन ९५ फीसदी जो भले आदमी हैं उनके साथ भी तो दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिये । इतना कहने के बाद मैं अपनी तकरीर को समाप्त करता हूं ।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

जनाबवाला, गुंडा ऐक्ट की बहस में हिस्सा लेने से पहले तमाम मुअज्जिज मेम्बरान से इस बात की अपील करूंगा कि यह कानून बनाने का मसला है और कानून को लागू करने का मसला है । इसमें बगैर किसी इस बात के कि हम सरकारी पक्ष के हैं या गैर सरकारी पक्ष के हैं इस बात पर ध्यान न रखकर बहस में हिस्सा लें इससे गवर्नमेंट के गिराने या न गिराने का सवाल पैदा नहीं होता बल्कि यह इतना अहम मसला है कि इसमें निहायत अकलमन्दी और निहायत होशियारी के साथ इसमें हिस्सा लें और जो ऐक्ट में खामियां है उन्हें बतायें ताकि ऐक्ट में जो गलती की गई है वह सही हो जाय । दूसरी चीज मैं यह अर्ज करूंगा कि यह ऐक्ट अपनी एक अहम जगह रखता है । इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि ऐसा मालूम होता है कि इसमें कोई लीगल माइन्ड अप्लाई ही नहीं किया गया है और बगैर किसी कानूनी मशवरे के ही इसको लाकर सदन के सामने पेश कर दिया गया है । ऐसा मालूम होता है कि इसको एक बिलकुल मामूली सी चीज समझ लिया गया है जबकि इससे हमारे मुल्क के और सूबे के इंतजाम और नज़्म व नस्ल पर काफी असर पड़ेगा । मेरी गुजारिश है कि सही मानों में मोअजिज मेम्बरान इस पर गौर करें और इस की खामियों को दूर करने की गर्ज से ही इसमें हिस्सा लें लेकिन सिर्फ इस वास्ते इसमें हिस्सा न लें कि क्योंकि हम सरकारी पक्ष में हैं तो हम उसकी फेवर करें और अगर कोई साहब सरकारी पक्ष में नहीं हैं तो वह उसकी फेवर न करें, यह प्वाइंट आफ व्यू मुनासिब न होगा । यह तो किसी भी हालत में अपनी जगह पर एक कानून की शक्ल रखता ही नहीं है । आप इस ऐक्ट की डेफिनीशन देखें तो इसमें दिया हुआ है कि 'गुन्डे' के अन्तर्गत 'बदमाश, आतंकी, दुष्ट या अन्य दंगाई,' भी हैं । यह डेफिनिशन इतनी एम्बीगुअस और

मुबहम है कि आप इस से कोई सही माने नहीं निकाल सकते और इससे पुलिस के अधिकारी नाजायज फायदा उठायेंगे । इस तरह से इसमें वह लोग भी आ जायेंगे जैसे किसी मियां बीवी का घर का झगड़ा हुआ तो वह भी आ जायेंगे । इस तरह से लोगों को कितनी परेशानी हो इसलिये इन अल्फाज को सही तरीके से क्लियर किया जाना चाहिये । जबतक ये खामियां ऐक्ट में क्लियर नहीं की जायेंगीं तबतक यह ऐक्ट मुकम्मल न होगा ।

जहां तक इसमें दिये गये पुलिस के अधिकारों का सवाल है मैं गुजारिश करूंगा कि मोअजिज मेम्बरान से और खास तौर से अपने न्याय मंत्री जी से, मैं भी ला ग्रेजुयेट हूं और प्रेक्टिस भी करता हूं और रोजाना यह वाकयात हमारे सामने आते हैं । जहां तक इस ऐक्ट का सवाल है आपको बता दूं कि किस तरह से इसका पुलिस के जरिये से नाजायज फायदा उठाया जा सकेगा । सही बात तो यह है कि पुलिस तो गुंडों की परवरिश करती है, उनको खाना खुराक देती है, उनको पालती है और हर वक्त अपनी जेब में रखती है इसीलिये वह पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि वह उनके पालतू हैं । अब पकड़ा कौन जाता है, गरीब रिक्शे वाले और झल्ली वाले या जो बेचारे मुसाफिर बाहर से आते हैं और जगह न मिलने से फुटपाथ या सड़क पर पड़े रहते हैं उनको कहा कि इनको लेकर आकर गुंडा ऐक्ट में बन्द कर दो । इस बात से सरकार मुनकिर नहीं हो सकती क्योंकि इनके यहां भी ऐसे अधिकारियों को ही प्रोमोशन दिया जाता है जो कनविक्शन का ज्यादा से ज्यादा रिकार्ड उनके सामने रखते हैं कि हमने इतने लोगों को सजा दिलाई है । इसके मुताल्लिक एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब यह ऐक्ट मैदान में आयेगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जहां अपने नीचे के अधिकारियों से कहा या हेड कांस्टेबिल या दरोगा जी से कहा कि हमें सौ गुंडों का कोटा चाहिये या १०० की तादाद में गुंडों का रिकार्ड तैयार करो तो फिर कोई नहीं देखेगा कि वाकई में गुन्डा कौन है कौन नहीं है । इस तरह से बेगुनाह और सीधे सादे लोग पकड़े जायेंगे ।

मैं यह कहूंगा कि आज यह ऐक्ट यहां पेश है और सरकार यहां बरसरे इकतदार है और वह बदले के रूप में पेश कर रही है कि चूंकि हम पावर में हैं इसलिये ऐसा ऐक्ट बनाकर सामने ला दें तो यह गलत फैहमी है । लेकिन यह भी सोचना चाहिये कि जिस वक्त यह सरकार पावर में न होगी तो यही कानून उन पर भी लागू होगा, यह नौबत भी आ सकती है । लिहाजा बगैर किसी भेदभाव को सामने रखकर और साफ जहन से हर उस बात को नजरअन्दाज किये हुये जिससे कानून में नुक्स पैदा है सरकार को फिर से देखना चाहिये और इस पर गौर खोज करना चाहिये । सब से बड़ी खामी यह है कि गुंडा गर्दी को खूब बढ़ोत्तरी दी गई है और उनका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है जो अदरअसल इस कानून पर बदनुमा दाग है । इसलिये मैं समझता हूं कि ऐक्ट को मुकम्मिल हो जाना चाहिये और इसकी सारी गल्तियां जो हैं, जिसकी बहस में हम हिस्सा ले रहें हैं, सब दूर हो जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसमें कोई शख्स नहीं बचेगा और अनपढ़ पुलिस नाजायज फायदा उठायेगी । इसलिये इसमें हर आदमी अ सकता है । अभी माननीय मुख्य मंत्री ने एश्योरेंन्स दिया कि इसमें सियासी लोग नहीं आयेंगे लेकिन इस ऐक्ट में बाकायदा बजास्त हो कि फलां फलां गुन्डा हो सकता है और फलां लोग नहीं आ सकते हैं । अगर यह क्लेरिफिकेशन नहीं दी जाती है तो ऐक्ट इस तरह से मुकम्मिल नहीं हो सकता है । मेरी गुजारिश है कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उन पर सरकार संजीदगी से गौर करें और इसमें जो जो खामियां हैं, उन्हें दूर करें । मौजूदा सूरत में मैं एक्ट की सख्ती से मुखालिफत करता हूं ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, किसी अच्छे प्रशासन की पहचान है कि जितने कम कानून हों और जितनी पुलिस की सख्ती कम हो उतने ही अच्छे प्रशासन का प्रमाण हो सकता है । इस बिल में शासन, पुलिस को ऐसे अधिकार देने जा रही है जिनके दुरुपयोग की संभावना हो रही है । यद्यपि प्रदेश में

[श्री दीप नारायण मणि]

असामाजिक तत्वों का प्राबल्य हो गया है जिनके कारण समाज में अशांति व्यापक है। लेकिन उसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसलिए जो इस बिल में उल्लेख हैं उन कारणों को ध्यान में रखते हुये तत्काल यह बहुत आवश्यक है कि ऐसा ऐक्ट बनाया जाय। यह माननीय सदन इस बात पर विचार करे कि अगर यह ऐक्ट बनता है तो आगे चलकर जो प्रजातन्त्र की परम्परायें हैं उनमें बड़ी रुकावट होगी। भारतवर्ष की सुरक्षा के लिये डी०आई०आर० बना था लेकिन अन्ततोगत्वा इसका दुरुपयोग हुआ। इसी तरह से प्रिन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट भी बना। उसमें भी ऐसा ही हुआ और अन्त में केन्द्रीय सरकार ने उसको भी हटाया। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है लेकिन ऐसे कानून द्वारा उसमें कोई रुकावट हो सकेगी, मुझे शंका है। लेकिन देश की स्थिति ऐसी है कि उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था लागू हो लेकिन इसमें भी दो विचार हो सकते हैं। इसमें ऐसे भी बहुत से साधन हैं जिनके कारण इस ऐक्ट को भी न लाकर काम चल सकता है। इसमें गुंडे की परिभाषा है लेकिन और परिभाषा व्यापक की गयी है। उसमें "गुन्डे" की परिभाषा "बदमाश, आतंकी, दुष्ट या अन्य दंगई" भी है। जो सड़क पर हाथापाई करें तो वे भी इसमें आ सकते हैं और जो बीच बचाव कराने वाले या पास में खड़े शरीफ लोग हैं, उनको भी पकड़ लिया जायगा। इसीलिये सरकार ने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त प्रवर समिति में भेजे जाने पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इसमें आवश्यक संशोधन करेंगी। लेकिन "प्रिवेन्शन इज बेटर देन क्योर"। आज इस विधेयक को लाकर एक ऐसी शक्ति पुलिस को दे रहे हैं कि कठिनाई हो सकती है।

आज शासन में राजनीतिक राइवेलरी से दुरुपयोग होता रहा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री यह निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसी चीजें अवश्य रखी जांय जिनसे इसका दुरुपयोग न हो सके। हमारे प्रदेश में गुंडागर्दी क्यों बढ़ रही है। उसका कारण एक अमेरिका के लेखक श्री डेविड एच० बेडी ने लिखा है। उसने जो सर्वे रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि प्रत्येक दस हजार आबादी पर उत्तर प्रदेश में ६ प्रतिशत पुलिस है और हिन्दुस्तान में १२ प्रतिशत औसतन है। महाराष्ट्र में १५, कश्मीर में २२, आसाम में १०, पंजाब में १५, मध्य प्रदेश में १३, राजस्थान में १३, हरियाणा में ११, उड़ीसा में ११, बंगाल में १०, मैसूर में १०, तामिलनाडु में ९, बिहार में ७ और केरल में ७। बिहार और केरल को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पुलिस की संख्या कम है। पुलिस की संख्या बढ़ाकर जैसे पुलिस बजट में प्राविधान किया गया था उससे आप इस चीज को रोक सकते थे। पुलिस प्रशासन को और शक्ति देकर संख्या बढ़ाकर ठीक से व्यवस्था की जाती। पुलिस आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत से प्राविधान हैं उसी को लागू करके अगर शासन में ठीक से गति लाई गई होती तो सम्भवतः इस ऐक्ट को लाने की जरूरत न पड़ती। अगर यह ऐक्ट आया है तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था ऐक्ट में करनी चाहिये कि पुलिस को हरगिज शक्ति न मिल सके ताकि भले आदमियों पर इनका दुरुपयोग न हो सके। राजनैतिक राइवेलरी से आजकल जो समाज की स्थिति है उसमें दो सगे भाई लड़ते हैं। इसमें व्यवस्था है २ (क) में। इसमें अगर किसी सम्पत्ति के बारे में कोई अपहरण करता है और पट्टेदारी के लोग गांव के लोग जमींदारी और खेतीबाड़ी के बारे में लड़ाई करते हैं तो वे भी गुन्डे में आ जायेंगे। इसलिये यह शब्द बहुत व्यापक है। जहां भी सम्पत्ति होगी वहां इस तरह के झगड़े हो सकते हैं। शक्ति दी है तीन महीने। तीन महीने के बाद दो बरस तक जिलाधीश आदेश दे सकते हैं कि वह जिले के बाहर चला जाय और बाद को एक हेड कान्स्टेबुल को पावर दी है कि वह गिरफ्तार कर लेगा मैं समझता हूं कि यह शक्ति अधिक दी हुई है। मेरा विचार है कि इसके लिये एक उप समिति होनी चाहिये संभ्रान्त व्यक्तियों की हर एक जिले में जो इस मसले को विचारे जिससे गुंडा शब्द की जो व्यापकता है उसकी सीमा बन्ध सके। मैं एक बात और कहना चाहता था। इसकी धारा (२) क में लिखा हुआ है कि—किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसमें दो वर्ष का अधिकार दिया है और साथ ही साथ जिला मैजिस्ट्रेट की परिभाषा में एस० डी० ओ० और जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रदत्त अधिकार वाले आधिकारी भी इसका उपयोग करेंगे। तो मैं आपके

द्वारा निवेदन करूंगा कि जब प्रवर समिति विचार करे तो इस तरह से देखे कि इसकी शक्ति रोकी जाय क्योंकि पुलिस प्रशासन के जो अनुभव हैं वे ठीक नहीं हैं ।

स्काटलैंड यार्ड की पुलिस प्रसिद्ध मानी जाती है । उसमें जनता की ओर से और शासन की ओर से सिपाही को बड़ी सुरक्षा मिली हुई है । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि देश की परम्परायें भिन्न-भिन्न होती हैं । अंग्रेजी शासन में १५०–२०० वर्ष रहने से हमारी नैतिकता इतनी नीचे चली गई है कि हम शक्ति का उपयोग करने में हिचकिचाते हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस ऐक्ट को बनाने से पहले प्रवर-समिति में सब पहलू पर विचार करें ताकि ऐसा न हो कि यह आगे चल कर काला कानून साबित हो । इसको ऐसे ढंग से बनाया जाय कि अगर पुलिस चाहे भी, जिला मैजिस्ट्रेट चाहे भी तो जो अवांछनीय तत्व हैं वे उसमें न आ सकें । इसमें ऐसा प्रतिबन्ध आना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

(श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैं डेढ़ महीना हो गया, बार-बार खड़ा होता हूं, मुझे कभी समय नहीं दिया गया । मेरी पर्ची भी आपके पास गयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

जिसको मैं पुकारूंगा, वह बोलेगा । मेरे पास तो डेढ़ महीने की सूचना है नहीं । पार्टियों की लिस्ट आती है, उसको देखा जाता है, और भी बातों को देखा जाता है ।

श्री मंजूर अहमद—

पार्टी ने मेरा नाम नहीं दिया । अलहदा वालों की तरफ से मेरा नाम गया है । डेढ़ महीने से किसी पार्टी की तरफ से मेरा नाम नहीं गया । पार्टी ने हमें निकाल दिया । हमें भी तो बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

डेढ़ महीने की मुझे कोई जानकारी नहीं है, जिस वक्त से मैं बैठा हूं उस वक्त से मुझे जानकारी है । (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण करें । समय खराब न करें । अलहदा वालों में सिद्दीकी साहब को अभी बुलाया है । जब आपका नम्बर आयेगा, बुलाया जायेगा ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह कथा कथित एन्टी गुन्डा बिल माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया उस पर उनके भाषण को मैं बड़े धैर्य से और इस विश्वास के साथ सुन रहा था कि इस बिल को पेश करते समय वे इसकी आवश्यकता, इसकी नैतिकता, इसकी उपयोगिता, और उपादेयता पर भी प्रकाश डालेंगे । परन्तु दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है, और मुझे इसका दुख भी है, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने उन बातों पर कुछ प्रकाश नहीं डाला । यह सारा मामला यहां पर जो माननीय अतीकुर्रहमान या समाज कल्याण के मंत्री हैं उन पर डाल दिया गया है, जिसका वास्तव में शान्ति और सुरक्षा से संबंध है, जिनका यह विषय है, माननीय मुख्य मंत्री जिसके इन्चार्ज हैं, वे इस समय यहां नहीं हैं । उनको यहां उपस्थित रहना चाहिये था । परन्तु उनकी इच्छा है और उनकी आदत है, वे मुझ से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं क्या कहूं, किन्तु उनको इस अवसर पर यहां अवश्य रहना चाहिये था ।

अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने अपने भाषण में पांच बातों को इसका आधार बताया है जिसके कारण यह बिल लाना पड़ा है । पहली बात यह कही कि हालात ऐसे पैदा हो गये हैं जिसके कारण

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—]

यह लाना पड़ा। कौन से हालात पैदा हो गये ? जुर्म सारी दुनियां में बढ़ रहे हैं। फ्रान्स में, पेरिस में, जो उत्पात स्टूडेंट्स का हुआ क्या उसको आप भूल गये ? उसके कारण डिगाल को हटना पड़ गया था। अमेरिका में रोज उत्पात हो रहे हैं, इंगलैंड जर्मनी, जापान वगैरह में क्या आज जुर्म नहीं बढ़ रहे हैं, वहां उत्पात नहीं हो रहे हैं ? आपके हिन्दुस्तान में भी यह बढ़े हैं। परन्तु सोचना यह है कि यह बढ़े क्यों ? इस पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला। यह हालत उत्पन्न क्यों हो गयी है ? क्यों आज समाज में इस प्रकार के असामाजिक भाव, विघटन के भाव, विनाश रचना के भाव पैदा हो गये ? क्या इस पर कभी विचार हुआ ? इन पर कभी कोई प्रकाश माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं डाला। मुझे क्षमा करेंगे माननीय सदस्य, आज समाज के अन्दर विघटन कराने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सब की है। आज कोई इससे बच नहीं सकता। अधिष्ठाता महोदय, क्या यह बड़ा सुन्दर लगता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पुलिस की संगीनों के नीचे इम्तहान लिया जाये और जब उसका प्रश्न उठाया जाये तो पोलिटिकल प्रोटेक्शन के आधार पर उसका जवाब दिया जाय। पिछले आम चुनाव में कितना उत्पात हुआ, कत्ले आम तक हो गया। पार्टियों की सभाओं को भंग किया गया, लोगों को वोट डाले जाने से जबरदस्ती रोका गया। पोलिटिकल मर्डर्स हुए हैं और सत्ता में आते ही सारे केसेज वापस कर लिये। यह किसको प्रोत्साहन दिया गया ? सज्जन को दिया गया कि समाज में बढ़ते हुए अराजक तत्वों और क्राइम को प्रोत्साहन दिया गया ? माने लेता हूं कि मुकदमें झूठे थे लेकिन उनको चलने देते कोर्ट आफ ला में। सच्चाई सामने आ जाती। परन्तु उन सारे मामलों को वापस ले लेना गुण्डाइज्म को बढ़ाना है, चाहे उस पर राजनैतिक चोगा चढ़ाया जाये या सामाजिक चोगा चढ़ाया जाये। तो उसको हमने आपने सबने बढ़ाया है। हम सब उसके दोषी हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो सन् ५७ क्या ५२ से इसका भोगी हूं। आज विघटन का स्वरूप खड़ा हुआ है। आज कौन उसे चाहता है ? दंगा हो रहा है। केरल मद्रास व मैसूर को देख लें। कृष्णा के पानी के ऊपर कत्लेआम हो रहा है, कोई शिव सेना बन रही है, कोई लचित सेना गठित हो रही है। मैं कहता हूं, अरे कृष्णा का पानी हिन्दुस्तान में रहेगा, परन्तु उस पर आन्ध्र और मैसूर एक दूसरे का कत्लेआम करें यह दुःख की बात है। भाषा के नाम पर प्रदेशों में दंगे हो रहे हैं और इनमें आदमियों के सिर फटते हैं। मैं पूछता हूं प्रोत्साहन कौन दे रहा है ? एलेक्शन के वोट के लालची प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुस्लिम लीग से संबंध जोड़ा गया है, राजनतिक विजय पाने के लिये केवल। साम्प्रदायिकता भड़कायी गई, साम्प्रदायिकता को जगाया गया और फिर कहते हैं कि साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। विष बोया है आपने तो फिर विष काटना भी पड़ेगा। इस प्रकार की देश के अन्दर परिस्थिति निर्माण करने का भार सभी राजनीतिज्ञों पर है, इससे हम और आप बच नहीं सकते।

दूसरा पहलू, देश में देशद्रोहिता का पहलू है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि चेयरमैन माओ के अधीन होकर हम देश की रचना करेंगे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि दासता की बेड़ी में जकड़ने के लिये हम देश में उत्पात कर रहे हैं और वह भी विदशियों के इशारे पर। आज आतंक मुख्य आधार हो गया है और आज आतंकवाद को सिद्धान्त का चोगा पहनाकर डाकुओं और चोरों के साथ गठबन्धन हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अपने अनुभव का उदाहरण बता रहा हूं। मैं गोरखपुर गया था, वहां रात में डाका डाला गया और सबरे माओ जिन्दाबाद के नारे लगाये गये। आज इसकी आड़ में चोरों, डाकुओं के साथ राजनीतिज्ञों का गठबन्धन हो रहा है।

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला (जिला बाराबंकी)—

उसी को खत्म करने के लिये यह एक्ट लाया गया है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं, यह तो उसी तरह की बात है जिस तरह से एक दिन कहा कि हम हिन्दुस्तान में रहेंगे और दूसरे दिन पाकिस्तान भाग गये। आपको शायद न याद हो, लेकिन

मुझे सब याद है। अधिष्ठाता महोदय, यह जो गठबन्धन हो रहा है, गठबन्धन किया जा रहा है डाकुओं और अराजकतावादियों के साथ यह देश को गर्त में ले जायगा। आज किसने यह हालत पैदा की? अब आप इस गलती को रोक नहीं सकते। रोकने का साधन आपके पास क्या है? पुलिस। जो स्वयं घोर बेईमान है। इधर से भी कहा गया और उधर से भी कहा गया—आज पुलिस की पात्रता रह नहीं गई है। पुलिस का जो सी० आई० डी० अर्थात् गुप्तचर विभाग है, आज उसकी एफीशियेंसी नहीं रह गई है और मैं उसका उदाहरण दे दूं, सारी पुलिस ढूंढती रह गई, लेकिन कानू सान्याल और चारू मजूमदार उनके हाथ से निकल गये। उन्होंने वहां चाय पी और चाय पी कर मुंगेर से चले गये। यह वह सी०आई०डी० है जो अंग्रेजों के वक्त में हमारे देश प्रेमियों और देश पर मरने वालों को पकड़ने में समर्थ थी। आज उसकी क्या इफीशिएन्सी रह गयी है। आज जो हालात समाज में पैदा हुये हैं उनको हम सब ने पैदा किये है। उसको रोकने में शासन यंत्र असफल रहा है। उसमें क्या नैतिक बल है? उसी असफल यंत्र को यह शक्ति दे रहे हैं। आश्चर्य है कि जुआड़ी को अपने घर का खजांची बना रहे हैं। उसको हम अनलिमिटेड पावर क्यों दे। एक अकर्मण्य, असफल, भ्रष्ट तन्त्र को शक्ति देना यह राजनीतिक महाभूल है। आज उसको इस प्रकार की अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो कल जब माननीय मंत्री मुख्य जी नहीं रहेंगे वहां तानाशाही वाली पार्टी बैठ गयी तो क्या होगा? रूस में सरकार का विरोध करने पर वहां बड़े साइंटिस्ट्स और लेखकों को ल्यूनिटिक एसाइम में भेज दिया जाता है। यहां भी विरोधियों को गुन्डा घोषित करके जेल में बन्द कर देंगे। वहीं करेंगे जो कि ब्रूनिंग ने अपनी सत्ता कायम करने के लिये किया और जिसका प्रयोग हिटलर ने अपनी सत्ता को दृढ़ करने के लिये किया। तानाशाही का रास्ता खोलते जा रहे हैं। इसमें तो बुद्धिमत्ता नहीं है। कहा जाता है कि हम गुन्डों को पकड़ेंगे? गुंडा कौन है? देहात का लठैत जिसको बुली कहते हैं वह दरोगा जी का दलाल है, उसको कभी दरोगा जी पकड़ेंगे। आतंकवादी नक्सलाइट वह अपनी मशीनगनों के साथ जंगल में है। उसको पकड़ने की पुलिस की हिम्मत नहीं है। जो डाकू है वह जंगल में रहता है, उसको पुलिस पकड़ नहीं सकती। किस आतंकवादी को पकड़ेंगे? उदाहरण दिया गया कि किसी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। हमारे भाई साहब भूल गये, पुरानी प्रथा इस प्रदेश की, वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जब जमीन पर कब्जा होता है तो दरोगा जी की जेब पहले गरम कर दी जाती है। जिसने जेब गरम की है वह पकड़ा नहीं जा सकता। जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है, जिस पर अन्याय हुआ है वह गुन्डा करार दे कर जेल में बन्द हो जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी डिगडिगी पीटी कि हम इसमें डी० एम० के अधिकार को रेव्यू की पावर कमिश्नर को दे रहे हैं। डी० एम० और कमिश्नर एक ही हांडी के चट्टे-बट्टे हैं। बिलार की गवाही बिली देने जायगी, पूरब की किंवदन्ती है "नदवा का साखी बिलार" वही हाल है। दुनिया के जुरिस प्रेंडेंस का पहला नियम है कि "मैन इज इनोसेंट अनलेस ही इज प्रूव्ड गिल्टी"। यहां कहते हैं कि यू आर गिल्टी, प्रूव यौर इन्नोसेंस। आप अपनी अपात्रता को छिपाने के लिये कहते हैं लोगों के ऊपर दोष लाद रहे हैं और कह रहे हैं कि साबित करो कि तुम ईमानदार हो। यह फ्रांस के बादशाह बुरबोन्स जैसा हाल है। (lettre de-Cashe) सरीखा है वहां फ्रांस में यह नहीं था कि तुम साबित करो कि सही हो। किसी से नाराज हुये तो बन्द कर दिया। १०–२० वर्ष लग जायं, बेचारा वह साबित करता रहे कि सही है। लोग मर भी जाते थे। यह कौन सा जूरिसप्रूडेन्स है, कौन सी न्याय की पद्धति है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। हां कम्युनिस्ट–तानाशाही में यह सिद्धान्त नहीं है। कम्युनिस्ट थ्योरी में गिल्ट (guilt) इज कलेक्टिव लेकिन जनतंत्र में यह मान्यता नहीं है। हम जनतंत्र की दुहाई देते हैं और जनतंत्र की हामी भरते हैं। लेकिन जनतंत्र में एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई आदमी दोषी नहीं है। जब तक साबित न हो जाय वह दोषी है। लेकिन यहां आप उसे उलट रहे हैं। आप दोषी हैं साबित करो कि नहीं है। तर्क दिया जाता है कि लठैत के डर से मारे लोग गवाही नहीं देते। मुझे हंसी आती है। कोई लठैत अकेला नहीं होता। उसका एक गोल होता है। एक को पकड़ लिया और कोई सज्जन गवाही देने गये। कितना भी छिप कर जायंगे मोहल्ले में मालूम

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—]

ही हो जायगा कौन गया कौन नहीं गया। उन्होंने कहा जाओ बच्चू गवाही देने। शाम को लौट कर आओगे तो देख लेंगे। क्या २४ घंटे पुलिस बैठेगी उसकी सुरक्षा के लिये? जिस चीज को छिपा रहे थे वह छिपेगी नहीं। धमकी निश्चित मिलेगी कि गवाही देकर लौटोगे तब देख लेंगे। इस तरह मतलब भी अमल नहीं होगा। मतलब आपका यह था गवाह की सुरक्षा। तो गुन्डों के दल के सरदार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ जो कार्यवाही करने का मकसद इस बिल से है वह सर्व नहीं होता। परपज था गवाह को प्रोटेक्शन देना वह होगा नहीं। यह इल्युजरी है, मृगमरीचिका है, भ्रामक है। इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा।

मैं आश्वासनों को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि पिछले १५ वर्षों से इस कुर्सी से आश्वासन मिलते चले आ रहे हैं। सुनता चला आ रहा हूं आश्वासन के बाद आश्वासन परन्तु ठीक उनके विपरीत कार्य होता है। इसलिये मैं मौखिक आश्वासन मानने को तैयार नहीं हूं। आततायी कौन होगा इसकी परिभाषा की? डंडेबाज अथवा लठ्ठबाज तो आततायी नहीं है। जो मंत्री लोग भ्रष्ट हैं, घूसखोर अफसर हैं और जनता को पीड़ित करते है वह कानून क्या उन पर लागू होगा? समाज को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना आततायीपन है, वह चाहे डंडे के बल पर हो या सत्ता के बल पर हो अथवा धन के बल पर हो। आज डालडे के दाम आसमान को छू रहे हैं क्या वह समाज को पीड़ित करने वाले आततायी नहीं हैं? मेरठ का जो डालडे का सबसे बड़ा उत्पादक है उस पर कानून लागू होगा?

श्री चरण सिंह—

उनके लिये और कानून हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

उनको किसी भी कानून में पकड़ा नहीं गया। डालडा आज शादियों में गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। समाज को जो इस तरह से भ्रष्ट कर रहे हैं सरकार क्या उन पर यह कानून लागू करेगी? और अगर यह लागू होने वाला है तो मैं विनम्र शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और जानना चाहूंगा कि जब वे संविद के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने किसी समय कहा था कि हम पब्लिक मेन्स इन्क्वायरी ऐक्ट बनायेंगे। कहां गया वह ऐक्ट? मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री इसका उत्तर दें कि पब्लिक मेन्स इन्क्वायरी ऐक्ट बनेगा या नहीं? अधिष्ठाता महोदय, तर्क यह दिया जाता है कि आज तक जो न्याय व्यवस्था है उसका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि दोष किसका है? इसके लिये सारा सिस्टम दोषी है। आप लीगल सिस्टम बतलायें। अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं, मुझे मेरे साथी क्षमा करें और यह बोलने के लिये कि आज यहां पर बड़े धुरन्दर वकील लोग हैं किन्तु आज के वकीलों का इन्टेरेस्ट समाज के प्रति न होकर अपने क्लाइन्ट के प्रति है। आज दोष वहां पर है। जो हमारे ला कोर्टस् हैं उनके अन्दर समाज का दृष्टिकोण नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज उस दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, सामाजिक भावना बदलने की आवश्यकता है। न्यायालयों के अन्दर जो सिस्टम हैं उसके अन्दर सामाजिक भाव आना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, कहीं इस तरह हम पर इस्तेमाल करने के लिये इक्जीक्यूटिव को पावर तो नहीं दे रहे हैं?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मेरे मित्र को एक्जीक्यूटिव पावर से भय है। अधिष्ठाता महोदय, मैं जानता हूं और शायद सारा सदन जानता है कि जिसके पास पैसा है वह सब कुछ कर सकता है। कहा जाता है कि जाकर कत्ल करके आओ यदि तुम्हारे पास ५ हजार रुपया हो। अधिष्ठाता महोदय, वह छूट जाता है।

यही न्याय है और जो उसे पकड़ने में सहायता करता है उसे भी दण्ड दिया जाता है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा कि लखनऊ शहर में गुन्डागर्दी है और इसके लिये उन्होंने लखनऊ को २२ सेक्टरों में बांट दिया और पुलिस सारे शहर में पेट्रोलिंग करने लगी। तो मैं कहता हूं कि आप सारे सूबे भर में इसे लागू क्यों नहीं कर देते हैं.....

श्री चरण सिंह—

माननीय दुबे जी को स्मरण होगा और यदि नहीं स्मरण है तो मैं याद दिला दूं कि वे भी कानून को महसूस कर रहे हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ भी शिकायत उनके पास उसके बाद नहीं आई। तब इस ऐक्ट को लाने की क्या जरूरत है। अधिष्ठाता महोदय, आज इस कानून के अन्दर इक्जीक्यूटिव को आप शक्तिमान करते हैं। अगर हमारी सरकार को ज्ञान होता तो जब-जब एक्जीक्यूटिव मजबूत हुई है जब-जब अत्याचारी शासन रहा है जिसको टिरेनी कहा गया है तो इसमें बदनामी हुई है। मुझे क्षमा करें यह कहने के लिये कि बहुत से मिनिस्टर सेक्रेटरी के कहने पर चलते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते; अधिष्ठाता महोदय, आज इस प्रकार की स्थिति है तो क्या आशा की जाती है कि इसके लिये एक विशेष परिस्थिति खड़ी हुई है कि इक्जीक्यूटिव को पावर दें। यह हमारे विचारों और मत स्वातंत्रय के ऊपर एक आघात होगा। मैं एक उदाहरण दूं। हम सब लोग जानते हैं कि पुलिस के लोग सदा ही प्राइवेट टैक्सीज में चलते हैं। यह एक ओपेन सीक्रेट है। दरोगा जी का परिवार भी टैक्सी में ही सिनेमा देखने जाता है। लेकिन अगर कहीं टैक्सी वाले ने नहीं कर दी तो खट से गुन्डा ऐक्ट में बन्द कर दिया गया। इसका इलाज कैसे होगा? माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रिव्यू कर सकता है। अगर वह रिव्यू कर सकता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां उसका रिव्यू हो। वह उसी की जांच करे। यह पावर एक्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होनी चाहिये, एक्जीक्यूटिव के प्रमोशन, कनफरमेशन आदि की पावर सब सरकार के हाथ में रहती है। वह किस प्रकार से स्वतंत्रता से सोच सकता है। उसके ऊपर तो सरकार का अंकुश लग जाता है। इसलिये रिव्यू करने वाली संस्था इन्डिपेन्डेन्ट होनी चाहिये। इसलिये इस अधिकार को जुडीशियरी के हाथ में देना चाहिये, सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये।

खंड ५ (१) में दिया हुआ है– कोई पुलिस अधिकारी, जो हेडकांस्टेबिल की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर धारा ३ के अधीन आदेशों द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार अपने को हटाने में चूक करने का, या जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे आदेश के प्रवर्तन की अवधि में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने का युक्ति युक्त संदेश हो, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।..इसका अर्थ क्या होगा कि ससपीशन के आधार पर ही सब काम हो जायगा। (व्यवधान)

फिर आपने यह भी कहा है कि–(६) "कोई मजिस्ट्रेट धारा ४ के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, सिवाय (क) ऐसे तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर द्वारा की गयी लिखित रिपोर्ट पर, या (ख) पुलिस आफिसर से निम्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है, संज्ञान नहीं करेगा।"

किसी इन्डिविजुअल या पुलिस के किसी दलाल के मन में किसी के प्रति शिकायत करने की बात आ गयी जिससे उसका झगड़ा हो गया है। मान लीजिए मैं किसी झगड़े में आपको नहीं हरा पाया और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक ने दरख्वास्त दे दी कि यह आदमी गुन्डा है और जिले में उसकी फाइल खुल गयी। केवल संदेह मात्र पर ऐसा होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—]

मुख्य मंत्री जी इन सारी चीजों पर फिर विचार कर लें। इस ऐक्ट को उन्हें फुल प्रूफ बनाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस ऐक्ट में देश द्रोहियों, और देश में सेबोटेज और देश के विरुद्ध जासूसी करने वालों को जरूर रखा जाना चाहिये। अगर उनको न रखा गया और खाली पुलिस की इच्छा पर तथा प्रशासन के इशारे पर आपने इसे ऐक्ट का प्रयोग किया तो अवश्य ही इसका दुरुपयोग होगा। जनता के साथ न्याय नहीं होगा। उसके द्वारा न्याय का गला घोंट दिया जायगा और भ्रष्ट पुलिस को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया जायगा। बेचारे गरीब और मासूम लोग उसके पंजे में आ जायेंगे और जो असली गुन्डे हैं और पुलिस के दलाल हैं वे इस ऐक्ट में आने से बच जायेंगे। इन सारी खामियों को इस विधेयक से आपको दूर करना है। अन्यथा आप एक भयानक रास्ता खोल रहे भविष्य के लिये कि कभी भी कोई तानाशाही सरकार इस ऐक्ट को लेकर कुछ भी कर सकती है इस प्रकार प्रदेश और देश के अन्दर और तानाशाही की सरकार जब तानाशाही करेगी तो हम और आप, सब जेल के अन्दर नजर आयेंगे और हो सकता है कि दासू या कॉरिगटन जैसे कैम्स में हमारी और आपकी हड्डियां ही मिलें। इस कारण मैं मुख्य मंत्री जी से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें क्योंकि सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जल्दबाजी बड़ी आपत्ति का घर है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको फुल-प्रूफ ऐक्ट बना कर फिर सदन के सामने लायें।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आज सरकारी पक्ष से हमारे मंत्री जी ने जो गुन्डा विधेयक पेश किया है मैं उसके विरोध में अपनी राय रखना चाहता हूं। मैंने यह महसूस किया कि आज शासन हमारे अधिकारियों, विशेषकर पुलिस के हाथ में हर किस्म की ताकत को दे करके हम गरीबों को और दबाने जा रही हैं। इससे जुल्म नहीं खत्म होगा। हमारे साथी जानते हैं जो यहां बैठे हुए हैं कि आज अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो कोई कालम ऐसा नहीं मिलता जिसमें डकैती कत्ल, राहजनी इत्यादि की घटनायें न छपती हों। वो भी जनता के बीच में कार्य करते हैं वह जानते हैं कि आज पुलिस किस तरीके से अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिये गलत से गलत रास्ता अख्तियार करती है। मैंने अभी तजकिरा किया था अपने जिले का संबंधित मंत्री जी से कि हमारे यहां डकैती हुई है, नामजद रिपोर्ट हुई लेकिन उसके बावजूद भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किये गये। एक महीने में तीन डकैतियां एक थाने के अन्तर्गत हुई और जब मैंने दारोगा से पूछा कि नामजद रिपोर्ट इसकी है तो कहने लगे कि हां, है। मैंने कहा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की? तो कहने लगे कि कप्तान साहब का आदेश है कि नामजद रिपोर्ट पर गिरफ्तारी तब तक न की जाय जब तक वह तसदीक न हो जाय। इस गुंडा विधेयक को अगर हम देखते हैं तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दरख्वास्त पड़ने पर जिलाधीश उसको सजा दे सकता है और शहर से बाहर कर सकता है और अगर वह नहीं मानता है तो जिलाधीश को अख्तियार होगा कि उसको जेल भेज सके या जुरमाना कर सके। आज गांवों में दुश्मनियों से जो कमजोरियां हैं उनको देखते हुए अगर हम इस विधेयक को गौर से देखें और हमारे मंत्री जी गौर से देखें तो पायेंगे कि कोई व्यक्ति पुलिस से मिलने के बाद-दस बीस दरख्वातें एक आदमी के खिलाफ देने के बाद आसानी से उसको परेशान कर सकता है। श्रीमन्, ११० और १०९ के अन्तर्गत कभी भी पुलिस बड़े आदमियों को पकड़ कर नहीं बन्द करती है बल्कि गरीबों को ही उसमें बन्द किया जाता है क्योंकि थाने में उनका कोटा फिक्स रहता है। साल भर में प्रत्येक थाने को इतने ११० और १०९ के मुल्जिम में भेजने पड़ेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि शराब पीने के सिलसिले में गरीब आदमी ही बन्द हो सकता है लेकिन कपूर होटल से निकला हुआ आदमी कभी बन्द नहीं हुआ। अगर हम समझते हैं कि इससे हम जुल्म को कम करेंगे, गांवों और शहरों में गुंडागीरी को खत्म करेंगे तो इसमें कतई कोई कमी होने वाली नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमन्, पुलिस को जहांतक मदद करने का सवाल है, वह इस माने में हो सकती है कि अगर डकैती पड़ती है, गवाह नहीं मिलते हैं तो कम से कम डिप्टी कप्तान के बयान

को कोर्ट में मान्य करा दें। लेकिन अगर सरकार सोचती है पुलिस की परेशानी कम करने के लिये कि हम इस विधेयक को मान्य करा दें तो यह ठीक नहीं होगा। श्रीमन् आज देखने में यह आता है कि एक आदमी को डकैती में, १, २ और ३ बार बन्द होने के बाद भी कोर्ट से बेल मिल जाती है। हम अगर यह कानून में तब्दीली ले आयें कि एक आदमी को जिसने दो बार डकैती की हों, उसकी जमानत नहीं होगी तो यह ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसी चीज इस ऐक्ट में है नहीं। श्रीमन्, मैं अपनी एक मिसाल बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी का शिकार हो चुका हूं। फैजाबाद में जिलाधीश ने मुझे और मेरे पांच साथियों को बन्द किया। जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकद्दमा चला। क्योंकि मुझे यह बताया कि डी० एम० नहीं मानते हैं, वह मेरे खिलाफ हैं। इस जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने लिखा कि वह अपनी कोर्ट में ट्रायल नहीं चाहते हैं, दूसरे कोर्ट में ट्रांस्फर कर दिया जाय। जो कि बाद में हो गया जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां से सजा हो गई और बाद में सेशन कोर्ट से बरी हुए। बात यह थी कि जिलाधीश नाराज थे। अगर जिलाधीश ऐसा कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर वह किसी से भी नाराज हो जायं तो उसकी जिन्दगी बर्बाद कर सकते हैं, उसे जेल में बन्द कर सकते हैं। श्रीमन्, आज जो रवैया चल रहा है वह यह है चाहे हमारी सरकार हो, चाहे गुप्ता जी की सरकार रही हो और चाहे जनसंघियों की सरकार रही हो, हुआ यह है कि मंत्रिमंडल बनते ही अधिकारियों के तबादले होना शुरू हो जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल बनने के साथ-साथ अधिकारियों के तबादलों का सम्बन्ध सा बन गया है। यदि यह विधेयक लागू हो गया तो इससे यह हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र में चुनाव के पहले जिसको हराना है उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ दरख्वास्तें दिलाकर उनको बन्द कर दिया जाय। अगर मुख्य मंत्री चाहते हैं या जिलाधीश चाहते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है?

कई सदस्य—

यह सही है।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

मैं समझता हूं कि सरकार इस विधेयक द्वारा पुलिस के और अधिकारियों के हाथ काफी मजबूत करने जा रही है। लेकिन इससे हम गुंडागर्दी खत्म नहीं कर सकेंगे। इसलिये इस विधेयक को लाने से पहले यह देखना चाहिये कि इसके ब्राइट साइड क्या हैं और डार्क साइड क्या हैं। इसको सोचना चाहिये। जो मौजूदा कानून है अगर उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी जातीं तो शायद इस ऐक्ट के लाने की जरूरत न पड़ती। रोज हम देख रहे हैं कि डकैती पड़ती हैं और मुलजिम कोर्ट से जमानत पर छूट रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने तजकिरा किया था कि उन्होंने एक जज ऐसा भी देखा जो कि चाहे वह हाई कोर्ट के रहे हों या सेशन्स कोर्ट के रहे हों, उन्होंने हर केस में केवल बेल मंजूर करना अपना फर्ज समझा चाहे वह डकैती का केस रहा हो और चाहे मर्डर का रहा हो। उसने उसकी गम्भीरता को नहीं समझा। तो क्या हम इस किस्म के कानून नहीं बना सकते अपने कानूनों में संशोधन करके कि जिनसे समाज में परेशानियां जो बढ़ती जा रही हैं वह दूर हो सकें। मैं समझता हूं कि नये कानूनों को लाने की जरूरत नहीं है बल्कि क्रिमिनल प्रोसेजर कोड में कुछ तबदीली लाई जाती। एक कमेटी बनाते जो यह देखती कि इसमें क्या तब्दीली लाने की जरूरत है। हमारे दूबे जी ने वकीलों के बारे में कहा आज इस सदन के अन्दर। आज वकील यह समझता है कि हमें कानून की बाल की खाल निकालनी है। वे अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं समझते। वे समझते हैं कि उसको पैसा लेना है चाहे डकैती का मामला हो या मर्डर का। उसको तो पैसा चाहिये और वह छुड़ाने के लिये गवाह तैयार करता है। अगर वह अपनी जिम्मेदारी समझे समाज के प्रति तो वह यह सोचे कि न उसका सामान लूटे और न समाज के किसी व्यक्ति का लेकिन ऐसा नहीं है। वह समझता है कि डकैत को छुड़ा लूंगा और वह छुड़ा लेता है और

[श्री प्रियदर्शी जेटली]

इससे उसकी वकालत अच्छी चलने लगती है। वह समझता है कि उसकी प्रशंसा इसी में है और उसका स्टेटस इसी में बनता है कि वह डकैत को छुड़ा ले। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार से कि वह इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले अगर कोई संशोधन कानून के उन क्षेत्रों में लाने की कोशिश करे जिनसे कि हमारे बीच में भारी जहर फैलता जा रहा है तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री अधिष्ठाता—

एक सूचना देता हूं। हमारे ऐडवोकेट जनरल, श्री कन्हैयालाल जी मिश्र मौजूद हैं तो कानूनी प्वाइंटस भी रख दें। वह सुन कर कुछ कहेंगे, कुछ अपने तर्क भी देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अच्छा होगा आप पहले उनको बुलवा दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पहले हम लोग उनको सुन लें कि उनकी क्या राय है? हम लोगों ने मुख्य मंत्री की राय सुन ली है। उनकी भी राय सुन लें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

हाउस ने तो एडवोकेट जनरल को बुलाया नहीं। वह कैसे आये?

महाधिवक्ता (श्री कन्हैयालाल मिश्र)—

संविधान के अनुसार इस सदन में मेरा बैठने का अधिकार है। तो यह प्रश्न ही नहीं कि मैं क्यों आया? मैं देखने आया कि क्या आपत्तियां हैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने में। मैं बोलने के खयाल से नहीं आया किन्तु आवश्यकता होगी तो बाद में बोलूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अधिष्ठाता महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि जिस वक्त मुझे बोलने का मौका मिला उस समय आप कुर्सी पर हैं। मान्यवर, इस विधेयक को पेश करके सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि यह पुलिस शांति और व्यवस्था बनाये रखने में असफल है। दूसरी चीज यह है कि सरकार इस अधिनियम के द्वारा पुलिस को, जो पहले से ही बहुत ज्यादा निरकुश है और मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कम से कम यह जनता की दोस्त नहीं है, उस पुलिस और मैजिस्ट्रेसी को और ज्यादा अख्तियारात से लैस करने जा रही है। ऐसे अख्तियार जो वैयक्तिक स्वास्तंत्र्य को कम करते हैं। मैं यह भी माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को लाकर उन्होंने अंग्रेजों को भी मात कर दिया। आपको याद होगा श्रीमन्, अंग्रेजी शासन काल में भी गुन्डा ऐक्ट था—यूनाइटेड प्राविन्सेज गुण्डा ऐक्ट। अगर उसको पढ़ने की ज़हमत करें तो आप देखेंगे कि जो ताकत आप डिप्टी कमिश्नर को देने जा रहे हैं, वह ताकत उस वक्त सरकार को हासिल थी। यानी अंग्रेजों ने उस ओहदे को इस लायक नहीं समझा कि उसको यह अख्तियार दिया जाय कि वह एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के आदेश दे दें। मान्यवर, यह अख्तियार नहीं दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर का खाली काम इतना था कि वह अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देता था और उस समय जो प्रदेश सरकार थी, लोकल गवर्नमेंट थी, वह उस रिपोर्ट की स्क्रूटनी या जांच के लिये २ जजेज की एक कमेटी बैठाती थी जिसको एडवाजिरी जजेज कहा जाता था।

बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एडवोकेट जनरल साहब यहां मौजूद हैं। तो श्रीमन्, जो एप्रोच किसी मामले में किसी एक्जीक्यूटिव अधिकारी को होता है, उसके बिलकुल अलग, जहां तक कानून के इन्टर प्रेटेशन और इन्फोर्समेंट का सवाल है, एक बिलकुल डिफरेंट आउट लुक

और ऐटीट्यूड जुडीशरी का होता है। अंग्रेजों के समय में यह था कि जब इस तरह की कोई रिपोर्ट आती थी तो वह उसको फिर उसी जिले के सिविल एण्ड सेशन्स जज और उसी सेशन्स डिवीजन के एक दूसरे एडीशनल जज, उन आदमियों के पास भेजते थे। वह लोग कमरे में, बिलकुल अलग बैठकर, सभी पहलुओं पर विचार करते थे और विचार करने के बाद अपनी राय सरकार को भेजते थे और तब सरकार यह फैसला लेती थी कि अमुक व्यक्ति को उसके रहने की जगह को छोड़ने के लिये कहा जाय या नहीं। लेकिन आज यह सरकार जो ताकत अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को नहीं देना चाहती थी वह ताकत डिप्टी कमिश्नर को देने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने जा रही है और ऐसा करके सरकार जितने भी जुडिशीयरी के उसूल हैं, उनको ब लायेताक पर रख दिया। मिसाल के लिये कानून शहादत, एवीडेंस ऐक्ट, उसके जो नियम हैं सुनवाई करने पर लागू नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि फौजदारी के मुकदमों को अपील सेशन्स कोर्ट में की जाती है, लेकिन सरकार उस आदमी से यह हक भी छीनने जा रहे हैं और वह अपील करे तो कमिश्नर के यहां करेगा।

जैसा कि अभी माननीय राजा राहब ने कहा था, सरकार और उसकी जो एक्जीक्यूटिव है, उसमें कोई फर्क नहीं है, यह तो उन्हीं की मातहत है और उसी के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी हैं। यह लोग अपनी तरक्की को ध्यान में रख कर कौन-कौन गुनाह नहीं कर सकते। मैं मिसाल के तौर पर अपनी एक जाती मिसाल रखना चाहता हूं। एक दफा सन् १९६० में जब अनाज की दिक्कत थी, हमारी पार्टी ने सत्याग्रह किया। जो तारीख थी उससे पहले ही हमको कचेहरी में गिरफ्तार कर लिया गया और जिस वक्त हमको अदालत में पेश किया गया उस वक्त अदालत बिल्कुल थाने के कमरे में तब्दील हो चुका था क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट का रिटायरिंग रूम था उसमें जिले के सारे पुलिस अधिकारी भरे हुए थे जब मुझे वह दृश्य देखने को मिला तो मैंने उनकी अदालत में दरख्वास्त दी, लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र दिया कि कम से कम अदालत और थाने में तो फर्क रखें। तब फिर उन्होंने उस दरख्वास्त पर आदेश किया "कीप आन दि फाइल" यानी इसको मिसिल में शामिल कर लिया जाय। लेकिन इसी विषय को लेकर जब मैंने ट्रांस्फर का अप्लीकेशन जज के यहां दिया तो मैजिस्ट्रेट ने उसमें इतना बढ़ा दिया— "एलिगेशन फाल्स", नीचे लिखा है 'कीप आन दि फाइल' और बाद में इतनी एबारत और बढ़ा दी, तो एक उदाहरण है जो मैंने आपके सामने किया कि ये लोग सरकार की निगाह को पकड़ने के लिये, या सरकार को खुश करने के लिये क्या-क्या कुकर्म नहीं करते हैं। अदालतों में इस तरह का काम होता है तो ऐसी हालत में हम क्या सोचें। तो अंग्रेज की सरकार के समय यह था कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई छू नहीं सकता था और तब सरकार ही अन्तिम डिसीजन लेने वाली थी और आज आप इस ताकत को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तब की सरकार के डिप्टी कमिश्नर और आज की सरकार के डिप्टी कमिश्नर में क्या फर्क हो गया। जहां तक इस इंस्टीटयूशन का सवाल है, जैसे वे पहले गैर जिम्मेदार थे, वैसे आज भी गैर जिम्मेदार हैं। इस बात का सब से बड़ा सबूत यह है कि जिले स्तर पर जितने दफ्तर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत चल रहे हैं उन सब में भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें हैं। इसका कारण यह है कि उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति है और सरकार के माध्यम से सदन के प्रति है। उसका नतीजा यह है कि आज चाहे इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सभी का एक मत है कि आज जिले का सारा प्रशासन बिल्कुल बिगड़ गया है, कहीं न्याय नहीं हो रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।

श्रीमन्, मुख्य मंत्री के पास भी शिकायतें पहुंचती हैं और हमारे पास भी लोग शिकायतें लेकर पहुंचते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं और यह सदन जानना चाहता है कि उस वक्त से अब तक की हालत में क्या बदलाव हो गया है। जो अंग्रेज भी नहीं कर सके थे। उस कार्य को करना क्या आप श्रेयस्कर और उचित समझेंगे? आपने क्यों ऐसा फैसला कर लिया है?

[श्री अनन्तराम जायसवाल--]

अगर यह कहा जाय कि पिछली सरकार ने फैसला कर लिया था इसलिये आप इस तरह का कानून लाना चाहते हैं, यह कोई दलील नहीं है। इस विधेयक के उद्देश्य में है--गुंडों पर नियंत्रण, गुंडागर्दी को दबाना और इस तरह से प्रदेश में शान्ति व व्यवस्था कायम करना। इससे साफ है कि आपने इस विधेयक के उद्देश्य में स्वीकार कर लिया है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गयी है। इस कानून के जरिये आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो जो जो जरायम हैं उनको आप देखें। एक जरायम तो आदमी के शरीर से सम्बन्ध रखने वाला है, दूसरा जरायम आदमी की सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला है और तीसरा जरायम लोगों को धमकी देने से सम्बन्ध रखने वाला है। इन तीन तरह के जरायम को रोकने के लिये आप यह कानून लाये हैं--ताकि उनको रोक सकें, उन पर नियंत्रण रख सकें, उनको दबाने के लिये ही आपने यह कानून पेश किया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर देते समय माननीय मुख्य मंत्री जी इसको बतलावें कि यह जो आपकी पुलिस है वह सबस्टेंसिव आफेंस पर बराबर ऐक्शन ले सकती है, जहां तक आदमी के शरीर और सम्पत्ति का सम्बन्ध है, उसमें कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसी तरह से दंगाई लोगों को कटघरे में खड़ा करके उनको सजा दिलायी जा सकती है, फिर इस कानून की क्या जरूरत थी। दूसरा क्राइम जो धमकी देने से सम्बन्धित है, अगर कोई किसी को धमकी देता है तो ताजीरात हिन्द की धारा ५०४, ५०६ को दस्तअंदाजी पुलिस बनाकर उसको रोका जा सकता है। इस वक्त उनकी सजा कम नहीं है। एक में तो २ साल तक की सजा है और दूसरे में ७ साल तक की सजा हो सकती है। सभी जानते हैं कि इसमें सीधे सादे लोग ही अधिक पकड़े जायेंगे और जो सचमुच गुंडे हैं उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पायेगी। बल्कि आंख बन्द करके बैठी रहेगी। मैं तो यह कहूंगा कि १०७ वगैरह की जो रिपोर्ट आज हो रही है वह इसलिए नहीं कि उससे शान्ति बनी रहे बल्कि जो सीधे-साधे गरीब लोग हैं उनको परेशान करने के लिए उस दफा का सहारा लिया जाता है। किसी भी देहात या शहर के रहने वाले सीधे-साधे आदमी को कभी उसके जरिए से हिफाजत नहीं मिलती बल्कि बदमाश किस्म के लोग ही पुलिस के पास जाते हैं और पैसे के दवाब में तैयार करते हैं कि फलां घर के लोगों को १०७ में चालान कर दिया जाय। आज उसका इस्तेमाल व्यवस्था को बनाये रखने के लिए नहीं बल्कि उसको तोड़ने के लिए किया जाता है। आज उससे कोई उत्पीड़ित फायदा नहीं उठा पाता है बल्कि जो उत्पीड़क हैं, जालिम हैं उसी को फायदा मिल रहा है। पुलिस इतनी भ्रष्टाचारी हो गयी है। छोटा आदमी त्राहि-त्राहि करता है लेकिन पुलिस वालों के कान पर जूं नहीं रेंगती। अभी मजबूर होकर, जब यह समझ लेते हैं कि कत्ल वगैरह के बिना नहीं रुकेगा तो अपनी बचत के लिए कार्यवाही करते हैं और जो उत्पीड़ित समूह है उसके द्वारा ज्यादा आदमियों और जालिम लोगों के दो-एक आदमियों को दो तरफा कार्यवाही करके अदालत में भेजा जाता है।

इसी तरह से श्रीमन्, १०९-११० की बात भी कहना चाहता हूं। जब आजादी की लड़ाई थी तो आप भी मान्यवर, इसको काला कानून बताते थे। है क्या उसमें? किसी हैबीचुअल अफेन्डर के खिलाफ शायद ही इन दफाओं का इस्तेमाल होता हो। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए पुलिस कार्य करती है। जो गांव के सीधे-साधे लोग हैं, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, कांस्टेबिल उनके घर पर जाता है और कहता है कि हमारी सायकिल सड़क तक पहुंचा दो। इस तरह से उसे गांव के बाहर लाता है और फिर थाने में ले जाकर झूठा चालान कर देता है। उसे केवल इतना कहना पड़ता है कि फलां आदमी फलां खंडहर या पेड़ के आड़ में बैठा था चोरी की तैयारी में या किसी और जुर्म की तैयारी में और उसके पास से देशी पिस्तौल या दियासलाई वगैरह निकली। इतने पर साल भर के लिए जेल में डाल देते हैं। कितना नाजायज इन दफाओं का इस्तेमाल हो रहा है? पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जोड़ें तो लाखों की तादाद ऐसे मामलों की होगी। गरीब, बेसहारा लोग इसके जरिए जेल में डाले जा रहे हैं। कोई भी जनतंत्र का हामी यही चाहेगा कि इन दोनों दफाओं को जाब्ता फौजदारी से निकाल दिया जाय। स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू ने भी कहा था कि इन दोनों दफाओं को आजाद

हिन्दुस्तान में नहीं रहना चाहिए। जब आप पिछली बार मुख्य मंत्री हुए थे तो जो प्रोग्राम बना था उसमें भी सम्भवतः यह शामिल था कि दफा १०९–११० को जाब्ता फौजदारी से निकाल दिया जाय और बिहार में जो उस वक्त एस० वी० डी० थी उसने इन दफाओं को मुअत्तल कर दिया था। तो जब कभी इस प्रदेश की जनता इस प्रदेश में जनतंत्रीय सरकार स्थापित करेगी तो यह दोनों दफाएं जाब्ता फौजदारी में नहीं रहेगीं जिनका कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो उस चीज को तो आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एक और ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें आदमी बिल्कुल बेबस हो जाय, जहां पर रहता है उस जगह को छोड़ना पड़े और उस जगह को छोड़कर गैर जगह में रहे। अगर यह कानून बना तो क्या होगा? मान लीजिए किसी आदमी को जो बाराबंकी का रहने वाला है उसको कानपुर भेज दिया जबरदस्ती और उसको घर नहीं जाने देते, तो क्या आप उसको रोजी का जरिया देंगे, एम्प्लायमेंट देंगे, जिससे वह अपना पेट भर सके? अगर बाराबंकी में वह चोर-बदमाश नहीं था तो कानपुर में जाकर चोर-बदमाश बने बगैर वह रह ही नहीं सकता। जैसे सीधे-साधे लोग १०९–११० में पकड़े जाते हैं और जेल में रहते हैं तो जरायम पेशा लोगों की सोहबत में पड़कर आगे चलकर नामी जरायम पेशा लोग बन जाते हैं।

इस कानून के इस्तेमाल से आप जरायम पेशा कम नहीं करेंगे बल्कि इससे आप जबर्दस्ती उनको जरायम पेशा बना देंगे। वह वहां जाकर क्या करेंगे।

जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा कि मान लीजिये वह कानपुर में चला गया वह क्या करगा। वहां वह गिरोह के साथ हो जायगा या किसी गुरु का साथ करेगा वरना खायेगा क्या। जेब काटने वालों के गिरोह का सहारा लेगा या फिर किसी गुरु का सहारा लेगा इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से बजाय सुधार करने के लोगों की आप और बिगाड़ने जा रहे हैं। ऐसे कानून से इसके अलावा और कुछ दूसरा नतीजा निकलने वाला नहीं है। फिर पिछला तजुर्बा भी आपके सामने है। यह दफा १०९ और ११० है इनके मातहत पुराने सामन्ती पुलिस से मिल जाते हैं। पुलिस और वे लोग दोनों मिल कर जो मजदूर पेशा या गरीब लोग होते हैं उनसे साजिश करके फांस लेते हैं और अदालत में जमानत मुचलका दिलाकर छुड़वा देते हैं। उसकी खुद जमानत करने के बाद जमानत की अवधि में उनसे अपने घर पर हल जुतवाया करते हैं। जब कभी उस आदमी के मन में यह आया कि मेरे साथ यह जुल्म हो रहा है और बेगार छोड़ने का प्रयास करते हैं तो तब फिर आदालत में आकर उसकी जमानत को खारिज करा देते हैं और जेल वापस उसको भिजवा देते हैं। तो इसी तरह से जो यह कानून आप ला रहे हैं इसका नाजायज फायदा उठाया जायगा। आखिर यह नाजायज फायदा उठाने की बात को आप किस तरह से रोकेंगे। इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये कि आखिर क्यों जरायम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है। इस तरह से यह मामला सुधरने वाला नहीं है। आप यह समझते हैं कि हर रिपोर्ट थाने पर दर्ज की जाती है लेकिन असलियत इसके विपरीत है। मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि सारी रिपोर्ट लिखी जाती हैं। इसलिये यकीन नहीं है कि यहीं लखनऊ का किस्सा है। श्री चन्द्र शेखर सिंह जी, एम० पी० इसी महीने यहां पर तशरीफ लाये थे। उनका बाराबंकी–फैजाबाद–लखनऊ सड़क पर फार्म है। वह अपने फार्म पर गये थे। एक सज्जन और उनके साथ थे। वापसी में रास्ते में उनको एक टैक्सी मिली। उससे कहा कि तुम लखनऊ ले चलो और पूरी टैक्सी का किराया उसे लेने की बात हो गई। रास्ते में उसको रोककर कुछ लोग और उस पर बैठ गये। उनसे ड्राइवर ने किराया लिया। चन्द्रशेखर जी ने ड्राइवर से कहा कि तुमने रास्ते से जिन लोगों को बिठाया है उनसे किराया लिया है तो उस किराये को काटकर बाकी मुझसे ले लो लेकिन उसके हाथ में पहले नोट दे दिया था तो वह ड्राइवर गाड़ी लेकर चम्पत हो गया। न उसने किराया काटा और न सामान ही दिया जो उसमें रखा था। वह मोटर लेकर सीधे चला गया। हजरतगंज थाने में वह रिपोर्ट लिखाने के लिये गये। बजाय इसके कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती और

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

उस पर कार्यवाही करती वह उनका मजाक बनाती रही। वह वापस आ गये। सी० आई० डी० के एस० पी० को उन्होंने टेलीफोन किया और उनको बताया कि इस तरह से घटना हो गई तो सी० आई० डी० ने आपके एस० एस० पी० से कहा कि इनको राहत दो वरना गड़बड़ हो जायगी। तब उनके हस्तक्षेप करने पर उनकी रिपोर्ट लिखी जा सकी। यह मामला शायद आपकी जानकारी में हो। इसलिये अगर आप यह समझते हों कि हर रिपोर्ट लिखी जाती है तो मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि जो अंग्रेजी की कहावत है "लिविंग इन फूल्स पैराडाइज" इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि असलियत की तरफ से कम से कम आपकी आंखें बन्द नहीं होनी चाहिये और उसकी तरफ आप ध्यान दें कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आज यह बात सही नहीं है कि पुलिस, गुंडे और बाअसर लोगों का एक त्रिकोण बना हुआ है। जब ये लोग चाहते हैं पब्लिक पीस रहती है और जब नहीं चाहते हैं तो पब्लिक पीस नहीं रहती है। जब ये लोग नहीं चाहते हैं तो पब्लिक पीस नहीं रह सकती है और इनसे देहात क्या शहर भी बचे नहीं हैं। उसमें पुलिस वाले शामिल हैं, गांव व शहर के गुन्डे शामिल हैं और जो गांव के असरदार आदमी हैं वह शामिल हैं यह तीनों तत्व उसमें शामिल हैं और यह सब मिलकर जैसे चाहें चला रहे हैं और यह जो शान्ति व्यवस्था है वह जैसे ही इस त्रिकोण के लिए किसी दूसरे से हित टकराते हैं वहां पर शांति व्यवस्था नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती है।

सन् ५५ में बाराबंकी में बड्डूपुर में एक इसी सदन के माननीय सदस्य थे, एक पब्लिक मीटिंग में उनका दिन दहाड़े सब के सामने उनका कत्ल हुआ, यह १६ अक्तूबर, सन् ५५ की बात है, क्या बात थी? उनका कोई खूंटे या नांद का झगड़ा नहीं था, बात यह थी कि वहां के जो आततायी लोग थे वह पुलिस से मिलकर जिनके यहां पुलिस शराबनोशी और मुजरे में शरीक होती थी उनके नाम और कारनामों को मुखरित करने के लिये वहां पर सभा हुई थी और उसकी बिना पर ही इस सदन के उन माननीय सदस्य को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनका नाम था अवध शरण वर्मा। मुलजिमान को आजन्म कारावास की सजा मिली लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनको छोड़ दिया गया। कोई सीधा आदमी कभी इत्तिफाक से कोई घटना हो जाय, कोई फंस जाय तो उसकी छानबीन होती है कि उसको प्रोबेशन मिलना चाहिये या रिहाई उसकी होनी चाहिये या नहीं लेकिन जिसने सारे कायदे कानून को तोड़ा और कोई सोच भी नहीं सकता कि एक खुली आम सभा में एक सदस्य को मारा और ऐसे आदमी को आपने प्रोबेशन पर छोड़ दिया। नतीजा उस का क्या हुआ? आप होम मिनिस्टर हैं मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अभी एक सप्ताह पहले नेशनल हेराल्ड में खबर छपी कि उनके ही गिरोह ने बाराबंकी की कचहरी में एक सार्वजनिक स्थान पर बन्दूकें चढ़ा लीं एक दूसरे गिरोह को मारने के लिये और बड़ी मुश्किल से जान बचीं। तो सवाल यह है कि यह चीजें रुकेंगी इस तरह से? इस तरह से रुकेंगी जैसे आप शान्ति व्यवस्था चला रहे हैं? जब राजनैतिक दृष्टिकोण से काम होगा तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं और जैसी शांति व्यवस्था आज चल रही है उससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।

अब सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है। श्री राजबली यादव के छूटने की बहुत खुशी है, वह पहले यहां के सदस्य थे। मैं कहूंगा कि वह झूठे फंसाये गये क्योंकि वह हमेशा बड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और इसलिये वह उनके दुश्मन थे, उनको मौका मिला और झूठा मुकदमा चला कर उनको फंसा दिया गया और सजा उनको मिल गई....

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं एक स्पष्टीकरण माननीय सदस्य से चाहता हूं और वह यह है कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमा झूठा चलाया गया लेकिन क्या उससे पहले भी उनके ऊपर डकैती, जिनाबिलजब्र के मुकदमे नहीं चले थे जिनको लेकर कि वह पहले भी सजा पा चुके थे?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हो सकता है कि उनको ज्यादा जानकारी हो क्योंकि वह दोनों एक साथ रहते थे और उनकी एक साथी के नाते जो जानकारी रही उसको तो हम नहीं पा सकते हैं। तो वे जेल में थे और जब यह मालूम हुआ कि वे झूठे फंसाये गये तो हमने कोशिश की कि इस आदमी को झूठा फंसाया गया है तो उससे लिखा पढ़ी की गयी लेकिन कोई असर नहीं निकला। उसकी पैरवी में एक जवान लड़की बराबर आती रही। वह होम सेक्रेटरी से भी मिलती रही और शायद आप लोगों से भी मिलती रही।

(इस समय ४ बज कर ३० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन, श्रीमन्, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन जब चुनाव आया (टांडा) का उस समय उसको छोड़ दिया गया और कोई जांच पड़ताल नहीं हुयी। क्या इससे सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया गया?

(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या इसको इलेक्शन के मौके पर या चन्द महीने पहले भी छोड़ दिया गया था?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब टांडा का चुनाव आया, किस तरह से हारे। जिन्दगी भर जातीयता चलायी, वातावरण को विषाक्त कर डाला और नतीजा क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस विधेयक पर ही आप बोलें? उसी क्रम में बोलें?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन बुराइयों को दूर कर दिया जाय तो इस विधेयक की ही जरूरत न रहे। तो जब जय राम वर्मा जी ने चुनाव लड़ा तब उनको छोड़ा गया इन्होंने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सीतापुर वगैरह में भी जातीयता चलायी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिल के सम्बन्ध में ही अपना विचार सीमित रखें जिससे प्रवर समिति के जो सदस्य हैं, उनको कुछ प्रकाश मिले। चुनाव के बारे में आप कुछ न कहें?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इन बुराइयों पर, इन कमियों पर, अगर आप काबू पा लें तो इस कानून को आग लगाकर फूंक देंगे। मैं यह उचित समझता हूं कि इसको प्रवर समिति को रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं और इसको यहीं पर फूंक देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक चुनाव की बातों का सवाल है और आयोग के समक्ष रख सकते हैं, सलाह दे सकते हैं लेकिन जातीयता के प्रश्न को यहां न उठायें। चुनाव सम्बन्धी जो मामले हैं, वे सदन के दायरे के बाहर के हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

दूसरी चीज यह है कि आजादी के बाद जनता में उभार आया है। पहले तो जनता दमन शक्ति के नीचे दबी पड़ी थी, जो शक्ति अब पैदा हुयी है, उसके उभार को अगर प्रापर दिशा दी गई होती, प्रापर चैनल में मोड़ा गया होता तो आज जो स्थिति है वह न होती। मिसाल के लिये एक एस० पी० से बात कर रहा था वे कह रहे थे कि कुछ युवक आउट आफ फन, एन्टरप्राइज की खोज में जुर्म करने लगते हैं। अगर वे वालीवाल और फुटवाल ही खेला करें और फिर जो कान्सस्ट्रक्टिव कार्यवाहियां हैं उनकी तरफ उनको मोड़ें तब यह मामला रोका जा सकता है। आज यह मामला रुक नहीं रहा। आज इसके विपरीत कार्यवाही हो रही है। दूसरी चीज है जो आज आप की प्राइमरी यूनिट है पुलिस की जिसमें चौकीदार और वीट कांस्टेबिल आते हैं वह प्रारम्भिक यूनिट बिल्कुल निकम्मी और पंगु हो गई है जो बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही है। इसलिये ग्राम स्तर पर जरायम बढ़ते जा रहे हैं। वे करते क्या हैं कि फ़लां गांव में किन किन लोगों में झगड़ा है। कभी एक की तरफ और कभी दूसरे की तरफ डंडी झुका दिया। कभी एक पेड़ कटवा दिया और कभी दूसरा। नतीजा यह हो रहा है कि गांव स्तर पर जो सतर्कता पुलिस वालों को चाहिये, वह नहीं है। जिस तरह से आज सत्ता का दुरुपयोग होता है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आपने आई० जी० को बदल दिया है। तो क्या उसमें जुर्म में सुधार हो जायेगा। उस काम को कर के सर्विसेज में आतंक पैदा किया और जब जब मुख्य मंत्री जी को पुलिस का विभाग मिला या यह शक्ति मिली है तब तब अपने ही द्वारा नियुक्त किये गये आई० जी० को चपरासी की तरह अलग किया जिससे आप का आतंक बना रहे। इसी तरह से मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश की सी० आई० डी० में लखनऊ में एम० बी० मुखर्जी को भेज दिया है। यहां पर जितनी जांच सी० आई० डी० के माध्यम से होती हैं और कहा जाता है कि सी० आई० डी० से जांच करा लीजिये, सी० आई० डी० से जांच करा लीजिये—आखिर सी० आई० डी० और पुलिस में कोई फर्क नहीं है? कभी सी० आई० डी० में, कभी आर्म पुलिस में या कभी थाने में इन्हें भेज दिया या कभी विजिलेन्स में भेज दिया जाता है। पर बुनियादी तौर से एक है सबके सब। हमारे सम्मानित सदस्य इस बात को नहीं समझ पाते और हर चीज में सी० आई० डी० की इन्क्वायरी की मांग करते हैं। मुख्य मंत्री ने अपने आदमी एम० वी० मुखर्जी को भेज दिया है। भविष्य में मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सब प्रभावित होंगे और जो चाहेंगे आप वह इन्क्वायरी आयेगी और जो नहीं चाहेंगे वह नहीं आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

हिस्ट्री में जाने की क्या जरूरत है। आपने जो सवाल उठाया है वह आयेगा। समय भी बांधा नहीं है। यह सब कहते हुये समय का ध्यान रखिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह असाधारण कानून है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उन सब बातों को प्रकाश में ला दूं और मुख्य मन्त्री विचार कर उनको दूर कर दें तो इस कानून को लाये बिना ही यहां पर शान्ति और व्यवस्था प्रभावी की जा सकती है। इस प्वाइन्ट को मैं मेक आउट कर रहा हूं। वह श्री एम० वी० मुकर्जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस में सरकार के नामीनेशन द्वारा डी० वाई० एस० पी० बने थे। समयान्तर में वे गये उन्नाव, उन्नाव से फर्रूखाबाद। उन्नाव में दो प्रतिकूल प्रविष्टियां दी थीं मुख्य मन्त्री ने और उन प्रतिकूल प्रविष्टियों को खुद ही उन्होंने हटा दिया। शैतानी स्वभाव जो होता है, वह मारता नहीं है, वह परेशान करता है, हलाल करता है या हैरान करता है। एक तरह का आतंक उन पर स्थापित किया तब और फिर फर्रूखाबाद में उसने काम किया मुख्य मन्त्री को खुश करने का। मैं इस सम्मानित सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। श्रीमती विद्यावती

राठौर बैठी हैं। इनके जिले का मामला है। अगर ये कह दें कि झूठ है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। इन्होंने क्या किया वहां पर ?

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्य त्याग-पत्र दें, अगर वचन बद्ध हैं तो देना चाहिये, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। मैं यह बता दूं कि मिस्टर मुकर्जी डी० आई० जी० नहीं बनाये गये हैं और जिस मुकर्जी की बात कह रहे हैं, दो मुकर्जी हैं, वे उनमें कन्फ्यूजन कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

आप ने यह कहा है कि मिस्टर मुकर्जी को डी० आई० जी०, सी० आई० डी० बनाया और और उनके द्वारा इन्क्वायरीज कराके एडमिनिस्ट्रेशन को टैराराइज किया जा रहा है ...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने यह नहीं कहा।

श्री चरणसिंह—

मैं यह बता दूं कि पहले तो वे डी० आई० जी० नहीं बनाये गये हैं। दूसरे जो मुकर्जी चुनाव में एप्वाइन्टेड थे वे कभी फर्रुखाबाद नहीं गये। वे मुकर्जी दूसरे हैं, यह मुकर्जी दूसरे हैं.....

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं नाम बता दूं, वे मानस बिहारी मुकर्जी हैं। यह हैं या नहीं? यह फर्रुखाबाद में थे?

(व्यवधान)

उन्होंने बहैसियत एस० पी०, फर्रुखाबाद, तमाम झूठे मुकदमे बनाये, एक नहीं चार चार मुकदमें हाई कोर्ट में दफा ५६१ ए के मातहत गये जिसकी तहत प्रोसीडिंग्स को क्वश करने की कार्यवाही की जाती है। हाई कोर्ट ने उन प्रोसीडिंग्स को क्वैश करके जो स्ट्रिक्चर पास किये हैं वे मैं सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाता हूं—

"...It seems that the S. P. is after harassment of the petitioner, and has been launching a vendetta of prosecutions not only against the petitioner alone but also against his wife. It does not become a District Officer to act in the manner, in which Sri Mukerjee has done. In my opinion, it is purely an abuse of process of the Court to launch such a prosecution whose allegations themselves do not make out even a prima facie case against the petitioner. इस तरह से उनके खिलाफ हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स पास हुये हैं। वह आप की दानिश्त में जरूर रहे होंगे या आप के विभाग की दानिश्त में जरूर रहे होंगे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रोमोशन दिलवाया है आई० पी० एस० रैंक में और उनको एस० पी०, सी० आई० डी० बनाकर बिठा दिया गया है, क्या इससे माननीय मुख्य मंत्री इनकार करते हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, पुराने आन्दोलन और स्वतंत्रता संग्राम से निकली हुई माननीया विद्यावती राठौर, जिन की अपनी एक हैसियत है, जो सदैव सीधे रास्ते चलने वाली रही हैं वे जानती हैं कि इन एस० पी० महोदय ने खुल कर बी० के० डी० का साथ दिया मध्यावधि चुनाव में।

[श्री अनन्तराम जायसवाल—]

क्या यह सही नहीं है ? उन्होंने कई झूठे मुकदमें बनाये। यह सब चीजें ऐसी हैं जो सही है, इसीलिये वे खामोश हैं और उन की खामोशी यह जाहिर करती है कि उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है। अब वह एस० पी०, सी० आई० डी० बनकर लखनऊ में बैठे हैं। अब जितनी जांच होगी उन्हीं के द्वारा होगी। तो क्या वह सही जांच हो सकेगी ?

श्री चरणसिंह—

गुप्ता जी ने उनको एस० पी०, सी० आई० डी० बनाया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

गुप्ता जी ने भी अगर बनाया था तो उससे आप छुट्टी नहीं पा सकते और हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। यह भी आप जान लीजिये। अगर यह चीज आप के दानिश्त में है तो आप उससे छुट्टी नहीं पा सकते। मान्यवर, उनका आई० पी० एस० में प्रोमोशन कब हुआ ? यह प्रोमोशन इस सरकार के कार्यकाल में हुआ या नहीं ?

(व्यवधान)

सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

बी० के० डी० ने उस एस० पी० की शिकायतें की थीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह तो हमको मालूम है अच्छी तरह से। यह हम भी जानते हैं और मौका पड़ेगा तो पूरे सबूत के साथ यहां पर रखूंगा। उन्होंने यह मामला छेड़ दिया है, इसलिए मैं आपके सामने इनके बारे में हवाला देना चाहता हूं। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमन्त्री हो गये, तो उसके बाद १३–३–१९७० को निम्नलिखित आदमियों के नाम से एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री जी की खिदमत में गुजरा है, नाम इस प्रकार है—सर्वश्री जौहरीलाल आर्य, सम्पादक शम्भूदयाल शुक्ल, सम्पादक, श्री कृष्ण शुक्ल, सम्पादक, विनोद कुमार कुदेसिया, सम्पादक, 'हृदय परिवर्तन', उदयवीर सिंह यादव, एडवोकेट और मोहम्मद सईद हुसैन, एम० एल० सी० ये तो हस्ताक्षर करने वाले हैं और इस पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर टिप्पणी लिखने वाले कौन हैं ? मैं नहीं हूं, मैं उनके भी नाम पढ़े देता हूं—सर्वश्री शिवपाल सिंह, विधायक, भारतीय क्रान्ति दल, जिला उन्नाव, रघुवीर सिंह, एक्स एम० पी०, आगरा, विद्यावती राठौर, विधायक कांग्रेस, जिला फर्रुखाबाद, रामवचन यादव, विधायक, उत्तर प्रदेश, मुल्तान सिंह यादव, विधायक आगरा—भारतीय क्रान्तिकारी दल, नैपाल सिंह, विधायक, भारतीय क्रान्तिकारी दल, मेरठ, अजब सिंह, विधायक, भारतीय क्रान्तिकारी दल, मुजफ्फरनगर, गंगा प्रसाद सिंह, विधायक, जिला गोंडा, महावीरसिंह, विधायक, भारतीय क्रांतिकारी दल, मोहम्मद सईद, एम० एल० सी०, विधायक कांग्रेस सिन्डीकेट। तो इस पर माननीय विद्यावती राठौर जी ने अपनी टिप्पणी लिखी और मुख्य मन्त्री जी से एक दफा नहीं कई दफा याद दिलाने की कोशिश की। उसके बावजूद उस आदमी के विरुद्ध जिसने खुलकर बी० के० डी० का प्रचार किया है.....

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री के पास जो दरख्वास्त पहुंची है, उसमें ये सब चीजें दी गई हैं। मैंने यह नहीं किया है, बल्कि उधर के बैठने वाले लोगों ने किया है और कहा है...

(व्यवधान)

तो इस दरख्वास्त पर मुख्य मन्त्री जी चढ़ कर बैठ गये और इसके बावजूद आई० पी० एस० रैंक में उसकी तरक्की कर दी गई। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या ऐसी स्थिति में

इस देश में शांति और व्यवस्था कायम रह सकती है, क्या लोगों के मान सम्मान और प्राणों की रक्षा हो सकती है ?

दूसरी चीज में यह रखना चाहता हूं—एक सवाल मेरा इसी सदन में हुआ है कि मध्यावधि चुनाव के दौरान मेरठ डिवीजन में अलग-अलग थानों में कितने मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से कितने अदालत में गये और उन में से कितने अब अदालत में किस-किस स्टेज पर हैं ? उसका जवाब मुख्य मंत्री जी के नाम से इस प्रकार मिला कि बुलन्दशहर में १०, देहरादून में २, मेरठ में ४३, मुजफ्फरनगर में ८२ और सहारनपुर में १५, यानी कुल १५२ मुकदमे थानों में दर्ज हुए, इनमें से ८० मुकदमें अदालत में गये और इस वक्त केवल १५ मुकदमें अदालत में विचाराधीन हैं। तो ८० में से १५ ही कोर्ट्स में मुकदमे रह गये। प्रश्न यह है कि बाकी ६५ का क्या हुआ ?, क्या यह सही नहीं है कि आपने उन को या कुछ को वापस लिया है ? यदि यह बात सही है तो इस प्रदेश में कभी भी शांति और व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। जिन लोगों ने पिछले चुनाव में लोगों को डराया—धमकाया, आतंकित किया, हिंसा का सक्रिय प्रयोग किया और एग्रेसिव रहे हैं और वे एग्रीव्ड हैं जो इधर इन्डीकेट में बैठे हैं

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय कानून की बात हो रही है, बुद्धि और मस्तिष्क की बात हो रही है या चुनाव की आलोचना हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि एक गुंडा ऐक्ट है, पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और अधिकारों के विस्तरण की अपेक्षा है या नहीं है। इस दृष्टि से एक दो दृष्टांत दे सकते हैं। एक कांस्टेबिल भी किसी को कह सकता है कि गुंडा हो यह कहां तक सीमित है ? क्या पुलिस अधिकारियों के अधिकारों का विस्तरण किया जा सकता है या नहीं। अगर यह किसी का दृष्टिकोण है तो इसको कह सकते हैं। लेकिन चुनाव वाली जितनी बातें कहते हैं वह यहां उपयुक्त नहीं है क्योंकि चुनाव आयुक्त है। उसके सामने जो कुछ भी चुनाव सम्बन्धी गड़बड़ियां हैं उन की तरफ आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं इंस्टेसेंज इसलिए दे रहा था कि सरकार की ओर से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने या बिगाड़ने में कहां तक बढ़ावा मिल रहा है। मैं बता रहा हूं कि गुन्डा ऐक्ट का किस प्रकार दुरुपयोग होगा, जब कि यह मुकदमे जो चलाये गये, ८० में से ६५ मुकदमे खत्म हो चुके हैं। जो अखबारों में खबर हैं, माननीय मुख्य मन्त्री ने इन मुकदमों को वापस लिया है। जहां तक मेरी जानकारी है इन जिलों में सिंडीकेट का कोई संगठन नहीं है, आपके साथ बैठने वाले इंडिकेट के संगठन के जो साथी हैं, वे मुजफ्फरनगर, देहरादून, मेरठ, सहारनपुर में तिलमिला रहे हैं। वह खामोश हो कर देख रहे हैं कि जिसमें वह खुद पीटे गये या उनके साथी पीटे गये या जिनका कत्ल हुआ है, वह सब के सब लोग तिलमिला रहे हैं। आप के मुख्य मन्त्री के पद के नीचे कराह रहे हैं। देखिए तिलमिला रहे हैं वीरेन्द्र भाई। जाहिर हो गया। इनका भाई खुद उस कत्ल के मुकदमें में मुलजिम है। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर इस तरह से चीजें चलेंगी तो शान्ति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। मैंने गिनाया पुलिस, सामन्ती लोगों और गुन्डों का ट्राओ है। उसमें चौथा सरकार का दुरुपयोग शामिल हो गया है। सब मिल कर प्रदेश में अव्यवस्था बनाये हुए हैं। इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। गुन्डा एक वेग टर्म है। इसमें इस की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है बल्कि यह कहा गया है कि गुंडा शब्द में यह ऐडजेक्टिव आ जायंगे—वह इस तरह से है गुन्डा के अन्तर्गत बदमाश, आतंकी, दुष्ट या अन्य दंगीय भी हैं। यह बिलकुल अनिश्चित परिभाषा

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

है। ध्यान से पढ़ें जो सफाई के साथ एक चेहरा हमारे सामने आता है, और जो माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने चेहरा उभर कर आते हैं, हमारे, कृष्णानन्द राय का, राजा साहब का, माननीय त्रिपाठी जी का, यह चेहरे उभर कर आएंगे। जब इस तरह से देखने लगेंगे तो तमाम राजनीतिक लोगों के खिलाफ यह अधिनियम इस्तेमाल नहीं किया जायगा? जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वह आप कर रहे हैं। अंग्रेजों ने आप के साथ धारा १०७ का प्रयोग नहीं किया। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने धारा १०७ जाब्ता फौजदारी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस सरकार ने धारा १०७, १०९, क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट सब का इस्तेमाल शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने वालों के खिलाफ बराबर किया हैं। फिर आप की क्या गारन्टी। सवेरे क्या बोल दें और शाम को क्या बोल दें। तो आप का क्या चरित्र है। "चरन चरित्रं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः।"

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यक्तिगत आक्षेप है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह आक्षेप नहीं है। इससे चरित्र उभड़ कर आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नाम नहीं ले सकते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं वापस लेता हूं। अब आपने सारी ताकत जिलाधीश को दे दी है और जिलाधीश ने हमको गुन्डा समझकर जिसकी कोई परिभाषा नहीं की गयी है दूसरे स्थान को स्थानान्तरित कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? आप बनारस को ले लीजिये। बनारस की कामन पार्लेस में गुन्डे का अर्थ वह है जो अंग्रेजी के "नाइट" शब्द का होता है। वहां गुन्डा आततयी नहीं हैं। वह आप्रेसर आफ दी वीक न हो कर डिफेन्डर आफ दी वीक होता है। वहां लोग गुन्डा कहलाने में अपने को फख्र का वायस समझते हैं। वहां कोई कहता है कि हम फलां स्थान के गुन्डे हैं और कोई कहता है कि हम फलां स्थान के गुन्डे हैं। आगरा व अवध में अगर किसी के लिये गुन्डा शब्द का इस्तेमाल किया जाय तो यह उनकी बेइज्जती होगी, अपमानजनक होगा लेकिन बनारस में अगर यह शब्द इस्तेमाल किया जाय तो उसकी इज्जतअफजाई होगी वह आतताई नहीं बल्कि दुखियों को सहारा देने वाला होगा।

(व्यवधान)

अब आगरा या मेरठ डिवीजन का कोई डिप्टी कमिश्नर बनारस पहुंच जाता है और कामन पार्लेन्स में वहां गुन्डे का अर्थ दूसरा है तो वह तो उसे समझता नहीं और अपने हिसाब से डिप्टी कमिश्नर साहब उसे बनारस छोड़ने को कह देंगे। अंग्रेजों ने इस शब्द का इस्तेमाल जहां तक मेरी जानकारी है आप के नेता के खिलाफ किया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अपनी गलती मान कर माफी मांग लूंगा। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि यह गुन्डा शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने उनको बनारस से हटने के लिये कहा। जब यह इमकान इस में छिपा हुआ है तो मुख्य मन्त्री का यह कहना कि राजनीतिक वर्कर्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं होगा कहां तक सार्थकता रखता है। फिर उसमें संतुष्टि की गुन्जायश नहीं है। साधारण एविडेंस के सिद्धान्त इसमें इम्प्लाइड नहीं होते। मुख्य मंत्री ने कह दिया कि यह गुंडे हैं इनको यहां से मेरठ भेज दो। बस हम और आप बन्द हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—

५ बज रहे हैं। आप समाप्त करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

५, १० मिनट अभी और मैं लूंगा। अभी कल भी यह चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जितना समय बचा है उतने में जारी रखें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यहां के शासक लोगों को कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। एक तरफ सेपरेशन आफ जुडीशियरी एंड एक्जिक्यूटिव की रात दिन स्तुति करते थकते नहीं हैं लेकिन दूसरी ओर जब इम्तिहान की बात आती है तो एक्जिक्यूटिव को जितनी ताकत अंग्रेजों ने नहीं दी थी उससे ज्यादा ताकत ये देने को तैयार हो जाते हैं।

(इस समय ४ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस तरह से यह माना गया है कि गोल्डन प्रिन्सिपल आफ क्रिमिनल जस्टिस यह है कि जब तक किसी आदमी के विरुद्ध कोई जुर्म पूर्ण रूप से सिद्ध न हो जाय तब तक उसे सजा नहीं मिलती। लेकिन श्रीमन्, इसमें आप देखें कि अगर हमने निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश किया है तो संदेह मात्र में.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप इसको कल को लें अभी आप और बोलेंगे।

१९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद तथा मतदान के विषय में सूचना देना चाहता हूं। इसे कार्य मंत्रणा समिति ने आज के लिये रखा है। ये जितने अनुदान हैं ये अतिरिक्त अनुदान हैं और १९६४–६५ के हैं। ये पहले पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के पास भेजे जाते हैं। उसने इस अनुदानों को मंजूर कर लिया है। ये अनुदान ३–४ साल पहले के हैं। लोक लेखा समिति ने अपनी स्वीकृति के बाद इन्हें सदन को भेजा है। इसके ऊपर थोड़ी सी आम बहस आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि इसमें बहुत से अनुदान हैं उन सब को पहले पेश कर दिया जाय और उसके बाद एक–एक करके पारित हो जाय। इसमें कोई कट मोशन भी नहीं आयेगा क्योंकि न इसे कम किया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यह सब खर्च हो चुका है। मेरा खयाल है यही तरीका अच्छा है। इससे समय भी सदन का बच जायेगा। एक–एक करके अनुदान मैं ले लेता हूं और स्वीकृति के बाद जब विनियोग विधेयक आये उसके ऊपर चर्चा हो जाय या प्रस्तुत करने के बाद उसके ऊपर एक आम बहस पहले हो जाय और एक-एक पर राय लेते चले जायं। तो मैं समझता हूं कि यही तरीका ठीक है कि पहले एक-एक अनुदान को स्वीकार कर लिया जाय। इससे समय भी बच जायेगा और जो विनियोग विधेयक आये तो आम बहस थोड़ी सी हो जाय। मैं हर एक मंत्री को इसे प्रस्तुत करने के लिये बुलाता हूं।

अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी

श्रम राज्यमंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत २,३९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत २,३९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

बिक्री कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत २७ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० ६—स्टाम्प के अन्तर्गत २७ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री राज मंगल पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,८२,२९,६८९ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,८२,२९,६८९ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ३,५४,६०९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ३,५४,६०९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४—६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री राजमंगल पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत २७,४३,७०९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत २७,४३,७०९ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत २,५४,८४६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अतर्गत २,५४,८४६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ६०,००,९७९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ६०,००,९७९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०१,६४,३३५ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०१,६४,३३५ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ९,८५,३३८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ९,८५,३३८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है

विद्युत् मंत्री (श्री राम लखन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३–विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है के अन्तर्गत ५७,१६२ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है के अन्तर्गत ५७,१६२ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,३६,०१,१०१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,३६,०१,१०१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री रामलखन—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,७६,३९,९६४ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४--६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,७६,३९,९६४ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ देर रुक कर)

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ कि बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत की गयी हैं जो करीब ९ करोड़ रुपये की हैं इनके संबंध में कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूं और यह समझने की बात है कि आया यह हमारी विधानसभा के लेजिस्लेटिव कंट्रोल आन फाइनेन्सेज से विशेष सम्बन्ध रखता है । आपने देखा कि ज्यादातर इसमें जो मांगे हैं वह सिंचाई और विद्युत् के संबंध में हैं । १ करोड़ ८१ लाख की सामान्य प्रशासन की मांगों के अतिरिक्त और छोटी-छोटी मांगें हैं लेकिन ज्यादातर इन दो विभागों की तरफ से मांगें मांगी गयी हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बेधकी नन्दन विभव]

अब इसकी पद्धति को दो मिनट में बताना चाहता हूं। जिस समय बजट तैयार किया जाता है उस समय विभागों से एस्टीमेट्स आते हैं। प्रायः देखने में आता है कि बजट में ५० परसेन्ट के करीब ऐसे अनुदान शामिल हो जाते हैं जिनका स्क्रुटिनाइजेशन नहीं हो सकता। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आखिरी वक्त तक मांगें आती रहती हैं और बजट में शामिल होती रहती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि स्क्रुटिनी हो नहीं पाती है और जब बजट हमारे सामने आता है तो उसकी अनरियल पिक्चर होती है। जितना पैसा हम खर्च करते हैं और जितना विधान सभा में व्यय होता है इन दो महीनों में, अगर बजट की रियल पिक्चर हमारे सामने नहीं आती है तो जो फाइनेन्शियल कंट्रोल का उद्देश्य है वह विफल हो जाता है। उसके बाद होता क्या है? वह बजट में शामिल कर लिये जाते हैं और उसके बाद स्क्रुटिनी होती है कि आया वह एस्टीमेट सही है। उसमें काट-छांट होती है और उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देने में काफी समय लग जाता है और साल के अन्त तक होता रहता है और फिर उसको जल्दी से जल्दी खर्च करने को सोचा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह होता है कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स आती हैं।

मैं एक उदाहरण आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं सिंचाई विभाग का। १९६६-६७ में ८ करोड़ रुपये की मौलिक मांग पेश की गई, लेकिन बाद में सप्लीमेन्ट्री ग्रांट में ५ करोड़ और मांगा गया। १३ करोड़ रुपया हो गया। यह मांगा गया मार्च में। लेकिन मार्च के बाद मालूम यह हुआ कि खर्च हो गया २० करोड़। यह जो ज्यादा खर्च हुआ मालूम उस समय हुआ जब वर्ष खत्म हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि रुपया सस्पेन्स एकाउन्ट में पड़ जाता है और उसमें से खर्च होता रहता है और विभाग को आर्थिक स्थिति का पता चल नहीं पाता है। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में लेजिस्लेचर का कंट्रोल होना है तो उसकी पद्धति में सुधार होना चाहिये।

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। श्री महीलाल जी चार आदमियों के साथ खड़े हैं। वह खड़े हैं और आप देखते रहें। आपने कल हमारे पांच साथियों को सदन से निकाल दिया था। तो क्या महीलाल जी को नहीं निकाला जा सकता है?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आज सवेरे वह भाषण दे रहे थे और शिक्षा दे रहे थे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरे कानों तक आवाज नहीं आ रही थी, मैं सुन नहीं पा रहा था, इसलिये मैंने कहा कि आप लोग बैठ जायं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरे ऊपर आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे माना नहीं है।

एक सदस्य—

कल इतनी ही गलती पर हमारे साथियों को हाउस से निकाल दिया गया था। आज इनको दंड नहीं दे रहे हैं और इंगित भी नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इंगित तो हम तब करें जब वह हमारे कहने पर बैठे नहीं। जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दें।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यह जो धन की मांग की जा रही है वह सन् १९६४–६५ की है। मान्यवर, यह ९ करोड़ की मांग है कोई साधारण नहीं है। एक मद में वृद्धि हुई हो ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक मद में वृद्धि हुई है और ऐसा लगता है कि यह राज्य के साथ बड़ा भारी विश्वासघात किया गया है कि हर मद में वृद्धि हुई है। ९ करोड़ रुपये की मांग हुई है और उस साल के सत्र में यह नहीं रखा गया और आज यह रखा जा रहा है। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी वैधानिक आपत्ति है। संवैधानिक आपत्ति है। आप २०६ देखें और नियम १९२ है ऐसा ज्ञात हुआ है कि लोक लेखा समिति ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। मैं यह कहना चाहता हू कि जो चीज कभी सदन में नहीं आई उसके बारे में सदन के किसी माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। इसके क्रियाकलापों का ज्ञान नहीं है कि कहां खर्च किया गया, कैसे खर्च किया गया तो हम ऐसी स्थिति में पड़े हुए है इस विधेयक क बारे में विचार करते समय। हम लोगों को अन्धा बना डाला है चाहे वह संगठन कांग्रेस के हों या बी० के० डी० के हों। एक रोज आपने इस सरकार को आगाह भी किया था कि इस प्रक्रिया का सहारा न लिया जाय लेकिन यह सरकार बराबर जो व्यय के लिए बजट बनाती है उससे अधिक खर्चा करती जा रही है और जो खर्चा हुआ है वह फिजूल खर्चों में हुआ है और न कोई निर्माण कार्य होता है न किसानों को सिंचाई मिलती है। तो श्रीमन्, वैधानिक आपत्ति के साथ-साथ वित्त मंत्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कैसे इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया और स्वयं वित्त मंत्री तो उस वक्त थे नहीं। यह भी जानकारी नहीं हुई कि खर्च का विवरण क्या था? कैसे इसका सदुपयोग हुआ? तो श्रीमन्, देश को, प्रदेश को और माननीय सदस्यों को अन्धा बनाकर सरकार काम न करे। इस विधेयक को कदापि पारित न करे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह तो अतिरिक्त अनुदानों के संबंध में मांग प्रस्तुत हुई है और जिसे पारित करने हेतु विनियोग विधेयक मैंने प्रस्तुत किया इसका सारा स्पष्टीकरण जो वित्तीय मेमोरेन्डम प्रारम्भिक ज्ञापन विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसमें लगा हुआ है। व्यय नियन्त्रण संबंधी जो सुझाव माननीय सदस्य आगरा ने दिया है। श्रीमन्, यह सही है कि सामान्यतः फाइनेन्सियल कन्ट्रोल में यही नियम माने जाने चाहिये और उन्हीं के अनुसार कार्य होना चाहिये। श्रीमन्, मैं स्वयं इस बात को ठीक नहीं समझता कि एक्सेस ग्रान्ट लेने की नौबत आये और ऐसी स्थिति उत्पन्न हों जिनमें सदन द्वारा स्वीकृत बजट अनुदानों से अधिक अनुदान लेना पड़े किसी वित्तीय वर्ष में। लेकिन श्रीमन्, आप यह भी देखेंगे कि कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है वर्तमान वित्तीय प्रणाली में, जिसके अन्तर्गत एक्सेस ग्रान्ट लेना अनिवार्य हो जाता है। आप यह भी देखेंगे, श्रीमन्, कि इसमें ३/४ मदें ऐसी हैं जिनमें भारत सरकार ने और कन्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल ने मार्च ३१ को, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद डेबिट एन्ट्री की, जब कि हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया था। हमें उस समय मालूम नहीं हुआ था कि इतना रुपया हमारे 'नामे' लिख दिया गया है। अनुदान संख्या १० में श्रीमन्, १ करोड़ ८२ लाख रुपया सड़क विकास बोर्ड ने दिया। उसकी सूचना हमें समय से मिले बिना ही वित्तीय वर्ष में 'नामे' में अधिक कर दिया और हमें खबर नहीं हुई। इसी तरह से सस्पेन्स एकाउन्ट के बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने बहुत विचार किया। हमें उचन्त खाते से कई प्रकार की सामग्री खरीदनी पड़ती है करोड़ों रुपये की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

और उन्हें स्टाक में रखना पड़ता है ताकि जरूरत पड़ने पर स्टाक से निकाल कर उपयोग में लाया जा सके और कार्य किया जा सके। जो स्टाक भारत सरकार के माध्यम से खरीदना पड़ता है, जिनकी एन्ट्रीज कन्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल अपने कार्यालय में करता है, उसकी सूचना समय से नहीं मिलती और दिक्कत हो जाती है। जो व्ययाधिक्य हुआ है वह अधिकांशतः उन्हीं मदों पर हुआ है। मैं सम्मानित सदन से यह भी कहूंगा कि इन सारी मदों पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जिसके सभापति विरोधी दल के प्रतिनिधि होते हैं, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। लोक लेखा समिति ने सम्बन्धित प्रत्येक मदों के अधिकारियों से उनकी गवाही ली है, उनका जवाब-तलब किया है और इसके बाद लोक लेखा समिति ने सिफारिश की है कि यह जो विधेयक है, जो प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे रेगुलराइज किया जाय। हमारे संविधान में भी आर्टिकिल २०५(१)(ख) में भी इस बात की व्यवस्था है कि इस प्रकार की एक्सेस ग्रान्ट्स हों तो उन्हें रेगुलराइज किया जाय और एप्रोप्रियेशन लाया जाय। मैं यह भी अनुग्रह करूंगा कि जहां तक वित्तीय नियंत्रण का प्रश्न है उस पर जो लोक लेखा समिति की सिफारिशें हैं उन्हें लागू करने का प्रयास हम कर रहे हैं और उन्हें स्वीकार किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २, ३, १ अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७०

३१ मार्च, १९६५ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहत निधि मे से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त;

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१९६४-६५ की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से ९,००,५७,६२८ रुपये का दिया जाना

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

२—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग ९,००,५७,६२८ रुपये (नौ करोड़, सत्तावन हजार, छ सौ अट्ठाइस रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा। विनियोग

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
राजस्व व्यय—				
३	राज्य आबकारी ..	२,३९२	..	२,३९२
६	स्टाम्प ..	२७	..	२७
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन ..	१,८२,२९,६८९	..	१,८२,२९,६८९
१२	न्याय प्रशासन ..	३,५४,६०९	..	३,५४,६०९
१४	पुलिस ..	२७,४३,७०९	२३,१५९	२७,६६,८६८
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	२,५४,८४६	..	२,५४,८४६
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	६०,००,९७९	..	६०,००,९७९
२०	कृषि संबंधी विकास ..	..	८४	८४
२९	समाज कल्याण ..	..	२३४	२३४
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	१,०१,६४,३३५	..	१,०१,६४,३३५
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	९,८५,३३८	..	९,८५,३३८
३३	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है ..	५७,१६२	..	५७,१६२
	योग, राजस्व व्यय ..	३,८७,९३,०८६	२३,४७७	३,८८,१६,५६३
	पूंजी व्यय—			
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	३,३६,०१,१०१	..	३,३६,०१,१०१
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	१,७६,३९,९६४	..	१,७६,३९,९६४
	योग, पूंजी व्यय ..	५,१२,४१,०६५	..	५,१२,४१,०६५
	बड़ा योग ..	९,००,३४,१५१	२३,४७७	९,००,५७,६२८

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, २, ३ अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७०, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आप को सूचना देना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं एक बात की जानकारी आपसे चाहता हूं। माननीय कल्पनाथ सिंह ने नियम ३०१ के अन्तर्गत सेंट्रल ग्रांट के डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में आपको एक प्रश्न दिया था जिसको आप ने स्वीकार कर लिया था लेकिन उसकी कोई तिथि आज तक नहीं दी है। तो उसके लिये कोई टाइम फिक्स किया है या नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में यह है कि बाद में मैंने उसको देखा कि उसी विषय पर असरकारी दिन ३० तारीख को प्रश्न आयेगा। पहले २६ को आने वाला था। उसी विषय पर उसमें विचार चल रहा है, तो मैंने दोनों को एक साथ सम्बद्ध कर दिया है और उस पर चर्चा हो जायेगी।

*श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने २२ तारीख को नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया है कि फर्रुखाबाद के दो डिग्री कालेज, उन्नाव जिले का डिग्री कालेज और रायबरेली का फिरोज गांधी डिग्री कालेज के ५ हजार लड़कों की परीक्षा पुनः कराने का इरादा कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वहां की एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने कर लिया है जिससे इन जिलों के छात्र और वहां की जनता में बहुत बड़ा असन्तोष और अशान्ति फैली हुई है। उस सम्बन्ध में रोज पत्र आते हैं, लोग आते हैं, पचीसों लोग आते हैं। आपने उसे नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया था लेकिन कोई घोषणा नहीं की थी कि किस तिथि को वह आवेगा। यह सूचना बाहर भी प्रसारित नहीं हुई है जिससे लोगों को जानकारी हुई होती। आज आप इसके लिये कोई तिथि बतला दें कि उस तारीख को सरकार बयान देगी और उस पर विचार किया जायेगा। बाहर भी इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि स्थिति को स्पष्ट करें और जितना शीघ्र हो सके, कोई डेट निश्चित करने की घोषणा कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

इम्तहान कब होगा ?

श्री महरम सिंह—

एक इम्तहान अप्रैल में हो चुका है और पुनः १८ जुलाई से इम्तहान होने की बात कर रहे हैं। इम्तहान का समय बहुत नजदीक है जिससे ५ हजार लड़के व उनके अभिभावक बहुत चिन्तित हैं। क्योंकि सम्बन्धित जिलों के सब लड़के व लड़कियों को इम्तहान देने के लिये कानपुर जाना पड़ेगा जहां ५ हजार लड़कों के रहने की भी उचित व्यवस्था न हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, जब मैंने उस को स्वीकार कर लिया है, तो मैं उसके लिये कल की तिथि रखता हूं इसलिये कि उसे जल्दी मालूम हो जाना चाहिये, वक्तव्य यहां आ जाना चाहिये। इसको मैं इसलिये कल के लिये रखता हूं क्योंकि यह शिक्षा के सम्बन्ध में है। अगर माननीय मंत्री जी कल वक्तव्य देने के लिये तैयार न हों तब मैं उसे २९ या ३० तारीख के लिये रखूंगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये, यह मैं आप को बतला देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री महरम सिंह—

यहां कैबिनेट स्तर के मंत्री मौजूद हैं, उनसे आप पूछ लें कि क्या कल वे वक्तव्य दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या शिक्षा मंत्री मौजूद हैं ?

श्री महरम सिंह—

समाज कल्याण मंत्री मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री से बात कर लूंगा। अभी मैंने कल की तिथि रखी है, अगर माननीय मंत्री जी कल वक्तव्य नहीं दे सकेंगे तो मैं देख लूंगा कि वे क्यों नहीं वक्तव्य दे सके।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आपने कल जो आज घोषणा करने की बात कही थी उसकी भी घोषणा कर देते।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, जिला परिषदों के अध्यापक सारे प्रदेश के अन्दर निकाले जा रहे हैं। आपने नियम ५१ के अन्तर्गत मेरा प्रश्न स्वीकार कर लिया है लेकिन कोई तिथि नहीं बतलायी कि कब उसे लिया जायेगा। अब १ली जुलाई से सारे स्कूल खुलेंगे और सारे मास्टर निकाले जा रहे हैं, स्कूल बन्द किये जा रहे हैं। उसके बारे में आपने कोई तिथि नहीं तय की है।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैं कल तारीख मुकर्रर करूंगा। बात यह थी पहले मुझे यह मालूम था कि २ तारीख को सदन समाप्त होने वाला है, लेकिन अब मालूम होता है कि १० तारीख तक चल सकता है।

(व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज एक कामरोको प्रस्ताव आया है श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामविलास पांडेय और श्री बंशीधर पांडेय का उन्नाव कानपुर मार्ग पर गंगाघाट थाने के अन्तर्गत ट्रक के भीतर श्रीमती श्याम प्यारी के साथ ४ व्यक्तियों द्वारा बलात्कार के बारे में। इसका कोई भी सरकार से सम्बन्ध नहीं है इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। वह या तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें या नियम ५१ में दे दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, इसी को ५१ में ले लें।

श्री अध्यक्ष—

तो ५१ में ले लेता हूं।

अब कल के जो नियम ५१ और ५६ के हैं उनमें श्री रामधारी शास्त्री और श्री बांकेलाल जी का है—विष्णु प्रताप शुगर फैक्टरी खड्डा (देवरिया) के ११०० मजदूरों का बकाया वेतन न मिलने से, किसानों का गन्ने का दाम बकाया रहना तथा सरकारी टैक्स का बकाया के सम्बन्ध में। यह मैंने स्वीकार नहीं किया है। श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम और श्री कल्पनाथ सिंह का है वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों के केवल अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास करने, सम्बन्धित जनता में निराशा की भावना से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में। इसके बारे में यह है कि इसके ऊपर ३० तारीख को बहस होने वाली है उसी में कह लें। श्री मुहम्मद नबी, श्री मैनेजर सिंह, श्री बच्चा पाठक और श्री बंशीधर पांडेय का है विशेष भूमि अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा मुहल्ला तहसीनगंज नगरिया ठाकुर गंज, लखनऊ में प्रापर्टी नं० ४–५ के अन्तर्गत कुछ प्लाटों को कब्जे में लेने से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में। इसमें कुछ ऐसा सवाल है कि कोई धार्मिक झगड़ा वगैरह न हो, इसलिये मैंने इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। श्री राम गोपाल संड का है कानपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उन्नाव, रायबरेली, फतेहगढ़, तथा फर्रुखाबाद के डिग्री कालेजों की परीक्षा रद्द करने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में। इसमें जो श्री कृष्णस्वरूप वैश्य और श्री महरमसिंह ने सूचना दी है उसको मैंने स्वीकार कर लिया था और कल का रोज मुकर्रर किया है लेकिन अगर मंत्री जी के पास कल तक सूचना न प्राप्त हो सके तो सोमवार तक जरूर दे देना चाहिए। श्री सुरेन्द्र विक्रम जी का है तहसील माट और छाता (मथुरा) में प्रधान मंत्री व जगजीवन राम के नाम से कई बोगस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेन्टर खोलने से युवकों को ठगने के बारे में। इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। श्री नित्यानन्द स्वामी जी का है प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति में आनाकानी से आन्दोलन करने की सम्भावना के सम्बन्ध में। इस को भी मैंने स्वीकार नहीं किया है। श्री शम्भूनाथ चौधरी और श्री भाभी यादव का है गंगा और घाघरा नदियों पर बलिया जिले में रिंग बांध के टूट जाने से कतिपय ग्रामों की प्रति वर्ष हानि से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में। इसको भी स्वीकार नहीं किया है। श्री राजित राम पांडेय, श्री श्यामसूरत उपाध्याय, श्री रामचरण त्रिपाठी और श्री रामपूजन पटेल का है ग्राम अर्जुन पट्टी, थाना हंडिया (इलाहाबाद) की निवासिनी

श्रीमती बब्बी, बेवा रामनाथ को उसी ग्राम के व्यक्तियों द्वारा हमला कर जिन्दा जलाने के सम्बन्ध में। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। श्री श्यामलाल कनौजिया का है राजकीय महिला आश्रम, कानपुर को बनाये रखने के लिये निहित स्वार्थों द्वारा वरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में। इसको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है। वैसे मैं एक ही स्वीकार करता हूं लेकिन वक्तव्य के लिए तीन स्वीकार कर लिया है।

आज वाले जो नियम ५१ के हैं उनमें केवल मैंने एक स्वीकार किया है वक्तव्य के लिए जो श्री रूपनाथ सिंह यादव का है के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा जी० एस० वी० एम० कालेज, कानपुर के डेढ़ हजार पी० एम० टी० के फार्म रिजेक्ट करने के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि वाइस चांसलर के बजाय

(व्यवधान)

इस पर कल वक्तव्य जरूर होना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उनका आन्दोलन ५ जुलाई से होने जा रहा है तो आप इसको नियम ५१ में स्वीकार कर लेते तो उचित था।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में कल बतलाइयेगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

नियम ५१ में आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है। उसमें सूचना मन्त्री माननीय गेंदा सिंह जी के रिश्तेदार कानपुर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उनके विरुद्ध चार्जेज हैं। मान्यवर, आडिट रिपोर्ट में सहकारिता और बीज गोदामों में तहसील बिल्हौर के कई ब्लाकों में १० लाख रुपये का गबन है। वहां से फाइल अधिकारी गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जनता का रुपया गबन किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

कल आप फिर से दीजियेगा। लेकिन किसी का नाम देने की जरूरत नहीं है। पहले यदि किसी को बदनाम करने की बात कहते हैं तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। किसी का आपने नाम लिया और बाद को उस पर चार्ज साबित नहीं हुआ तो इस तरह से आपका एक सहयोगी बदनाम हो जाता है। ये सब आप के सहयोगी हैं तो उनका नाम पहले नहीं आना चाहिये।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ४२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२४ जून, १९७०।

नत्थी "क"

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर]

वर्ष १९५०–५१ तथा वर्ष १९६८–६९ के अन्त तक नलकूपों की संख्या

तालिका "अ"

	प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९५१-५२) के प्रारम्भ (१-४-५१) में नलकूपों की संख्या	१९६८–६९ के अन्त तक नलकूपों की संख्या
आगरा डिवीजन		
१—आगरा	..	१५१
२—अलीगढ़	२६६	४९२
३—एटा	४३	२०६
४—मैनपुरी	..	१७९
५—मथुरा	..	८
योग ..	३०९	१०३६
मेरठ डिवीजन		
१—बुलन्दशहर	३२९	६१५
२—देहरादून	..	९
३—मेरठ	३६६	६४१
४—मुजफ्फरनगर	१३५	३४५
५—सहारनपुर	१४	२८०
योग ..	८४४	१८९०
रूहेलखंड डिवीजन		
१—बरेली	६३	१७४
२—बिजनौर	२०९	४२४
३—बदायूं	३९१	५५३
४—मुरादाबाद	४०३	६७८
५—पीलीभीत	..	१८
६—रामपुर	३५	१२०
७—शाहजहांपुर	..	१२६
योग ..	११०१	२०९३
कुल योग ..	२२५४	५०१९

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ख"

[देखिये ता० प्र० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर]

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७० के ११वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री शम्भूनाथ चौधरी के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर में सन्दर्भित सूचना ।

वस्तु का नाम जिसका ठेका दिया गया	ठेका देने की तिथि
१—झावा	२३–५–१९६९
२—तार	२७–५–१९६९
३—ढाई इन्च मोटा बांस	२७–५–१९६९
४—(अ) तार की जाली की बुनाई	२७–५–१९६९
(ब) तार की जाली की बुनाई	२७–५–१९६९
५—(अ) तार की जाली से क्रेट बनाना, नदी के किनारे पर उसे डालना, उसमें झावा भरना और बन्द करना ..	२७–५–१९६९
(ब) तदेव	१०–६–१९६९
६—(अ) ३ इन्च मोटा बांस	१७–६–१९६९
(ब) तदेव	१७–६–१९६९
(स) तदेव	२६–६–१९६९
७—(अ) नदी के ढलान की मिट्टी की पटाई	११–६–१९६९
(ब) तदेव	२६–६–१९६९
८—(अ) गायघाट पर बिजली आदि के लिये खम्भे वगैरह गाड़ना	११–६–१९६९
(ब) अस्थाई गोदाम का निर्माण	११–६–१९६९
९—कटाव में खाली बोरियों में रेत भर कर डालना ..	५–७–१९६९
१०—कटाव में मिट्टी की भराई तथा मिट्टी के छोटे बांधों को कटाव के ऊपर बनाना ।	५–७–१९६९

वीरेन्द्र वर्मा,
सिंचाई मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये ता० प्र० ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

सूची

नव निर्माण	लम्बाई (कि० मी० में)
नवनिर्माण—	
१—गुर सराय कोटरा घाट	२४.००
२—बिजुआ बांगरा रेलवे स्टेशन	२३.००
३—ललितपुर किलगांव	४०.००
४—गुरसराय गरोठा	१३.००
पुर्ननिर्माण के कार्य—	
१—एरिच मऊ भमौरी	१६.००
२—रामनगर चिरगांव बधेरा	२२.००

धर्म सिंह,

सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "घ"

(देखिये ता० प्र० ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७ पर)

सूची

जिला मथुरा में तत्कालीन वित्त मंत्री जी द्वारा निम्नलिखित सड़कों के निर्माण का श्री गणेश किया गया—

१—फराह अछनेरा
२—राया पानीगांव
३—बाजना मानागढ़ी
४—माठ जाबरा
५—सौख रसूलपुर
६—फराह परखम
७—कोसी कलां बठैन
८—राया बल्देव
९—कोसी शेरगढ़
१०—गोवर्धन छाता
११—अकबरपुर (टेटीगांव) से खैर (अलीगढ़) तक
१२—कोसी शाहपुर
१३—बजना चांदपुर

उपरोक्त सड़कों में से निम्नलिखित सड़कों का निर्माण रोक दिया गया—

१—राया पानीगांव
२—बाजना मानागढ़ी
३—माठ जाबरा
४—कोसी कलां बठैन
५—कोसी शाहपुर
६—बजना चांदपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये ता० प्र० ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९ पर)

अवधि जिसमें लागू दर सम्मुख स्तम्भों में अंकित हैं।	खातेदारों से वसूली की दरें		
	उनसे जिन जोतों के खातों में परिवर्तन हुआ हो अथवा अधिक संहत हुई हो (जहां आयती करण योजना लागू न हो)	चकबन्दी योजना से प्रभावित उन खातेदारों से जहां आयतीकरण योजना भी लागू की गयी हो	अन्य खातेदारों से जो स्तम्भ २ तथा ३ में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत न आते हों, और जिनकी जोतें चकबन्दी योजना से प्रभावित न हों
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
१—वर्तमान वर्ष (१९७०–७१) में	१२.८०	१४.००	२.००
२—वर्ष १९६८–६९ में			
(१) १ अप्रैल, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६८ तक।	७.१०	८.००	००.५०
(२) १ जनवरी, १९६९ से ३१ मार्च, १९६९ तक।	१२.८०	१४.००	२.००

विधान परिषद

नत्थी "च"

(देखिये ता० प्र० ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

सूची

ग्राम का नाम		जमीन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू किए जाने के बाद गांव सभा में निहित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	गांव सभा के पास इस समय अवशेष भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीलिंग ऐक्ट लागू किए जाने के बाद उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	इस समय अवशेष भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
१		२	३	४	५
लक्ष्मीनगर	..	८५	८५	१३	—
हसिहबा	..	६०	६०	—	—
करमहबा	..	३५	३५	—	—
चकदह	..	३३८	३३८	—	—
मनिकापुर	..	८५	८५	—	—
गनेशपुर	..	४८	४८	२३	२१
हरपुर	..	६०	६०	—	—
सिवती	..	११७	११७	५७	२४
जमुहानी	..	७०	७०	—	—
रघुनाथपुर	..	२०	२०	—	—
रानीपुर	..	२४७	२४७	—	—
आराजी सुबाइन	..	३१	३१	—	—
घोतिहबा	..	५५	५५	७	—
कजरी	..	६४	६४	१२२	४८
मठियाईदू	..	२३	२३	—	—
नबाबीघाट	..	५१	५१	—	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११६ एल० ए०—१६७१—८४५।